Azadi Ka Amrit Mahotsav

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2021 - 2022

अतुल्य ! भारत
Incredible !ndia

पर्यटन मंत्रालय
भारत सरकार

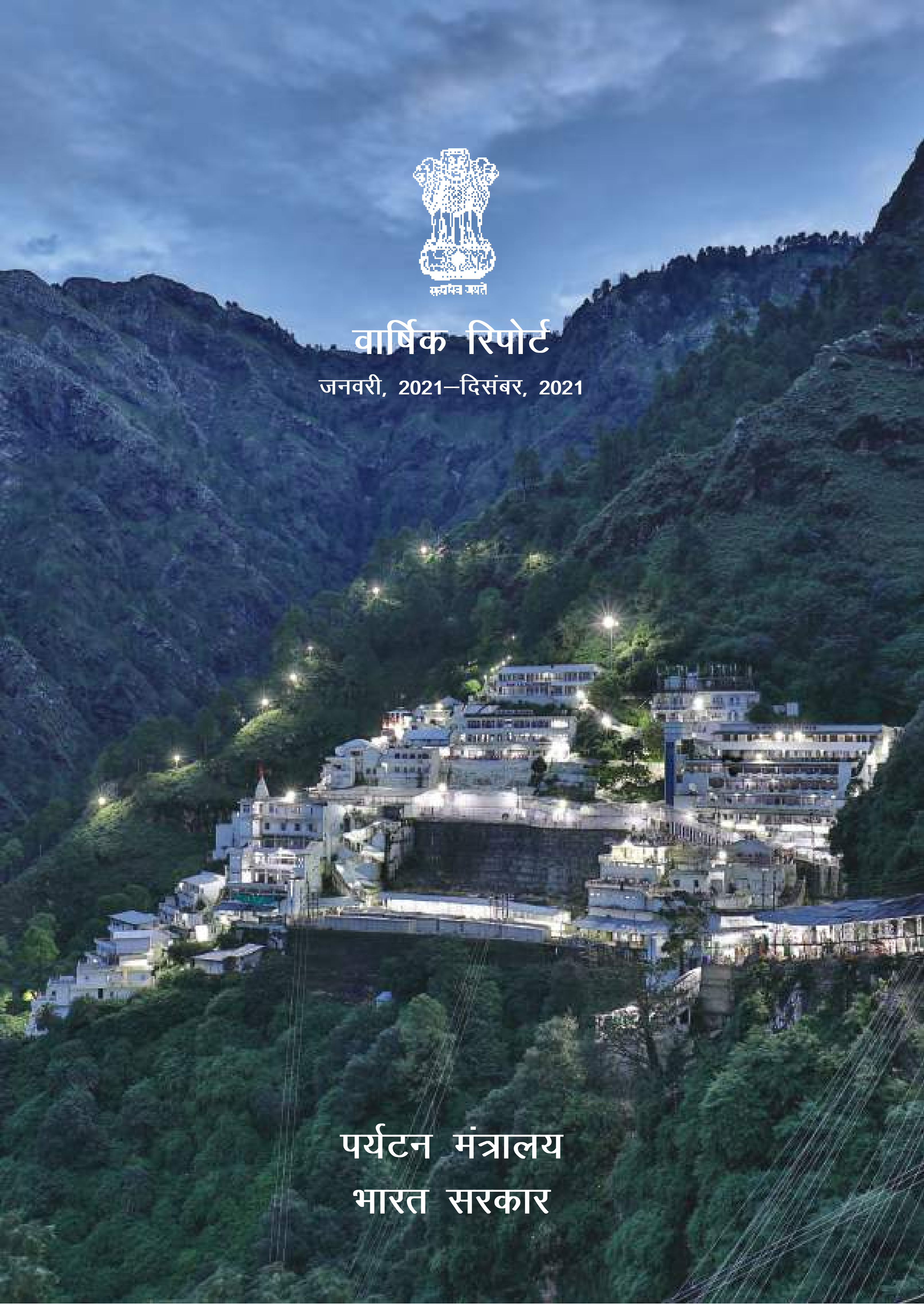

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

जनवरी, 2021–दिसंबर, 2021

पर्यटन मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

विषय सूची

अध्याय सं.	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	पर्यटन – सिंहावलोकन	5
2	पर्यटन मंत्रालय और इसके कार्य	13
3	पर्यटन मंत्रालय – भूमिका, सहक्रिया और अभिसरण	17
4	पर्यटन अवसंरचना विकास	21
5	नए पर्यटन उत्पाद (आला पर्यटन)	27
6	होटल एवं यात्रा व्यवसाय	37
7	मानव संसाधन विकास	51
8	प्रचार एवं विपणन	59
9	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	69
10	भारतीय पर्यटन विकास निगम	77
11	सांख्यिकी, सर्वेक्षण और अध्ययन	93
12	घरेलू कार्यालय	99
13	पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर – विशेष जोर	105
14	लैंगिक समानता	109
15	कल्याणकारी उपाय	113
16	सतर्कता	117
17	अदालत के मामले	121
18	विभागीय लेखांकन संगठन	131
19	लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियां	135
20	सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	139
21	राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग	143
22	स्वच्छ भारत मिशन	147
I	भारत में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय	152
II	विदेश में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय	153
III	मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण	154
IV	स्वदेश दर्शन, प्रशाद, केंद्रीय एजेंसियों और मेलों एवं उत्सवों के तहत जारी की गई निधियों का विवरण	155
V	सर्वेक्षण और अध्ययन	167
VI	सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) के अंतर्गत जारी निधियों का एजेंसी–वार विवरण	168

अध्याय 1

पर्यटन–सिंहावलोकन

अध्याय
1

पर्यटन–सिंहावलोकन

1.1 आर्थिक महाशक्ति के रूप में पर्यटन क्षेत्र का बढ़ता प्रभाव और विकास के एक उपकरण के रूप में इसकी क्षमता अकाट्य है। पर्यटन क्षेत्र न केवल विकास में अग्रणी वृद्धि करता है, बल्कि बड़े पैमाने पर विविध प्रकार के रोजगार सृजित करने की क्षमता के साथ लोगों की जीवन गुणवत्ता में भी सुधार करता है। यह पर्यावरण संरक्षण, चैंपियन विविध सांस्कृतिक विरासत का समर्थन करता है और दुनिया में शांति को सुदृढ़ करता है।

1.2 पर्यटन मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य भारत में पर्यटन को सुगम बनाना और मजबूत करना है। पर्यटन की बुनियादी अवसंरचना को बढ़ाना, वीजा व्यवस्था को आसान बनाना, पर्यटन सेवा प्रदाताओं की सेवाओं में गुणवत्ता मानकों का आश्वासन, देश को 365 दिनों के पर्यटन स्थल के रूप में पेश करके सतत पर्यटन का संवर्धन आदि कुछ ऐसे नीतिगत क्षेत्र हैं जिन पर भारत में पर्यटन को बढ़ाने और सुगम बनाने के लिए लगातार काम करने की आवश्यकता है।

1.3 पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 48.6 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के साथ, 2021 के दौरान विदेशी पर्यटकों का आगमन (एफटीए) 1.41 मिलियन (जनवरी–दिसंबर) (अनंतिम) था।

1.4 पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 76.3 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के साथ विदेशी मुद्रा आय (एफईई) जनवरी, 2020 – दिसम्बर, 2020 की अवधि के दौरान 50,136 करोड़ रुपए (अनंतिम अनुमान) थी। जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 76.9 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि के साथ, जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आय (एफईई) 6.958 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अनंतिम अनुमान) थी।

1.5 आने वाले पर्यटन को बढ़ाने के लिए सुविधाजनक वीजा व्यवस्था एक पूर्वापेक्षा है। पर्यटन मंत्रालय इसे प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ पहल करता है। दिसंबर, 2020 तक, पांच उप–श्रेणियों अर्थात 'ई–टूरिस्ट वीजा', 'ई–बिजनेस वीजा', 'ई–मेडिकल वीजा', 'ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा' और 'ई–कॉन्फ्रेंस वीजा' के तहत 171 देशों के नागरिकों के लिए ई–वीजा सुविधा का विस्तार किया गया है। इस सूची में जोड़ा गया नया देश टोगो है। ई–वीजा 28 नामित हवाई अड्डों और 5 नामित समुद्रपत्त नों के माध्यम से प्रवेश के लिए वैध है।

1.6 वीज़ा शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है और इसे काफी कम कर दिया गया है, जिसमें ई–पर्यटक वीज़ा शुल्क 5 वर्षों के लिए +80, 1 वर्ष के लिए +40 और एक महीने के ई–पर्यटक वीज़ा शुल्क को कम मौसम के लिए + 10 और पीक सीज़न के लिए +25 तक कम कर दिया गया है।

1.7 देश में पर्यटन की बुनियादी अवसंचना के निर्माण के लिए, पर्यटन मंत्रालय ने 2014–15 के दौरान दो प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं, अर्थात "स्वदेश दर्शन" – विषय– आधारित पर्यटक परिपथ का एकीकृत विकास और देश में ऐतिहासिक स्थानों और विरासत शहरों सहित पर्यटन बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिए "प्रशाद" – तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान।

1.8 पर्यटन मंत्रालय ने देश में विषयगत पर्यटन परिपथों के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2014–15 में स्वदेश दर्शन योजना शुरू की थी। मंत्रालय ने इस योजना के तहत 13 विषयों के तहत अपनी स्थापना के बाद से 5524.81 करोड़ रुपए की संशोधित स्वीकृत लागत पर 76 परियोजनाओं को स्वीकृति

प्रदान की है और 4417.53 करोड़ रुपए (31.12.2021 तक) जारी किए हैं।

1.9 प्रसाद योजना के तहत, वर्तमान में 29 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में विकास के लिए 57 स्थलों की पहचान की गई है। योजना की शुरुआत के बाद से 24 राज्यों में 37 परियोजनाओं के लिए 1210 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और संचयी रूप से 757 करोड़ रुपए (31.12. 2021 तक) जारी किए जा चुके हैं।

1.10 पर्यटन मंत्रालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), भारतीय बंदरगाह न्यास, भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) आदि जैसी केंद्रीय एजेंसियों को उनके अधिकार क्षेत्र/नियंत्रण के तहत संभावित स्थलों को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 2020–21 से संबंधित पर्यटन बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के लिए विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों को कुल 62.85 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

1.11 पर्यटन मंत्रालय ने 'प्रतिष्ठित पर्यटक स्थल विकास परियोजना' के तहत विकास के लिए देश में 19 प्रतिष्ठित स्थलों की पहचान की है और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, स्थानीय समुदाय और उद्योग/निजी क्षेत्र के साझीदारों के सहयोग से इन स्थलों के विकास को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

1.12 पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन में 'मौसमी' चुनौती को दूर करने और भारत को 365 दिनों के गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए देश के प्रमुख पर्यटन उत्पादों जैसे क्रूज, एडवेंचर, चिकित्सा, निरोगता, गोल्फ, पोलो, 'माइस' (बैठक प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनी), इको– पर्यटन, फिल्म पर्यटन, सतत पर्यटन आदि की पहचान, विविधीकरण, विकास और प्रचार की पहल की है।

1.13 भारत में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक नागरिक को वर्ष 2022 तक कम से कम 15 गंतव्यों का दौरा करने के लिए स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई अपील के अनुसरण में, मंत्रालय ने जनवरी 2020 में देखो अपना देश पहल शुरू की थी। देखो अपना देश मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट और घरेलू भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जाता है। इस पहल के तहत मंत्रालय हितधारकों के साथ जुड़े रहने और नागरिकों को देश के भीतर यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वेबिनार, प्रश्नोत्तरी, प्रतिज्ञा, चर्चा का आयोजन करता रहा है।

1.14 पर्यटकों के विभिन्न वर्गों के लिए अपेक्षित मानकों के अनुरूप, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, यह मंत्रालय होटलों को स्टार रेटिंग प्रणाली के तहत वर्गीकृत करता है। इस प्रणाली के तहत, होटलों को एक सितारा से तीन सितारा, चार और पांच सितारा –शराब के साथ या बिना– पांच सितारा डीलक्स, विरासत (बेसिक), विरासत (क्लासिक), विरासत (भव्य), लिगेसी विंटेज (बेसिक), लिगेसी विंटेज (क्लासिक) और लिगेसी विंटेज (भव्य) की रेटिंग दी जाती है। मंत्रालय ने होटल परियोजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करने, प्रसंस्करण करने और संदेश भेजने/ अनुमोदन देने, कार्यरत होटलों को होटल वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण की स्थिति और निर्माणाधीन होटल के लिए परियोजना स्तरीय अनुमोदन की ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। इस ऑनलाइन प्रक्रिया को पेमेंट गेटवे के साथ भी एकीकृत किया गया है। पर्यटन मंत्रालय स्वैच्छिक योजनाओं के तहत टाइमशेयर रिसॉर्ट्स, अपार्टमेंट होटल, गेस्ट हाउस, बैड एवं ब्रेकफास्ट/होमस्टे प्रतिष्ठान, टेंट आवास, ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर, एकल हवाई खानपान इकाई, कन्वेंशन सेंटर और एकल (स्टैंडअलोन) रेस्तरां को स्वीकृति प्रदान करता है।

1.15 सरकार ने अब ई–वीजा के साथ आने वाले क्रूज पर्यटकों को बायो–मीट्रिक नामांकन की आवश्यकता से छूट दी है। ई–वीजा प्राप्त करने वाले पर्यटकों के लिए प्रवेश समुद्रपत्तन मुंबई, कोचीन, मोरमुगाओ, चेन्नई और न्यू मैंगलोर हैं।

1.16 सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए ई–सम्मेलन वीजा के अनुरूप ही, निजी व्यक्तियों/ कंपनियों/संगठनों द्वारा आयोजित निजी सम्मेलनों के लिए ई–सम्मेलन वीजा प्रदान किए जाएंगे।

1.17 ई–मेडिकल वीज़ा और ई–मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा के लिए तीन प्रवेश (ट्रिपल एंट्री) की अनुमति है और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ)/ विदेशी पंजीकरण द्वारा प्रत्येक मामले की योग्यता के

आधार पर तथा केस–टू–केस आधार पर छः महीने तक का विस्तार दिया जा सकता है। संबंधित अधिकारी (एफआरओ)। मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा प्रिंसिपल ई–वीज़ा धारक की वैधता के साथ सह–टर्मिनस आधार पर होगा।

1.18 हालांकि, मार्च, 2020 में, कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए और इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा वीजा जारी करना निलंबित कर दिया गया था। बाद में, कुछ सामान्य होने पर और पर्यटन मंत्रालय द्वारा ई–पर्यटक वीजा की बहाली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई पर, गृह मंत्रालय द्वारा यह सूचित किया गया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति की सिफारिश के अनुसार, गृह मंत्रालय ने दिनांक 30.03.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 156 देशों के नागरिकों के लिए सभी उप–श्रेणियों (ई–पर्यटन वीजा को छोड़कर) के साथ ई–वीजा व्यवस्था बहाल कर दी है। तब यह भी बताया गया था कि ई–पर्यटक वीजा की बहाली पर निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा।

1.19 इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कोविड संबंधित दिशा–निर्देशों के अधीन पर्यटन उद्देश्यों के लिए भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों के लिए प्रतिबंध में छूट प्रदान की है।

ii. 15 अक्टूबर, 2021 से चार्टर्ड उड़ानों और समूह–बुकिंग के माध्यम से भारत आने वाले पर्यटकों के लिए ई–पर्यटक वीजा/पर्यटक वीजा बहाल कर दिया गया है।

iii. ई–पर्यटक वीजा/पर्यटक वीजा उन सभी एकल विदेशी नागरिकों के लिए 15 नवंबर, 2021से पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है जो पर्यटन उद्देश्यों के लिए भारत आने का इरादा रखते हैं।

iv. प्रारंभ में, ई–पर्यटक/पर्यटक वीजा 30 दिनों की वैधता के साथ जारी किया जा रहा है। ई–पर्यटक वीजा/पर्यटक वीजा का विस्तार निलंबित रहेगा।

1.20 पर्यटन मंत्रालय ने भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी और सुरक्षा और संरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए फरवरी, 2016 में हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में टोल फ्री नंबर 1800111363/ संक्षिप्त कोड 1363 पर 24x7 टोल फ्री बहुभाषी पर्यटक सूचना–हेल्पलाइन आरंभ की है। इस पर्यटक हेल्पलाइन द्वारा संचालित भाषाओं में अंग्रेजी और हिंदी के अलावा दस अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं अर्थात् अरबी, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, जापानी, कोरियाई, चीनी, पुर्तगाली, रूसी और स्पेनिश शामिल हैं।

1.21 पर्यटन मंत्रालय ने बेहतर योजना और त्वरित प्रश्न समाधान के साथ पर्यटकों की सहायता के लिए मंत्रालय की वेबसाइट (www.incredibleindia.org) पर 24/7 लाइव चैट सेवा इंटरफ़ेस प्रस्तुत किया है। लाइव चैट सेवा अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को उनके प्रश्नों और यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाने में सहायता करती है।

1.22 पर्यटन मंत्रालय अपने घरेलू कार्यालयों के माध्यम से सभी राज्यों में होम स्टे/अतुल्य भारत बैड एवं ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों के संवर्धन के लिए संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है।

1.23 पर्यटन मंत्रालय का यह प्रयास रहा है कि वह प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा की एक प्रणाली स्थापित करे, जिसमें आवश्यक बुनियादी संरचना का समर्थन हो, जो पर्यटन और आतिथ्य उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मानवशक्ति उत्पन्न करने में मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों, रूपों में सक्षम हो। अब तक, 48 होटल प्रबंधन संस्थान), (21 केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थान और 27 राज्य होटल प्रबंधन संस्थान शामिल हैं) और 13 पाक कला संस्थान (एफसीआई) हैं, जो मंत्रालय की सहायता से स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर में एक (1) केंद्रीय होटल प्रबंधन संस्थान निर्माणाधीन है।

1.24 पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक सुविधाप्रदाताओं के ऑनलाइन प्रशिक्षण और मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से एक केंद्रीकृत अखिल भारतीय ई–लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम अच्छी तरह से प्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधाकर्ताओं के एक पूल के निर्माण को सक्षम बनाका

पेलिंग, खंगचेंदज़ोंगा जलप्रपात–सिक्किम

दूरदराज के क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करेगा जिससे सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से भारतीय पर्यटन को भी लाभान्वित होंगे।

1.25 साथ ही, मौजूदा क्षेत्रीय स्तरीय गाइड (आरएलजी) का नाम बदलकर अतुल्य भारत पर्यटक गाइड (आईआईटीजी) कर दिया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों में किए गए प्रावधान के अनुसार, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के पूरा होने पर उसका नाम बदल दिया जाएगा और साथ ही उनके परिचालन के क्षेत्र को एक निर्दिष्ट क्षेत्र से पूरे भारत में विस्तारित किया गया है। यह अतुल्य भारत पर्यटक गाइड पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है और यह अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाणपत्र आधिकारिक वेबसाइट, https://iitf.gov.in/ पर उपलब्ध है।

1.26 आरसीएस–उड़ान को क्षेत्रीय हवाई संपर्क को किफायती बनाकर सुगम/प्रेरणादायी करने के मुख्य उद्देश्य के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और हवाईअड्डा ऑपरेटरों द्वारा एयरलाइन संचालन की लागत को कम करने और ऐसे मार्गों पर एयरलाइन संचालन की लागत और अपेक्षित राजस्व के बीच अंतर को, यदि कोई हो, पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से किया जाता है। आरसीएस–उड़ान –3 के तहत, 46 पर्यटन मार्गों के साथ सम्पर्कता में और सुधार हुआ है, जिसमें प्रतिष्ठित स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों से बेहतर सम्पर्कता शामिल है, जिनमें से 29 मार्गों को अब तक चालू कर दिया गया है।

1.27 पर्यटक सुविधा और सूचना काउंटर गैर–अंग्रेजी भाषी पर्यटकों की आवश्कताओं को पूरा करता है और पर्यटन मंत्रालय की 24x7 हेल्पलाइन – '1363' से भी जुड़ा है जहां पर्यटक विदेशी भाषा एजेंटों के साथ सीधे ही बात कर सकते हैं और फ्रेंच, जर्मन, इतालवी, पुर्तगाली, रूसी, जापानी, कोरियाई, चीनी और अरबी भाषाओं में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। यह वर्तमान में नई दिल्ली, वाराणसी, बोधगया, बंगलूरू, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी और हैदराबाद में उपलब्ध है।

1.28 संकटग्रस्त पर्यटन क्षेत्र को राहत प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 28.06.2021 को की गई घोषणा के बाद, पर्यटन मंत्रालय द्वारा कोविड प्रभावित पर्यटन क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस) शुरू की गई है। यह एक

संपार्श्विक मुक्त ऋण गारंटी योजना है, जिसके तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंट/ पर्यटन परिवहन ऑपरेटरों को 10.00 लाख रुपये तक बढ़ाया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक क्षेत्रीय पर्यटक गाइड/अतुल्य भारत पर्यटक गाइड और राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित/ मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड को 1.00 लाख रुपये दिए जाएंगे। यह योजना 31.03.2022 तक वैध है।

1.29 देश के प्रतिबंधित/ संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों के बेहतर और सुगम यात्रा अनुभव के लिए, पर्यटन मंत्रालय नियमित रूप से गृह मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है और इसके परिणामस्वरूप, गृह मंत्रालय ने मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड राज्यों और संघ शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पीएपी/आरएपी को और पांच वर्ष की अधिक अवधि यानी 31.12.2022 तक के लिए शिथिल कर दिया है।

1.30 अतुल्य भारत वेबसाइट गूगल 360 वॉकथ्रू और कहानियों सहित नई सामग्री की श्रृंखला दिखाती है, जो पर्यटकों को हमारे पर्यटक आकर्षणों के माध्यम से चलने के लिए आभासी सामग्री प्रदान करती है। इसके अलावा, अतुल्य भारत वेबसाइट अधिक मजबूत और विनियमित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रबंधन समाधान (ईसीएम) के माध्यम से पर्यटकों की रुचि और भारत की यात्रा के बारे में सही निर्णय लेने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई सामग्री के आधार पर अतुल्य भारत वेबसाइट पर पर्यटक जुड़ाव को अधिकृत करने की अग्रिम विश्लेषण क्षमता के साथ दुनिया भर में अधिक निजीकृत सामग्री प्रदान करती है। आरम्भ होने (अर्थात 14 जून, 2018) के बाद से भारत की शानदार विरासत, उत्सव, आध्यात्मिकता, संग्रहालयों और रोमांच के व्यापक अनुभव में संलग्न, अतुल्य भारत वेबसाइट पर इसे 14 मिलियन बार देखा गया है। शीर्ष 5 देश–वार आगंतुक यातायात इस प्रकार है – भारत (33.4 प्रतिशत), संयुक्त राज्य अमेरीका (10.1 प्रतिशत), रूस (8.5 प्रतिशत), यूनाइटेड किंगडम (5.8 प्रतिशत), और जर्मनी (4.8 प्रतिशत)।

1.31 'अतुल्य भारत' मोबाइल एप्लिकेशन, 27 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया, अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को उन गंतव्यों, आकर्षणों और अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है जो अतुल्य भारत की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित हैं। इस जानकारी के साथ, मोबाइल ऐप में मानचित्र एकीकरण, आपातकालीन संपर्कों की सूची और कई अन्य जानकारी भी शामिल है। मोबाइल ऐप पर्यटकों को अवश्य ही घूमने लायक जगहों, देश भर के लोकप्रिय अनुभवों और आयोजनों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की पर्यटन जानकारी आदि के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करता है।

1.32 भारत में बौद्ध पर्यटन, एक पर्यटन उत्पाद के रूप में, दुनिया भर के 500 मिलियन प्रगाढ़ बौद्धों को "बुद्ध की भूमि" की ओर आकर्षित करने की जबरदस्त क्षमता है। 23 अगस्त 2018 को बौद्ध सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान, मंत्रालय ने वेबसाइट Indiathelandofbuddha की शुरूआत की थी। इस वेबसाइट का उद्देश्य भारत में समृद्ध बौद्ध विरासत का संवर्धन करना और प्रदर्शित करना है और आधुनिक मठों सहित उनके शिष्यों द्वारा छोड़े गए बौद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के अलावा भगवान बुद्ध द्वारा देश भर में व्यक्तिगत रूप से यात्रा किए गए प्रमुख गंतव्यों को उजागर करना है।

1.33 पर्यटन मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 26 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भारत पर्व– 2021 का आयोजन किया। पर्व के आयोजन का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना था।

1.34 पर्यटन मंत्रालय अपने–अपने क्षेत्र/क्षेत्राधिकार में पर्यटन स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रयासों को मान्यता देता है और "स्वच्छ पर्यटन स्थान" और "पर्यटन स्थलों के सर्वश्रेष्ठ नागरिक प्रबंधन" के पुरस्कार प्रदान करता है।

1.35 ''एक विरासत को अपनाएं – 'अपनी धरोहर, अपनी पहचान'' परियोजना के तहत, भारत भर में सत्ताईस (27) स्थलों और दो (2) तकनीकी हस्तक्षेपों के लिए 15 स्मारक मित्रों से 29 समझौता ज्ञापन किए गए हैं।

1.36 पर्यटन मंत्रालय ने कोविड–19 संकट का समय पर संज्ञान लिया और संकट के प्रभाव के कारण विदेशी पर्यटकों के लिए जोखिम और कठिनाइयों को कम करने के लिए उद्योग हितधारकों के साथ काम किया। मंत्रालय ने कोविड–19 के कारण संकट का जवाब देने और

संकट के दौरान उद्योग और विदेशी पर्यटकों को सहायता प्रदान करने के लिए कोविड–19 प्रकोष्ठ की स्थापना की है।

देश में फंसे विदेशी पर्यटकों को सुविधा और उन्हें सहायता प्रदान करने की दृष्टि से मंत्रालय ने सेवाओं के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए 'भारत में फंसे' पोर्टल की स्थापना की थी, जो उनके द्वारा प्राप्त की जा सकती थीं। पोर्टल ने पर्यटकों को राज्य/संघ शासित प्रदेश के पर्यटन विभागों और पर्यटन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों की जानकारी/विवरण प्राप्त करने में मदद की। वेबसाइट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आप्रवासन ब्यूरो, पर्यटन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए हैं।

मंत्रालय की चौबीसों घंटे की पर्यटक सूचना–हेल्पलाइन पर भी कोविड–19 से संबंधित कॉल आए थे और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों/प्राधिकारियों द्वारा जारी परामर्श/दिशानिर्देशों के आधार पर उनका जवाब दिया था।

1.37 सरकार ने एक समर्पित अव्यगत कोष निधि – निर्भया कोष की स्थापना की है, जिसे आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है, जिसका उपयोग विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार के लिए डिज़ाइन की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.03.2015 को जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) नोडल मंत्रालय है, जिसके पास प्रस्तावों और योजनाओं के मूल्यांकन/सिफारिश करने, लाइन मंत्रालय/ विभाग स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करने की जिम्मेदारी है।

1.38 कोविड–19 के बाद के पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, पर्यटन मंत्रालय ने व्यापार की सुचारू और सुरक्षित बहाली की सुविधा के लिए यात्रा क्षेत्र में पर्यटन सेवा प्रदाताओं के विभिन्न क्षेत्रों के लिए परिचालन सिफारिशें तैयार की हैं। ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, टूरिस्ट गाइड्स और सुविधाप्रदाताओं के लिए ऐसी सिफारिशें जारी की गई हैं। वे राज्य सरकारों और पर्यटन/आतिथ्य हितधारकों के परामर्श से और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी किए गए समग्र दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे।

1.39 पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 08.12.2020 को पर्यटन सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं जो जनवरी, 2021 से प्रभावी हैं। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रीनशूट/स्टार्ट–अप–एजेंसियों की श्रेणी पहली बार पेश की जा रही है। संशोधित दिशा–निर्देशों के अनुसार पहली बार ग्रीनशूट/स्टार्ट–अप एजेंसियों की श्रेणी शुरू की गई है। यह सरकार की नीति के अनुरूप है। स्टार्ट–अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए भारत का और 'आत्मनिर्भर भारत' के उद्देश्य को भी आगे बढ़ाएगा। इस श्रेणी के लिए न्यूनतम वार्षिक कारोबार और पिछले अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रावधान भारत सरकार की स्टार्टअप नीति के अनुरूप हैं। प्रदत्त पूंजी की आवश्यकता और स्टाफ की संख्या भी अन्य श्रेणियों की तुलना में कम होगी।

1.40 भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्रोत बाजारों के लिए प्रोत्साहन के भौगोलिक प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए 500,000 मुफ्त वीजा की घोषणा की है, मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि मुफ्त वीजा को स्रोत बाजारों में तर्कसंगत रूप से विभाजित किया जा सकता है ताकि विभिन्न राष्ट्रीयताओं के आनेवाले पर्यटकों द्वारा लाभ उठाया जा सके।

1.41 भारत वर्तमान में यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक (टीटीसीआई)–2019 में 140 देशों में से 34वें स्थान पर है। 2013 में इसके 65वें स्थान से यह एक महत्वपूर्ण सुधार था। पर्यटन मंत्रालय टीटीसीआई में भारत की स्थिति में सुधार के लिए कई पहल कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पर्यटन क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए टीटीसीआई से विकसित एक राज्य मूल्यांकन संरचना विकसित कर रहा है, जिससे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो रही है ताकि आगे की प्रगति के लिए प्रयास किया जा सके और टीटीसीआई में भारत की स्थिति में सुधार किया जा सके।

❖❖❖

अध्याय 2

पर्यटन मंत्रालय और इसके कार्य

अध्याय
2

पर्यटन मंत्रालय और इसके कार्य

2.1 संगठन

पर्यटन के विकास और प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करने के लिए पर्यटन मंत्रालय नोडल एजेंसी है। मंत्रालय इस प्रक्रिया में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों, राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित इस क्षेत्र के अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करता है और उनके साथ मिलाकर काम करता है।

श्री जी किशन रेड्डी पर्यटन मंत्री हैं।

श्री श्रीपद येसो नाइक और श्री अजय भट्ट पर्यटन राज्य मंत्री हैं।

सचिव (पर्यटन) मंत्रालय के कार्यपालक प्रमुख हैं। पर्यटन महानिदेशालय के देश में 20 घरेलू फील्ड कार्यालय और एक भारतीय स्कीइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान तथा विदेश में 08 कार्यालय हैं। विदेशों में स्थित कार्यालय विदेशी बाजारों में भारतीय पर्यटन का प्रचार प्रसार करते हैं।

घरेलू फील्ड कार्यालय देश में पर्यटन क्षेत्र के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वाह करते हैं। वे मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने में भी शामिल हैं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) पर्यटन मंत्रालय के प्रभार के अधीन एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है।

मंत्रालय के निम्नलिखित स्वायत्त संस्थान भी हैं :

(i) भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम)।

(ii) राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी); और होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम); और होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम)।

(iii) भारतीय पाकशाला संस्थान (आईसीआई)।

2.2 पर्यटन मंत्रालय की भूमिका और कार्य

2.2.1 पर्यटन मंत्रालय के निम्नलिखित मुख्य कार्य हैं:

1) नीति संबंधी सभी मामले, जिनमें निम्नालिखित शामिल हैं :

(क) विकास नीतियां
(ख) प्रोत्साहन
(ग) बाह्य सहायता
(घ) जनशक्ति विकास
(ङ) संवर्धन एवं विपणन
(च) निवेश सुगमता
(छ) संवृद्धि कार्यनीतियां

2) आयोजना

3) अन्य मंत्रालयों, विभागों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ समन्वय

4) विनियमन :

(क) मानक
(ख) दिशानिर्देश

5) अवसंरचना एवं उत्पाद विकास :

(क) केन्द्रीय सहायता
(ख) पर्यटन उत्पादों का वितरण

6) अनुसंधान, विश्लेषण, निगरानी एवं मूल्यांकन

7) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं बाह्य सहायता

(क) अंतर्राष्ट्रीय निकाय
(ख) द्विपक्षीय करार
(ग) बाह्य सहायता
(घ) विदेशी तकनीकी सहयोग

8) विधि निर्माण एवं संसदीय कार्य

9) स्थापना के मामले

पालोलेम बीच–गोवा

10) फील्ड कार्यालयों के कामकाज की समग्र समीक्षा

11) सतर्कता के मामले

12) राजभाषा : राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

13) वीआईपी संदर्भ

14) बजट समन्वय तथा संबंधित मामले

15) योजना समन्वय

16) विदेश विपणन (ओएम) कार्य

17) कल्याण, शिकायतें एवं प्रोटोकॉल

2.2.2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस मंत्रालय के निम्नलिखित कार्य भी हैं :

1) फील्ड कार्यालयों से फीडबैक प्रदान करके नीतियों के निर्माण में सहायता

2) योजनागत परियोजनाओं की निगरानी और योजना निर्माण में सहायता करना

3) फील्ड कार्यालयों की गतिविधियों का समन्वय करना और उनकी देखरेख

4) विनियमन :

(क) होटलों, रेस्टोरेंटों, अतुल्य भारत की बेड एवं ब्रेकफास्ट (आईआईबीएंडबी) यूनिटों का अनुमोदन एवं वर्गीकरण

(ख) ट्रेवल एजेंटों, टूर आपरेटरों तथा पर्यटक परिवहन प्रचालकों आदि का अनुमोदन

5) निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण :

(क) गाइड सेवा

(ख) शिकायतें एवं निवारण

6) अवसंरचना विकास :

(क) प्रोत्साहन राशि जारी करना

(ख) पर्यटक सुविधा और जानकारी

(ग) समागम और सम्मेलन

7) मानव संसाधन विकास :

(क) एचआरडी संस्थानों का विकास करना

(ख) मानक और दिशानिर्देश तय करना

8) प्रचार एवं विपणन :

(क) नीति

(ख) रणनीतियां

(ग) समन्विय

(घ) पर्यवेक्षण

(ङ) संवर्धन एवं विपणन

(च) आतिथ्य कार्यक्रम

9) संसदीय कार्य

10) पर्यटन मंत्रालय के स्थापना मामले

❖❖❖

अध्याय 3

पर्यटन मंत्रालय – भूमिका, सहक्रिया और अभिसरण

अध्याय
3

पर्यटन मंत्रालय – भूमिका, सहक्रिया और अभिसरण

3.1 भूमिका

इस मंत्रालय के क्रियाकलाप भारत में आंतरिक पर्यटन अर्थात अंतर्गामी और घरेलू पर्यटन दोनों को बढ़ावा देने पर केन्द्रित रहते हैं। यह देश में रोजगार और गरीबी उन्मूलन पर इसके प्रत्यक्ष और गुणक प्रभावों का उपयोग करने के लिए आवश्यक है। मंत्रालय के अन्य प्रमुख उद्देश्य देश को 365 दिनों के पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने, समाज के सभी घटकों की सक्रिय भागीदारी द्वारा सतत रूप से पर्यटन का संवर्धन करने, पर्यटन सेवा प्रदाताओं में गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने आदि से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न हितधारकों के साथ प्रभावी भागीदारी द्वारा पर्यटन अवसरंचना और सुविधाओं के एकीकृत विकास पर भी ध्यान केंद्रित है। पर्यटन विकास में सरकार की भूमिका विनियामक से बदल कर उत्प्रेरक की हो गई है और इसके लिए विभिन्न हितधारकों के साथ सहक्रिया और अभिसरण आवश्यक है। इसकी वजह से यह कार्य अत्यन्त ही चुनौतीपूर्ण हो गया है।

3.2 सहक्रिया और अभिसरण

3.2.1 हितधारक

पर्यटन मंत्रालय का सतत प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि पर्यटन क्षेत्र के विभिन्न सेगमेंट, साझेदार मंत्रालय और उनकी क्रियान्वयन एजेंसियां (संगठन, प्राधिकरण, ब्यूरो, साझेदारी, निगम और उपक्रम), राज्य मशीनरी और उद्योग संघ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और पर्यटन के वृहत हितलाभ के साथ आकांक्षाओं का संयोजन करें।

3.2.2 साझेदार मंत्रालय

अभिसरण के अपने प्रयास में पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे कि वित्त, विदेश, संस्कृति, नागरिक उड्डयन, शहरी विकास, सड़क परिवहन और राजमार्ग, रेलवे, आदि और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ मिलकर काम करता है।

3.2.3 सरकार की क्रियान्वयन एजेंसियां

मंत्रालय का उन क्रियान्वयनकारी/कार्यात्मक एजेंसियों के साथ सुदृढ़ संबंध है जो अलग अलग मंत्रालयों के तहत कार्यरत हैं। इनमें संगठन, प्राधिकरण, ब्यूरो, साझीदारियां, निगम और उपक्रम जैसे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), आप्रवास ब्यूरो (बीओआई), भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी), भारतीय सम्मेलन संवर्धन ब्यूरो (आईसीपीबी), पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय पर्यटन वित्त निगम (टीएफसीआई), एक्सपेरियंस इंडिया सोसायटी इत्यादि शामिल हैं।

3.2.4 उद्योग संघ

पर्यटन मंत्रालय उद्योग संघों जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई), एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), ट्रेवल एजेंट्स ऐसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआई), इंडियन ऐसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ), इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईटीटीए), एसोसिएशन ऑफ डॉमेस्टिक टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया (एडीटीओआई), एडवेंचर टूर ऑपरेटर ऑफ इंडिया (एटीओआई), फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोडरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई), होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एचएआई), इंडियन हेरिटेज होटल एसोसिएशन (आईएचएचए), एसोसिएशन ऑफ इंडियन टूरिज्म एंड हास्पिटेलिटी (एफएआईटीएच), और ऑल इंडिया रिजार्ट

डेवलपमेंट एसोसिएशन (एआईआरडीए) आदि के साथ सतत वार्ता करता रहता है।

3.2.5 पर्यटन क्षेत्र संबंधी अंतर्मंत्रालयी समन्वय समिति

पर्यटन अनिवार्य रूप से एक बहु–क्षेत्रक गतिविधि है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ संलग्नता और समन्वय की आवश्यकता होती है। देश में पर्यटन के विकास में शामिल अंतर–मंत्रालयी/विभागीय मुद्दों के समाधान को सुगम बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय के पास मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में गठित पर्यटन क्षेत्र के लिए अंतर–मंत्रालयी समन्वय समिति (आईएमसीसी टीएस) के रूप में एक प्रभावी तंत्र है।

इस समिति में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, राजस्व विभाग, व्यय विभाग, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, आदि शामिल हैं। सचिव, पर्यटन मंत्रालय समिति के सदस्य संयोजक हैं। अब तक समिति की 8 बैठकें हो चुकी हैं।

3.2.6 पर्यटन कार्यबल का गठन

पर्यटन सेक्टोरल योजना पर सचिवों के सेक्टोरल ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर, पर्यटन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए गृह मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, रेल मंत्रालय/आईआरसीटीसी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय एवं खेल मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से प्रतिनिधियों के साथ सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है। इनमें शामिल होंगे :

- हवाई, रेल एवं सड़क संपर्क, एयरपोर्ट विकास के लिए पर्यटन स्थलों की पहचान करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू मार्ग, पर्यटन स्थलों पर एयरपोर्ट जहां कस्टम एवं आप्रव्रजन की सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता है, पर्यटन स्थलों पर स्थित अप्रयुक्त एवं कम प्रयुक्त एयरपोर्ट, तीर्थ स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्यों/स्थलों को जोड़ने वाली पर्यटन ट्रेन शुरू करना और रलवे स्टेशनों का उन्नयन, पर्यटन स्थलों का सड़क संपर्क,
- स्मारकों एवं संग्रहालयों सहित सांस्कृतिक एवं विरासत स्थलों का विकास एवं संवर्धन,
- क्रूज पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन आदि सहित आला पर्यटन सेगमेंट का संवर्धन
- पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा
- पर्यटकों को वीजा की सुविधाएं प्रदान करना
- कोई अन्य अंतर मंत्रालयी/अंतर विभागीय मुद्दा जो पर्यटन को प्रभावित करता है

3.2.7 राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद

राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद (एनटीएसी) पर्यटन मंत्रालय के विचार मंच के रूप में कार्य करती है। माननीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में वर्तमान एनटीएसी का गठन 27 अक्तूबर, 2016 को किया गया, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष है। इस समिति में महत्व पूर्ण मंत्रालय, यात्रा और पर्यटन प्रबंधन के क्षेत्र के अलग अलग विशेषज्ञ और उद्योग संघों के पदेन सदस्य शामिल हैं। 2019–20 के दौरान परिषद की दो बैठकों का आयोजन किया गया। पहली बैठक 12 अप्रैल 2018 को दिल्ली में और दूसरी बैठक 21 फरवरी 2019 को गुजरात में हुई थी। एनटीएसी की तीसरी बैठक 4 अक्तूबर, 2019 को वीआईपी लाउंज, पर्यटन पर्व, राजपथ मैदान, नई दिल्ली में हुई थी।

❖❖❖

अध्याय 4

पर्यटन अवसंरचना विकास

अध्याय
4

पर्यटन अवसंरचना विकास

4.1.1 विशिष्ट थीमों पर आधारित टूरिस्ट सर्किटों का समेकित विकास – स्वदेश दर्शन : पर्यटन मंत्रालय ने देश में थीमेटिक पर्यटन परिपथ के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2014–15 में स्वदेश दर्शन योजना शुरू की थी। मंत्रालय ने इस योजना के तहत 13 थीमों के तहत अपनी स्थापना के बाद से 5524.81 करोड़ रूपये की संशोधित स्वीकृत लागत से 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी हैऔर 4417.53 करोड़ रुपये (31.12.2021 तक) जारी किए हैं।

योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं:

(1) स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में पर्यटन के योगदान को बढ़ाना

(2) स्थानीय समुदायों के लिए स्वरोजगार सहित रोजगार सृजित करना

(3) पर्यटन और आतिथ्य में स्थानीय युवाओं के कौशल को बढ़ाना

(4) पर्यटन और आतिथ्य में निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि करना

(5) स्थानीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन करना

4.1.2 चिह्नित तीर्थस्थलों और विरासत गंतव्यों के समग्र विकास के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय द्वारा 'तीर्थस्थल उद्धार एवं अध्यात्म वर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन' (प्रसाद) शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्यथ अवसंरचना का विकास करना है जैसे कि गंतव्य प्रवेश बिंदुओं अर्थात सड़क, रेल और जल परिवहन के यात्री टर्मिनल, एटीएम/मनी एक्सचेंज काउंटर के साथ बुनियादी सुविधाओं जैसे कि पर्यटन सूचना/निर्वचन केन्द्रों का विकास/उन्नयन, सड़क संपर्क में सुधार (आखिरी मील तक संपर्क), परिवहन के पर्यावरण हितैषी साधनों के लिए उपकरण का प्रापण और पर्यटक गतिविधियों जैसे कि लाइट एंड साउंड शो, वाटर/एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए उपकरण, पार्किंग की सुविधाएं, शौचालय, क्लाक रूम की सुविधाएं, वेटिंग रूम, क्राफ्ट हाट/बाजार/सोवनियर शॉप/कैफेटेरिया का निर्माण, रेन शेल्टर, वाच टावर, फर्स्ट एड सेंटर का निर्माण, टेलीफोन बूथ, मोबाइल सर्विस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई हाटस्पाट की स्थापना के माध्यम से संचार में सुधार। इसके अलावा, समुद्री तटों के विकास और प्राकृतिक जलपिंडों के उद्धार को भी शामिल किया गया है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की हृदय योजना को बंद करने और प्रसाद योजना में विरासत गंतव्यों के विकास के लिए परियोजनाओं को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए योजना के निर्देशों में संशोधन किए गए हैं तथा अक्टूबर 2017 में योजना का नाम प्रसाद से बदलकर ''तीर्थस्थल उद्धार एवं अध्यात्म, विरासत वर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)'' रखा गया है।

आज की तारीख में इस योजना के अंतर्गत 29 राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में विकास के लिए चिह्नित स्थलों की कुल संख्या 61 है। ये स्थंल हैं – अमरावती, श्रीसैलम, सिंहाचलम और अन्नवरम (आंध्र प्रदेश), परशुराम कुंड (लोहित जिला, अरुणाचल प्रदेश), कामाख्या, और श्रीकृष्णगारु सेवाश्रम, नसात्रा (असम), पटना और गया (बिहार), बालमेश्वरी देवी मंदिर (राजनंदगांव, छत्तीसगढ़), सेंट बोम जीसस चर्च (गोवा), द्वारका, सोमनाथ और बनासकांठा में अम्बा जी (गुजरात), गुरुद्वारा नाडा साहिब और माँ मंशा देवी मंदिर के विकास के लिए पंचकुला जिला, (हरियाणा), मां चिंतपूर्णी (ऊना, हिमाचल प्रदेश), हजरतबल, कटरा और रजौरी जिले में सुंदरबनी (जम्मू एवं कश्मीर), देवघर और पारसनाथ (झारखंड), चामुंडेश्व

कोचीन इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल

री देवी (मैसूर जिला, कर्नाटक), गुरुवयूर, सेंट थॉमस इंटरनेशनल श्राइन, चेरमन जुमा मस्जिद (केरल), चौकीहांग विहार (लेह), ओंकारेश्वर और अमरकंटक (मध्य प्रदेश), त्रयंबकेश्वर (महाराष्ट्र), चरणथाला दुर्गा मंदिर – बबेडपारा, नार्टियांग शक्ति मंदिर, नोंगसावलिया चर्च – सोहरा, मदन एयर नार सैक्रेड पूल, जोवई के निकट (मेघालय), आइजोल, ऐलावंग, खावरहुलियन और लुंगलेई–सेरकाव (मिजोरम), कैथेड्रल ऑफ कोहिमा, नोकसेन चर्च, मिशन कंपाउंड, आयजुटो, मोलुंगकिमोंग, जुन्हेबोटो मिशन कंपाउंड और वांखोसुंग – वोखा (नागालैंड), पुरी (ओडिशा), चमकौर साहिब के विकास के लिए अमृतसर और रोपड़ (पंजाब), अजमेर (राजस्थान), युकसोम (सिक्किम), कांचीपुरम, वेलंकनी और रामेश्वरम (तमिलनाडु), जोगुलंबा देवी मंदिर और भद्राचलम (तेलंगाना), त्रिपुरा सुंदरी – अगरतला (त्रिपुरा), वाराणसी, मथुरा और अयोध्या (उत्तर प्रदेश), बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री – यमुनोत्री (उत्तराखंड) और बेलूर (पश्चिम बंगाल)।

जनवरी 2015 में इसके लॉन्च होने के बाद से और आज की तारीख तक मंत्रालय ने 24 राज्यों में 1210 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ 37 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है और इन परियोजनाओं के लिए कुल 757 करोड़ रुपये की संचयी राशि जारी की गई है।

4.1.3 प्रतिष्ठित पर्यटक गंतव्य का विकास: पर्यटन मंत्रालय ने "प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों का विकास योजना" तैयार की है, जो अवसंरचना और कौशल विकास, प्रौद्योगिकी के उपयोग, आकर्षक निजी निवेश, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए देश में उन्नीस पहचाने गए प्रतिष्ठित स्थलों के विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

पर्यटन मंत्रालय ने इन स्थलों की पहचान मौजूदा फुटफॉल, क्षेत्रीय वितरण, विकास की संभावना और विश्व स्तरीय गंतव्य के रूप में उनके प्रदर्शन और कार्यान्वयन में आसानी के आधार पर की है। इस योजना के तहत निम्नलिखित चिन्हित पर्यटन स्थलों को प्रतिष्ठित स्थलों के रूप में विकसित किया जाना है :

(1) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम)
(2) महा बोधि मंदिर (बिहार)
(3) हुमायूं का मकबरा, (दिल्ली)
(4) कुतुब मिनार (दिल्ली)
(5) लाल किला (दिल्ली)
(6) कोलवा बीच (गोवा)
(7) धोलवीरा (गुजरात)
(8) सोमनाथ (गुजरात)

जेसीपी अटारी में ढांचागत विकास

(9) स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (गुजरात)
(10) हंपी (कर्नाटक)
(11) कुमाराकोम (केरल)
(12) खजुराहो (मध्य प्रदेश)
(13) अजंता की गुफाएं, (महाराष्ट्र)
(14) एलोरा की गुफाएँ (महाराष्ट्र)
(15) कोणार्क, (ओडिशा)
(16) आमेर का किला (राजस्थान)
(17) मामल्लापुरम (तमिलनाडु)
(18) फतेहपुर सीकरी (उत्तर प्रदेश)
(19) ताज महल (उत्तर प्रदेश)

15 अक्टूबर, 2020 को आयोजित बैठक में व्यय वित्त समिति ने वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2025–26 की अवधि के लिए 5109 करोड़ रुपए के परिव्यय से केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 19 आइकॉनिक पर्यटक स्थलों के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय के प्रस्ताव की सिफारिश की। योजना अनुमोदनाधीन है।

4.1.4 पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता : पर्यटक स्थलों पर पर्यटन अवसंरचना का विकास अपने लक्षित उद्देश्यों और समाज के लिए अन्य सामाजिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण पुंज का निर्माण कर सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर पर्यटन के बुनियादी ढांचे का समग्र विकास संभव नहीं हो सकता है क्योंकि कई संभावित स्थल एएसआई, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईटीडीसी इत्यादि जैसी केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र/नियंत्रण में आते हैं और उनके नियंत्रणाधीन पर्यटकों की रुचि के स्थानों का समग्र विकास उनके स्वयं के संसाधनों के माध्यम से संभव नहीं हो सकता है और इसके लिए विकास उपरांत रखरखाव और प्रबंधन के लिए संसाधनों, विशेषज्ञता और अनुभव के अभिसरण की आवश्यकता हो सकती है। इन कमियों को दूर करने और केंद्रीय एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करने के लिए, केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों, जिनके पास क्षमता है, के स्वामित्व वाली पर्यटकों की रुचि वाली परिसंपत्तियों को केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। 50:50 लागत साझाकरण के आधार पर रेल मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के साथ संयुक्त विकास के तहत पर्यटन की सुविधाओं के विकास के लिए 22 रेलवे स्टेशनों को मंजूरी प्रदान की गई है।

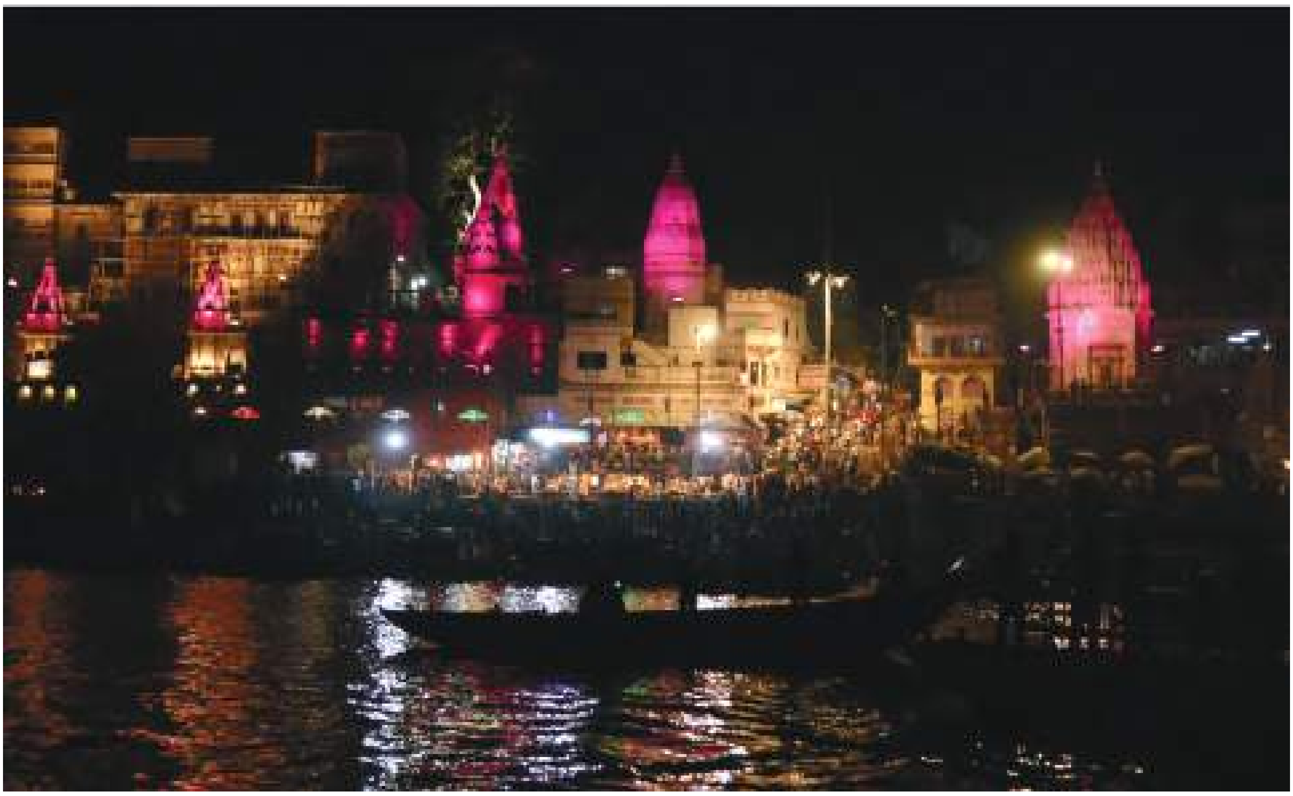

वाराणसी में जगमगाहट

वर्ष 2020–21 के दौरान पर्यटन अवसंरचना के निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के लिए विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों को कुल 62.85 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

4.1.5 राजस्व का सृजन करने वाली पर्यटन परियोजनाओं के लिए लाभप्रदता अंतराल योजना: पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए बड़े निवेशों की आवश्यकता होती है जिन्हें केवल सार्वजनिक वित्तपोषण से पूरा नहीं किया जा सकता है और इसलिए निजी पूंजी के साथ–साथ इसके साथ संबद्ध तकनीकी – प्रबंधकीय क्षमता को आकर्षित करने के लिए, यह योजना पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देने के लिए है। योजना के अंतर्गत लाभप्रदता अंतराल वित्त पोषण सामान्यतया परियोजना निर्माण के चरण पर पूंजी अनुदान के रूप में है।

4.1.6 मेला/उत्सव/पर्यटन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता : पर्यटन मंत्रालय मेला/उत्सव/पर्यटन से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आतिथ्य योजना सहित घरेलू प्रचार और संवर्धन के अंतर्गत प्रति राज्य 50 लाख रुपये और प्रति संघ राज्य क्षेत्र 30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2020–21 में मेलों और महोत्सवों के आयोजन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 1.70 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी है।

❖❖❖

अध्याय 5

नए पर्यटन उत्पाद (आला पर्यटन)

अध्याय
5

नए पर्यटन उत्पाद (आला पर्यटन)

पर्यटन मंत्रालय की देश में आला पर्यटन उत्पादों की पहचान, विविधीकरण, विकास और संवर्धन की पहल 'मौसमीपन' के पहलू से निजात पाने तथा भारत को 365 दिन गंतव्य के रूप में प्रमोट करने, विशिष्ट रुचि वाले पर्यटकों को आकर्षित करने और अनोखे उत्पादों जिनमें भारत को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है, के लिए आवर्ती विजिट का सुनिश्चय करने के लिए है। इस प्रकार, नए उत्पादों को यथासमय शामिल किया जा सकता है। पर्यटन मंत्रालय ने देश में गोल्फ, मेडिकल/वेलनेस, क्रूज और एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड/कार्यबलों/समितियों का गठन किया है। गोल्फन, पोलो, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन की सहायता के लिए मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश भी तैयार किए गए हैं। तदनुसार, विकास एवं संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित आला उत्पाद चिन्हित किए गए हैं :

1. समुद्री
2. एडवेंचर
3. चिकित्सा
4. स्वस्थता
6. गोल्फ
6. पोलो
7. बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी (एमआईसीई)
8. इको टूरिज्म
9. फिल्म पर्यटन
10. संपोषणीय पर्यटन
11. ग्रामीण पर्यटन

5.1 क्रूज पर्यटन

पर्यटन मंत्रालय क्रूज पर्यटन तथा रीवर क्रूज सहित पर्यटन के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रा सरकार की एजेंसियों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में प्रमुख बंदरगाहों पर क्रूज टर्मिनल तथा संबद्ध अवसंरचना के विकास के लिए 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक योजना के तहत 151.79 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं भी संस्वीकृत की है।

5.1.1 क्रूज पर्यटन पर कार्यबल

देश की कोस्टलाइन और इनलैंड वाटरवे में अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू दोनों क्रूज पर्यटन के विकास की प्रचुर संभावना है। इसका उपयोग करने के लिए सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता तथा सचिव (पोत परिवहन) की सह अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है। इस कार्यबल में बंदरगाहों, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सीमा शुल्क, सीआईएसएफ, तटीय राज्यों आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं तथा इसकी बैठक नियमित आधार पर होती है। कार्यबल की सिफारिश पर जहाजरानी मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने भारत में समुद्री पर्यटन के विकास के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए संयुक्त रूप से एक परामर्शदाता की नियुक्ति की है। परामर्शदाता ने रिपोर्ट तैयार की है जिसमें रोड मैप तथा कार्य योजना प्रदान की गई है जो भारत को उसकी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठाकर विश्वे में समुद्री पर्यटन का मनपसंद गंतव्य बनाने के लिए आवश्यक है। कार्यबल की सिफारिश पर, क्रूज पर्यटन के विकास के लिए हाल में निम्नलिखित कदम उठाए गए :

➢ मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का निर्माण किया गया है जिसका विभिन्न एजेंसियों द्वारा क्रूज शिप की हैंडलिंग के लिए अनुसरण किया जाएगा। नवंबर 2017 के दौरान एसओपी में संशोधन किए गए हैं और तब से इसे सभी प्रमुख

बंदरगाहों पर लागू किया गया है।

- मुंबई, मोर्मुगोआ, मंगलौर, कोच्चि और चेन्नई के समुद्री बंदरगाहों पर पहुंचने वाले यात्रियों को ई–टूरिस्ट वीजा की सुविधा प्रदान की गई है तथा क्रूज शिप के माध्यम से दौरा किए जाने वाले 5 प्रमुख बंदरगाहों पर आप्रवास काउंटर खोले गए हैं और इस प्रकार क्रूज पर्यटन के लिए इन समुद्री बंदरगाहों पर पहुंचने वाले यात्रियों को सहायता प्रदान की गई है।

- पत्तनों पर क्रूज जलयान के संबंध में जनशक्ति, समन्वय तथा लाजिस्टिक्स के मुद्दों के समाधान के लिए क्रूज शिप तथा यात्रियों की निर्विघ्न हैंडलिंग को सुगम बनाने के लिए प्रमुख पत्तनों के संबंधित अध्यक्ष की अध्यक्षता में पत्तन स्तरीय सुगमता समितियों का गठन किया गया है।

- 06 फरवरी, 2009 से जहाजरानी महानिदेशक से लाइसेंस प्राप्त किए बगैर 10 साल की अवधि तक भारतीय पत्तनों पर विदेशी ध्वज वाले यात्री वेजल को आने की अनुमति प्रदान की गई है। यह सुविधा 5 फरवरी 2024 तक 5 साल की अगली अवधि के लिए बढ़ाई गई है।

- क्रूज पर्यटन पर कार्यबल की पिछली दो बैठकें 06 जनवरी, 2021 और 17 दिसंबर 2021 को हुई थी। बैठक में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं उद्योग जगत के विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। 06 जनवरी, 2021 को हुई बैठक के दौरान, निम्नलिखित मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ :

  (i) क्रूज पर्यटन के लिए एसओपी की समीक्षा।

  (ii) विभिन्न बंदरगाहों/क्रूज टर्मिनल पर अवसंरचना का विकास।

  (iii) क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कर से संबंधित मुद्दे।

  (iv) उड़ान योजना की तर्ज पर क्रूज एवं वाटर पर्यटन के लिए प्रोत्साहन।

  (v) भारत को विश्व का ''क्रूज पर्यटन हब'' बनाना।

  (vi) 17 दिसंबर 2021 को एसओपी की स्थिति की समीक्षा निम्नानुसार की गईः

क) ई–लैंडिंग कार्ड (ई–एलसी) को क्रेडिट कार्ड के आकार के लिए मानकीकृत किया जाना है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (बीओआई) के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि वे सुझाव पर सहमत हुए हैं बशर्ते कि कुछ अन्य विशेषताओं को शामिल किया गया हो और यह किया जा सकता है।

ख) सामूहिक मंजूरी और बायोमेट्रिक छूट

ग) अस्थायी आप्रवासन सुविधा (गैर–क्रूज़ बर्थ पर जहाज के बर्थ के समय आप्रवासन प्रक्रिया)

घ) पिछले विदेशी बंदरगाहों से मार्ग में आप्रवासन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आप्रवासन अधिकारी की प्रतिनियुक्ति

ड.) क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 25–26 फरवरी, 2022 को मुंबई में भारत क्रूज सम्मेलन आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया।

5.1.2 ओशन क्रूज

भारत सरकार द्वारा 26 जून, 2008 को पोत परिवहन मंत्रालय की क्रूज पोत परिवहन नीति अनुमोदित की गई। इस नीति का उद्देश्य देश के विभिन्न बंदरगाहों पर अधुनातन अवसंरचना तथा अन्य सुविधाओं के साथ भारत को क्रूज पर्यटन का आकर्षक गंतव्य बनाना है।

5.1.3 रिवर क्रूज

डबल हुल बोट के निर्माण, जेट्टी, क्रूज जलयान, बोट आदि की संरचना के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्यी क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

5.1.4 क्रूज सर्किटों की पहचान और आवश्यक अवसंरचना का विकास

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 21 जून 2014 को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि पोत परिवहन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय संयुक्त रूप से जल मार्गों पर क्रूज टूर के संचालन के लिए मार्गों की पहचान करेंगे और आवश्यक अवसंरचना के विकास के लिए कदम भी उठाएंगे। तद्नुसार, धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले क्रूज टूर के तौर तरीकों तथा अन्य संबद्ध मुद्दों की जांच करने

गंगटोक, पैराग्लाइडिंग

रिवर राफ्टिंग, ऋषिकेश

रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स अरिनगर

चंबा में गांव

के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया। कार्य समूह की संरचना निम्नानुसार है :

(i) आईडब्ल्यूएआई – मुख्यालय से 1 सदस्य तथा स्थानीय निदेशक/प्रभारी;

(ii) पर्यटन मंत्रालय – मंत्रालय से 1 सदस्य तथा राज्य पर्यटन विभाग से 1 प्रतिनिधि;

(iii) डोमेस्टिक टूर आपरेटर – 1 सदस्य;

(iv) क्रूज आपरेटर – प्रत्येक वाटरवे में प्रचालन करने वाले क्रूज आपरेटरों से दो प्रतिनिधि।

(v) अपनी रिपोर्ट में कार्य समूह ने एनडब्ल्यू 1 और एनडब्ल्यू 2 पर 8 टूरिस्ट सर्किटों की पहचान की है।

कार्य समूह ने इन सर्किटों के विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों एवं चुनौतियों की भी पहचान की है जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) अपेक्षित नेविगेशन सहायता और बर्थ की समुचित सुविधाओं के साथ सभी मौसम में नेविगेशन के योग्य चैनल सहित अवसंरचना का विकास;

(ii) टर्मिनल, जेट्टी, रिवर फ्रंट आदि पर कानून व्यवस्था बनाए रखने सहित पर्यटक सुविधाओं का प्रावधान; और

(iii) पर्यटक स्थलों का समुचित रखरखाव।

5.2 साहसिक पर्यटन

एडवेंचर पर्यटन में दूरस्थ, आकर्षक क्षेत्रों का अन्वेषण या यात्रा शामिल होती है। ऐसी किसी रचनात्मक गतिविधि को एडवेंचर की संज्ञा दी जाती है जो व्यक्ति एवं उसके उपकरण दोनों की चरम सीमा तक सहनशीलता की परीक्षा लेती है। एडवेंचर पर्यटन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि पर्यटक भिन्न प्रकार के वैकेशन पर जाना चाहते हैं।

5.2.1 एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय की पहलें

पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर टूर आपरेटरों के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश जारी किया है जो स्वैच्छिक योजना है जिसे सभी वास्तविक एडवेंचर टूर आपरेटर अपना सकते हैं।

- पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर पर्यटन की गतिविधियों के लिए बुनियादी न्यूनतम मानक के रूप में एडवेंचर पर्यटन पर सुरक्षा एवं गुणवत्ता के मानकों पर 2012 में दिशानिर्देशों का एक सेट भी तैयार किया है। इन दिशानिर्देशों को नवीकृत

किया गया है तथा संशोधित दिशानिर्देश ''भारतीय एडवेंचर पर्यटन दिशानिर्देश'' (संस्करण 2.0) 31 मई, 2018 को लांच किया गया है जिसमें एडवेंचर पर्यटन की गतिविधियों के संबंध में भूमि, वायु एवं जल से संबंधित 31 वर्टिकल शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों को पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.tourism.gov.in पर अपलोड किया गया है। इसे अनुपालन के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अग्रेषित भी किया गया है।

- एडवेंचर पर्यटन के गंतव्यों सहित गंतव्यों में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- देश में एडवेंचर पर्यटन के विकास एवं संवर्धन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए मंच के रूप में काम करने के लिए सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में अक्टूबर 2016 में एडवेंचर पर्यटन पर एक कार्यबल का गठन किया गया है। एडवेंचर पर्यटन कार्यबल की पहली बैठक 21 दिसंबर 2016 को और पिछली बैठक 11 अगस्त 2017 को हुई थी।

5.3 चिकित्सा पर्यटन

चिकित्सा पर्यटन (इसे चिकित्सा यात्रा, स्वास्थ्य पर्यटन या वैश्विक स्वास्थ्य देखरेख भी कहा जाता है) ऐसा शब्द है जिसे स्वास्थ्य देखरेख प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके यात्रा करने की तेजी से बढ़ती प्रथा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यात्रियों द्वारा विशेष रूप से मांगी जाने वाली सेवाओं में वरणात्म क प्रोसीजर तथा जटिल विशिष्ट सर्जरी जैसे कि जोड़ प्रतिस्थापन (घुटना/कूल्हा), कार्डियाक सर्जरी, डेंटल सर्जरी तथा कास्मेटिक सर्जरी शामिल हैं। तथापि, मनोचिकित्सा, वैकल्पिक उपचार तथा उल्लाह देखभाल सहित वस्तुतः स्वास्थ्य देखरेख के सभी प्रकार भारत में उपलब्ध हैं।

भारत के अलावा एशिया में सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जैसे अनेक गंतव्य हैं जो चिकित्सा देखरेख की सुविधाओं की पेशकश कर रहे हैं और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं। निम्नलिखित कारणों से भारत उनसे श्रेष्ठ है :

(i) अधुनातन चिकित्सा सुविधाएं

(ii) प्रतिष्ठित स्वास्थ्य देखरेख व्यावसायिक

(iii) नर्सिंग की अच्छी सुविधाएं

(iv) चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं है

(v) एलोपैथिक उपचार के साथ मिलाकर आयुर्वेद और योग जैसी भारत की परंपरागत स्वास्थ्य देखरेख थिरेपी समग्र स्वास्थ्य प्रदान करती है।

5.3.1 चिकित्सा पर्यटन की गतिविधि मुख्य रूप से निजी क्षेत्र द्वारा चलाई जाती है। इस संकल्पना के विपणन और प्रमुख बाजारों में इसका प्रचार प्रसार करने के रूप में पर्यटन मंत्रालय की भूमिका केवल सुविधा प्रदाता तक सीमित है। पर्यटन मंत्रालय ने भारत को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन गंतव्य के रूप में प्रमोट करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जो इस प्रकार हैं :

(i) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा ब्रोशर, सीडी तथा अन्य प्रचार सामग्री तैयार की गई है और लक्षित बाजारों में प्रचार के लिए बड़े पैमाने पर इनका वितरण एवं परिचालन किया जाता है।

(ii) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट, लंदन, आईटीबी, बर्लिन, अरेबियन ट्रैवल मार्ट आदि में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन को विशेष रूप से प्रमोट किया गया है।

(iii) 'मेडिकल वीजा' शुरू किया गया है जो चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रदान किया जा सकता है। 166 देशों के लिए 'ई–मेडिकल वीजा' भी शुरू किया गया है।

5.3.2 राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन बोर्ड का गठन

चिकित्सा पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन और योग, आयुर्वेद पर्यटन तथा आयुर्वेद, योग, सिद्ध और होमियोपैथी (आयुष) द्वारा शामिल औषधि की भारतीय पद्धति के किसी अन्य प्रारूप का प्रचार प्रसार करने के लिए समर्पित संस्थानिक रूपरेखा प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने माननीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय

प्राकृतिक स्विमिंग पूल–सोहरा–मेघालय

चिकित्सा एवं आरोग्यता पर्यटन बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड अंब्रेला संगठन के रूप में काम करता है जो संगठित ढंग से पर्यटन के इस सेगमेंट का प्रचार प्रसार करता है।

5.3.3 राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन बोर्ड की पाचवीं बैठक 14 दिसंबर, 2020 को हुई थी। बैठक के दौरान, विभिन्न सरकारी एवं उद्योग हितधारकों से प्रतिनिधित्व के साथ निम्नलिखित पर उप समूहों का गठन करने का निर्णय लिया गया (i) वीजा व्यवस्था को उदार बनाने और एयरपोर्ट पर सुगमता के मांगों की जांच करना और (ii) बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियां। उप समूह संबंधित क्षेत्रों की विस्तार से छानबीन करेंगे तथा समयबद्ध ढंग से अपनी सिफारिशें प्रदान करेंगे जिन पर विचार किया जाएगा और अगली बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। बैठक का समापन करते हुए माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि मंत्रालय चिकित्सा एवं आरोग्यता पर्यटन को पूरी ईमानदारी से प्रोत्साहित करेगा तथा सुगमता, भाषा व्याख्याकार, अस्पतालों का प्रत्यायन आदि जैसी चुनौतियों को दूर किया जाएगा

5.3.4 चिकित्सा पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदान किए मौद्रिक प्रोत्साहन

अनुमोदित चिकित्सा/पर्यटन मेलों/चिकित्सा सम्मेलनों/स्वास्थ्य सम्मेलनों/स्वास्थ्य मेलों एवं इससे संबद्ध रोड शो में भाग लेने के लिए पर्यटन मंत्रालय बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2009 के दौरान चिकित्साा पर्यटन सेवा प्रदाताओं तथा स्वास्थ्य पर्यटन सेवा प्रदाताओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया गया। एमडीए योजना के अंतर्गत अनुमोदित चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं अर्थात संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायित अस्पताल आयोग (जेसीआई) और राष्ट्रीय अस्पताल प्रत्यामयन बोर्ड (एनएबीएच) द्वारा प्रत्यायित अस्पतालों के प्रतिनिधियों तथा चिकित्सा पर्यटन में शामिल और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित चिकित्सा पर्यटन सुविधा प्रदाताओं (ट्रैवल एजेंट/टूर आपरेटर) को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

5.4 आरोग्यता पर्यटन

आरोग्यता पर्यटन स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिकतम स्वास्थ्य प्राप्त करने, बढ़ावा देने या बनाए रखने के प्राथमिक प्रयोजन के लिए यात्रा करने के बारे में है। अधिकांश होटल/रिजार्ट आयुर्वेद सेंटर का निर्माण कर रहे हैं। अग्रणी टूर आपरेटरों ने अपने ब्रोशर में आयुर्वेद को शामिल किया है।

5.4.1 पर्यटन मंत्रालय बाजार विकास सहायता (एमडीए)

योजना के अंतर्गत अनुमोदित आरोग्यता केन्द्रों अर्थात एनएबीएच या राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यायित आरोग्यता केन्द्रों के प्रतिनिधियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एमडीए सहायता चिकित्सा/पर्यटन मेलों, चिकित्सा सम्मेलनों, आरोग्यता सम्मेलनों, आरोग्यता मेलों तथा संबद्ध रोड शो में भाग लेने के लिए है। इसके अलावा, चिकित्सा/स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में रोड शो, ट्रैवल मार्ट में भागीदारी और ब्रोशर, सीडी, फिल्म एवं अन्य प्रचार सामग्री के निर्माण के माध्यम से विदेशी बाजारों में प्रचार प्रसार शामिल है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट, लंदन, आईटीबी, बर्लिन में स्वास्थ्य पर्यटन को विशेष रूप से प्रमोट किया गया है।

5.4.2 पर्यटन मंत्रालय के 'अतुल्य भारत अभियान' के अंतर्गत पिछले वर्षों में प्रिंट, इलेक्ट्रानिक, इंटरनेट तथा आउटडोर मीडियम में योग/आयुर्वेद/आरोग्यता का प्रचार प्रसार किया गया है।

5.4.3 विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों एवं उद्योग हितधारकों के परामर्श से मुख्य्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल करते हुए देश में चिकित्सा पर्यटन के विकास के लिए एक मसौदा रणनीति पेपर को अंतिम रूप दिया जा रहा है :

i. भारत चिकित्सा पर्यटन के लिए गंतव्या के रूप में

ii. कोविड–19 के प्रभाव का उपशमन

iii. चिकित्सा– पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीतियां आदि

5.5 गोल्फ पर्यटन

5.5.1 पर्यटन मंत्रालय ने गोल्फ पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किया है। ये दिशानिर्देश विभिन्न मुद्दों का निराकरण करते हैं जिनमें अन्य बातों के साथ सेवा प्रदाताओं के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण तथा गोल्फ से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू कार्यक्रमों में भाग लेना शामिल है और अच्छी प्रचार सामग्री उपलब्ध कराना शामिल है।

5.5.2 पर्यटन मंत्रालय ने सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता में भारतीय गोल्फ पर्यटन समिति (आईजीटीसी) का भी गठन किया है जो देश में गोल्फ पर्यटन के लिए नोडल संस्था है।

5.5.3 पर्यटन मंत्रालय अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत के अंदर गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक प्राप्त करने के लिए अतुल्य भारत ब्रांड के साथ मिलकर इन कार्यक्रमों का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्र गोल्फ कार्यक्रमों, गोल्फ शो, गोल्फ संवर्धन कार्यशालाओं/कार्यक्रमों/वार्षिक बैठकों/सेमिनारों के लिए पर्यटन मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक गोल्फ क्लबों, गोल्फ कार्यक्रम प्रबंधकों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, अनुमोदित टूर आपरेटरों/अनुमोदित ट्रैवल एजेंटों तथा कारपोरेट घरानों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है। ईओआई के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का समय समय पर आयोजित बैठकों में भारतीय गोल्फ पर्यटन समिति (आईजीटीसी) द्वारा मूल्यांकन किया जाता है।

5.5.4 पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से "गोल्फ पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए पर्यटन मंत्रालय की सहायता के लिए दिशानिर्देश" का मूल्यांकन अध्ययन और इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता का मूल्यांकन कराया है।

5.6 पोलो पर्यटन

पर्यटन मंत्रालय भारतीय पोलो संघ के साथ मिलकर भारत के हेरिटेज स्पोर्ट्स के रूप में पोलो का प्रचार प्रसार करता है तथा इसने आला पर्यटन उत्पोद के रूप में इस खेल के प्रचार प्रसार के लिए सहायता के विस्तृत क्षेत्रों की पहचान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

5.7 बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी (एमआईसीई)

पर्यटन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/कनवेंशन के लिए बोली प्रस्तुत करने और इस प्रकार देश के लिए अधिक एमआईसीई व्यवसाय लाने के लिए भारतीय कनवेंशन संवर्धन ब्यूरो (आईसीपीबी) के सक्रिय सदस्यों को बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किया है। इस योजना के अंतर्गत बोली में विजयी होने पर या बोली प्रक्रिया में दूसरा या तीसरा स्थान प्राप्ति करने के लिए शर्तों एवं निबंधनों के अधीन संघों/समितियों

को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5.7.1 एमआईसीई के प्रचार के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहलें

कोविड–19 के मुश्किल समय में एमआईसीई उद्योग को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14 अगस्ते, 2020 के माध्यम से चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) के तहत एमआईसीई के संवर्धन के लिए दिशानिर्देशा में निम्नलिखित घटकों में संशोधन किए गए हैं :

1) प्रोत्साहन के लिए पात्र बनने हेतु प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या को 500 से घटाकर 250 कर दिया गया है।

2) 1 (एक) रात के स्थान पर 2 (दो) रात के लिए जीएसटी का प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को ऑफ पीक सीजन अर्थात अप्रैल से अक्टूबर के दौरान आगरा, खजुराहो, वाराणसी, बोधगया और हम्पी नामक पांच महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर अपनी बैठकें/सम्मेलन आयोजित करने के लिए पत्र लिखा है और इस कदम को सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्रालय के चार नोडल अधिकारियों को नामित किया है।

5.8 इको पर्यटन का संवर्धन

5.8.1 मंत्रालय इको टूरिज्म के विकास के लिए निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांतों को मान्यता देता है :

(i) इसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी होनी चाहिए तथा क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए।

(ii) इसमें इको पर्यटन के लिए संसाधनों के प्रयोग तथा स्थानीय निवासियों की जीविका के बीच संभावित टकराव और ऐसे टकरावों को न्यूनतम करने के प्रयासों का उल्लेख होना चाहिए।

(iii) इको टूरिज्म विकास का प्रकार एवं पैमाना स्थानीय समुदाय की सामाजिक – सांस्कृतिक विशेषताओं तथा पर्यावरण के अनुरूप होना चाहिए; और

(iv) इसकी योजना क्षेत्र के समग्र विकास की रणनीति के अंग के रूप में बनाई जानी चाहिए जिसका मार्गदर्शन विभिन्न सेक्टर के बीच टकराव से बचते हुए और सार्वजनिक सेवाओं के आनुपातिक विस्तार के साथ संबद्ध सेक्टोरल एकीकरण का सुनिश्चय करते हुए एकीकृत भूमि प्रयोग योजना द्वारा होना चाहिए।

5.8.2 पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने हाल ही में 'वन एवं वन्य जीव क्षेत्रों में इको पर्यटन के लिए नीति' तैयार की है तथा पर्यटन मंत्रालय ने इस नीति के लिए सहायता प्रदान की है।

5.8.3 होटलों द्वारा अपनाए जाने वाले पर्यावरण हितैषी उपाय

कार्यान्वायन के चरण पर होटल परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए तथा विभिन्नत श्रेणियों के तहत प्रचालनात्मक होटलों के वर्गीकरण के लिए भी पर्यटन मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश विहित किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, होटलों के लिए परियोजना स्तर पर ही विभिन्न पर्यावरण हितैषी उपायों को शामिल करना आवश्यक है जैसे कि सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी), वर्षा जल संचयन प्रणाली, अपशिष्ट प्रबंध प्रणाली आदि। होटल के क्रियाशील हो जाने पर वह इस मंत्रालय की होटल एवं रेस्टोरेंट वर्गीकरण समिति के पास किसी स्टा र श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। एचआरएसीसी समिति द्वारा होटल के भौतिक निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि होटल द्वारा उपर्युक्ति उपायों के अलावा प्रदूषण नियंत्रण, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडिशनिंग के लिए सीएफसी से भिन्न उपकरण का प्रयोग, ऊर्जा संरक्षण एवं जल संरक्षण जैसे अन्यस उपाय भी किए गए हैं।

5.8.4 परियोजना स्तर तथा प्रचालनरत होटलों के वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देशों के तहत यह निर्धारित किया गया है कि पहाड़ी तथा पारिस्थितिकी की दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों में होटल के भवनों के वास्तुशिल्प में संपोषणीयता तथा ऊर्जा दक्षता को श्यान में रखा जाता है तथा यथासंभव स्थानीय सामग्रियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय लोकाचार के अनुरूप है।

5.9 संपोषणीय/जिम्मेदार पर्यटन का संवर्धन

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन उद्योग के प्रमुख घटकों अर्थात

आवास, टूर ऑपरेटर, बीच, बैक वाटर, झील तथा रीवर सेक्टर के लिए व्यापक संधारणीय पर्यटन मापदंड (एसटीसीआई) का विकास किया है जो पूरे देश के लिए लागू हैं। विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के बाद मापदंडों का विकास किया गया है। मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) और रिस्पांसिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया (आरटीएसओआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू का उद्देश्य एक दूसरे के पर्यटन क्षेत्र में 'स्थिरता पहल' को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने और सहायता करने के उपाय करना और जहां भी संभव हो एक सहयोगी तरीके से काम करना है।

5.10 फिल्म पर्यटन

पर्यटन मंत्रालय ने ''फिल्म पर्यटन'' के प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश दिनांक 25 जुलाई 2012 जारी किया है। स्थान किराए पर लेना/फिल्मांकन प्रभार, सुगमता शुल्क आदि जैसे घटकों के लिए प्रति फिल्म 2.00 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फिल्मांकन गंतव्य के रूप में भारत को स्थापित करने के प्रयास में पर्यटन मंत्रालय भारतीय सिनेमा को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों जैसे कि आईएफएफआई गोवा, यूरोपीय फिल्म बाजार, कान फिल्म महोत्सव और विदेशी बाजारों में अतुल्य भारत के उप ब्रांड के रूप में प्रमोट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि पर्यटन एवं फिल्म उद्योग के बीच सिनर्जी विकसित हो सके और भारतीय एवं वैश्विक फिल्म उद्योग के बीच साझेदारी का निर्माण करने के लिए मंच प्रदान किया जा सके।

5.11 ग्रामीण पर्यटन

विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और उद्योग हितधारकों के परामर्श से देश में "ग्रामीण पर्यटन पर राष्ट्रीय रणनीति –आत्मानिर्भर भारत की दिशा में एक पहल" को पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित और परिचालित किया गया हैः – रणनीति स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन के व्यापक विषय पर आधारित है, जिसे निम्नलिखित रणनीतिक स्तंभों द्वारा समर्थित किया जाएगाः

(i) राज्य की नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं की बेंचमार्किंग

(ii) ग्रामीण पर्यटन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियां और मंच

(iii) ग्रामीण पर्यटन के लिए क्लस्टर विकसित करना

(iv) ग्रामीण पर्यटन के लिए विपणन सहायता

(v) हितधारकों की क्षमता का निर्माण

(vi) शासन और संस्थागत ढांचा

5.12 राष्ट्रीय पर्यटन नीति

- राष्ट्रीय पर्यटन नीति के एक मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी हितधारकों को उनकी टिप्पणियों/टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया है। मसौदा नीति के प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य निम्न हैंः

  I. यात्रा, ठहरने और खर्च को बढ़ाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बढ़ाना

  II. पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा करना और कुशल कार्यबल की आपूर्ति सुनिश्चित करना

  III. पर्यटन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना

  IV. देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन करना

  V. देश में पर्यटन के सतत, जिम्मेदार और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना।

❖❖❖

अध्याय 6

होटल एवं यात्रा व्यवसाय

अध्याय
6

होटल एवं यात्रा व्यवसाय

6.1 होटलों का अनुमोदन एवं वर्गीकरण

विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए उपयुक्तता की दृष्टि से पर्यटकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अपेक्षित मानकों की पुष्टि के लिए यह मंत्रालय स्टार रेटिंग के अंतर्गत होटलों का वर्गीकरण करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत होटलों को रेटिंग प्रदान की जाती है जैसे कि वन स्टार से थ्री स्टार, अल्कोहल के साथ या बगैर चार और पांच स्टार, फाइव स्टार डीलक्स, हेरिटेज (बेसिक), हेरिटेज (क्लासिक), हेरिटेज (ग्रैंड), लिगेसी वेंटेज (बेसिक), लिगेसी विंटेज (क्लासिक) और लिगेसी विंटेज (ग्रैंड)। होटलों के निरीक्षण के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और निरीक्षण इस मंत्रालय द्वारा गठित होटल एवं रेस्टोरेंट अनुमोदन एवं वर्गीकरण समिति (एचआरएसी) द्वारा किया जाता है। वन स्टार से थ्री स्टार की श्रेणियों में क्रियाशील होटल के वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण की प्रक्रिया को गति देने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी और चेन्नई में स्थित 5 क्षेत्रीय समितियों को निरीक्षण करने/निरीक्षण का समन्वय करने के लिए अधिकृत किया गया है। प्रचालनरत होटलों के वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण के दिशानिर्देशों को 19 जनवरी 2018 को संशोधित किया गया है।

6.2 आवेदन आनलाइन प्रस्तुत करना, परियोजना स्तरीय अनुमोदन, होटलों का वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण

मंत्रालय ने होटल परियोजना के लिए आवेदन प्राप्त करने, प्रोसेस करने तथा अनुमोदन प्रदान करने/सूचना प्रदान करने, क्रियाशील होटलों के होटल वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण स्टेटस तथा निर्माणाधीन होटल के लिए परियोजना स्तरीय अनुमोदन के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। इस आनलाइन प्रक्रिया को भुगतान गेटवे के साथ भी एकीकृत किया गया है। स्टार श्रेणी, हेरिटेज श्रेणी, लिगेसी विंटेज श्रेणी और क्रियाशील मोटल की श्रेणी में होटलों के वर्गीकरण तथा परियोजना अनुमोदन के लिए भी आवेदन http://nidhi.nic.in पर दाखिल किए जा सकते हैं।

6.3 आवास यूनिटों की अन्य अनुमोदित श्रेणियां

पर्यटन मंत्रालय अपनी स्वैच्छिक योजनाओं के अंतर्गत टाइम शेयर रिजॉर्ट्स, अपार्टमेंट होटल, गेस्टम हाउस, बिस्तर एवं नाश्ता/होमस्टेज प्रतिष्ठान, तंबूनुमा आवास, ऑनलाइन ट्रेवल एग्रीगेटर्स, स्टैंड अलोन एयर केटरिंग यूनिट, कंवेंशन केंद्र और स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट को भी अनुमोदित करता है।

6.3.1 हेरिटेज होटल

1950 से पहले निर्मित पुराने महलों, हवेलियों, किलों, दुर्गों तथा आवासों को आवास यूनिटों में परिवर्तित करने के लिए हेरिटेज होटल की लोकप्रिय संकल्पना शुरू की गई जो बीते युग के परिवेश और जीवनशैली को पुनः प्रस्तुयत करते हैं। ऐसे होटलों को लागू दिशानिर्देशों के अनुसार सुविधा एवं सेवाओं के मानकों के आधार पर तीन श्रेणियों अर्थात हेरिटेज, हेरिटेज क्लासिक और हेरिटेज ग्रैंड में वर्गीकृत किया जाता है। 16 दिसंबर 2014 से हेरिटेज होटल की एक नई श्रेणी अर्थात हेरिटेज क्लासिक (अल्कोहल सर्विस के बगैर) शुरू की गई है।

6.3.2 लिगेसी विंटेज होटल

विरासत संपत्तियों/भवनों (अर्थात ऐसी संपत्ति या भवन जो वर्ष 1950 से पूर्व निर्मित/खड़ा किया गया है) की सामग्रियों से निर्मित होटलों को शामिल करने के लिए लिगेसी विंटेज होटल की संकल्पना शुरू की गई है, यदि होटल के निर्माण के लिए प्रयुक्त कम से कम 50 प्रतिशत सामग्री विरासत संपत्ति या भवन से प्राप्त की गई है। ऐसे होटल बीते युग के परिवेश एवं वातावरण को पुनः सृजित करने में

मदद करेंगे। ऐसे होटलों को 3 उप श्रेणियों अर्थात लिगेसी विंटेज (बेसिक), लिगेसी विंटेज (क्लासिक) और लिगेसी विंटेज (ग्रैंड) में वर्गीकृत किया जाएगा। लिगेसी विंटेज होटलों के वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देश 19 अप्रैल 2018 को अधिसूचित किए गए हैं।

6.3.3 स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट का अनुमोदन

रेस्टोरेंट पर्यटकों द्वारा किसी स्थान की यात्रा के अभिन्न अंग हैं और इस प्रकार उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाएं यात्रा को सुखद बना सकती हैं या बिगाड़ सकती हैं। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों में रेस्टोरेंट उत्तरोतर लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि वे अथेंटिक फूड, विशेष रूप से देश के विभिन्न राज्यों के पकवानों का लुत्फ उठाना चाहते हैं। पर्यटकों को विश्व स्तरीय मानकीकृत सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्यत से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार में देश के रेस्टोवरेंटों के अनुमोदन के लिए एक स्वैच्छिक योजना है।

6.3.4 अपार्टमेंट होटलों का अनुमोदन

अपार्टमेंट होटल बिजनेस ट्रैवलर में उत्तरोतर लोकप्रिय हो रहे हैं, जो असाइनमेंट या फेमिली हालीडे आदि के लिए भारत के दौरे पर आते हैं जो कई बार कई महीनों के लिए होता है। पर्यटकों को विश्व स्तरीय मानकीकृत सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्ये से पर्यटन मंत्रालय ने 5 स्टार डीलक्स, 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार की श्रेणियों में पूर्णतः क्रियाशील अपार्टमेंट होटलों के वर्गीकरण के लिए एक स्वैच्छिक योजना शुरू की है।

6.3.5 मोटलों का अनुमोदन

मोटल अतिथि सत्कार क्षेत्र का एक महत्पूर्ण सेगमेंट है जो सस्ता आवास प्रदान करता है। प्रदान की जाने वाली सुविधाओं एवं सेवाओं के माध्यम से मोटल रोड ट्रैवलर की अतिथि सत्कार संबंधी आवश्यकताएं पूरी करते हैं तथा कमरे अक्सर निचले ब्लाकों में उपलब्ध कराए जाते हैं जहां से सीधे बाहर जाने के लिए पार्किंग की सुविधा होती है। समग्र पर्यटन उत्पालद के घटक के रूप में इस सेगमेंट को पहचान प्रदान करने तथा मोटलों की सुविधाओं एवं सेवाओं का न्यूनतम मानक निर्धारित करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने क्रियाशील मोटलों के अनुमोदन के लिए एक स्वैच्छिक योजना तैयार की है। प्रचालनरत मोटलों के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देश 25 सितंबर 2018 को अधिसूचित किए गए हैं।

6.3.6 अतिथि गृहों का अनुमोदन

घरेलू एवं विदेशी दोनों बजट पर्यटकों के लिए होटल आवास की आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने अतिथि गृहों के अनुमोदन के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा की है और उनमें संशोधन किया है ताकि स्वच्छता, साफ – सफाई और स्तरोन्नत सुविधाओं एवं प्रथाओं के कतिपय मानकों का पालन किया जा सके। संशोधित दिशानिर्देशों का उद्देश्य बदलती आवश्यकताओं तथा सुरक्षा एवं संरक्षा के सरोकारों पर ध्यान देना था। स्वच्छता, स्वास्थ्य, साफ सफाई तथा पेस्ट कंट्रोल के उपायों पर बल दिया गया है। यदि अतिथि गृह तथा अन्य प्रकार की आवास यूनिटें सुविधाओं और सेवाओं के कतिपय मानकों को पूरा करती हैं तो उनको इस योजना के अंतर्गत मंजूरी प्रदान की जाती है। इन कदमों से बजट श्रेणी में न केवल होटल आवास की संख्या में संभावित रूप से वृद्धि हो सकती है अपितु राज्यों के लिए रोजगार एवं राजस्व का भी सृजन हो सकता है।

6.3.7 टाइम शेयर रिजार्ट का अनुमोदन एवं वर्गीकरण

टाइम शेयर रिजार्ट (टीएसआर) लीजर हालीडे और फेमिली हालीडे आदि के लिए उत्तरोतर लोकप्रिय हो रहे हैं। पर्यटकों को विश्व स्तरीय मानकीकृत सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार की श्रेणियों में पूर्णतः क्रियाशील टाइम शेयर रिजार्ट के वर्गीकरण के लिए एक स्वैच्छिक योजना शुरू की है।

6.3.8 अतुल्य भारत की बेड एंड ब्रेकफास्ट/होम स्टे योजना

यह योजना विदेशी एवं घरेलू पर्यटकों को भारतीय परिवार के साथ ठहरने और गर्मजोशीपूर्ण अतिथि सत्कार का लुत्फ उठाने एवं स्वच्छ तथा किफायती स्थान में भारतीय संस्कृति एवं व्यंजन का जायका लेने का अवसर प्रदान करती है। ऐसे प्रतिष्ठानों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने एवं अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाने के विचार से भी इस मंत्रालय ने योजना की समीक्षा की है और दिशानिर्देशों को सरल बनाया है। पर्यटन मंत्रालय अपने घरेलू कार्यालयों के माध्यम से सभी राज्यों में गृह प्रवास/अतुल्य भारत बिस्तर एवं नाश्ता स्थापनाओं के संवर्धन पर सुग्राहीकरण कार्यशालाओं का आयोजन करता रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है। अतुल्य भारत की

बिस्तर एवं नाश्ता स्थापनाओं तथा अतुल्य भारत की गृह प्रवास स्थापनाओं के वर्गीकरण तथा पुनः वर्गीकरण के संशोधित दिशानिर्देश 10 दिसंबर 2018 को अधिसूचित किए गए हैं। ये दिशानिर्देश सामान्य राष्ट्रीय मानक होंगे जिसे प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मूल विशेषताओं को अक्षुण्य रखते हुए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करेंगे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इसमें संशोधन करने तथा सामान्य राष्ट्रीय मानकों के अलावा उपयुक्त पैरामीटर/कसौटियां लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे। पर्यटन मंत्रालय सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में बीएंडबी/गृह प्रवास स्थापनाओं का वर्गीकरण करना तब तक जारी रखेगा जब तक कि संबंधित राज्य/संघ राज्य् क्षेत्र सामान्य राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ऐसे वर्गीकरण के लिए अपना स्वयं का तंत्र स्थापित नहीं कर लेंगे। आवेदनों के निस्तारण के लिए ऑनलाइन माड्यूल को सक्रिय किया गया है। अनुमोदित इकाइयां मंत्रालय की वेबसाइट पर सूचीबद्ध हैं। आवेदन http://nidhi.nic.in पर ऑनलाइन भरा जा सकता है।

6.3.9 स्टैंड अलोन एयर केटरिंग यूनिटों का अनुमोदन

एयर केटरिंग सेगमेंट में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सुनिश्चय करने के लिए इस मंत्रालय ने स्टैंड अलोन एयर केटरिंग यूनिटों को अनुमोदित एवं वर्गीकृत किया है।

6.3.10 कनवेंशन सेंटर का अनुमोदन

बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी (एमआईसीई) पर्यटन उद्योग के महत्वपूर्ण सेगमेंट हैं। ऊंची दर से विकास करने वाली तेजी से भूमंडलीकृत हो रही भारतीय अर्थव्यवस्था में एमआईसीई पर्यटन का विकसित होना तय है तथा देश को इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिक कनवेंशन एवं एग्जिबीशन सेंटर की आवश्यकता है। इन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने तथा सुविधाओं को मानकीकृत करने के लिए यह मंत्रालय कनवेंशन सेंटर को अनुमोदन प्रदान करता है।

6.3.11 आनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर (ओटीए)

आनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर (ओटीए) के अनुमोदन/पुनः अनुमोदन की योजना के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं तथा 10 दिसंबर, 2018 को अधिसूचित किए गए हैं। यह योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है और पर्यटन मंत्रालय से प्रत्यायन प्राप्त करना किसी आनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर के लिए बाध्यकारी नहीं है।

6.3.12 होटल परियोजना के लिए अतिथि सत्कार विकास एवं संवर्धन बोर्ड (एचडीपीबी) :

होटलों का निर्माण प्राथमिक रूप से निजी क्षेत्र की गतिविधि है जो पूंजी सघन है तथा इसकी परिपक्वता अवधि लंबी होती है। भूमि की ऊंची लागत तथा सीमित उपलब्धता के अलावा होटल उद्योग के समक्ष एक अन्य अड़चन होटल परियोजना के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की एजेंसियों से अपेक्षित अनेक स्वीकृतियां/अनुमोदन प्राप्त करने से संबंधित है। इसकी वजह से अक्सर परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब होता है, लागत में वृद्धि होती है आदि। अतिथि सत्कार उद्योग की उपर्युक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने एक अतिथि सत्कार विकास एवं संवर्धन बोर्ड (एचडीपीबी) का गठन किया है। इस बोर्ड के मुख्य कार्यों में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के स्तनर पर होटल परियोजनाओं के अनुमोदन/स्वीकृतियों की निगरानी करना तथा सहायता प्रदान करना शामिल है। बोर्ड विभिन्न स्वीकृतियों के लिए आवेदन प्राप्त करने, समयबद्ध ढंग से होटल परियोजना के प्रस्तावों को मंजूरी/अनुमोदन प्रदान करने तथा देश में होटल/अतिथि सत्कार अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए होटल परियोजना की नीतियों की समीक्षा करने के लिए एकल बिंदु होगा। तथापि, बोर्ड किसी भी रूप में अन्य एजेंसियों की सांविधिक स्वीकृतियों का अधिक्रमण नहीं करेगा, परंतु नियत अनुसूची के आधार पर बैठक के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों/प्राधिकरणों के साथ परियोजना प्रस्तावों की स्वीकृतियों की समीक्षा एवं निगरानी करेगा।

6.3.13 अवसंरचना उप क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 17 अक्टूबर 2017 को देश में होटल रूम की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अवसंरचना उप क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची अधिसूचित की है जिसमें 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित 3 स्टार या उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटल शामिल हैं। दिनांक 26 अप्रैल 2021 की अधिसूचना के माध्यम से, "प्रदर्शन–सह–सम्मेलन केंद्र" को प्रदर्शनी–सह–सम्मेलन केंद्र को परिभाषित करने के एक फुटनोट

के साथ "सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना" की श्रेणी में एक नई मद को सम्मिलित करके अवसंरचना उप–क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में शामिल किया गया है।

6.4 निधि योजना

पर्यटन मंत्रालय ने 08 जून, 2020 को आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (निधि) योजना लांच की जो देश में अवर्गीकृत आवास यूनिटों के बारे में डेटा के सामन्य भंडार के रूप में काम करेगी और विभिन्न पर्यटक स्थलों पर पर्यटन के संवर्धन एवं विकास के लिए नीतियों एवं रणनीतियों का विकास करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मदद करेगी, किसी भी पर्यटक स्थल पर आवास के लिए स्थानों के बारे में सूचना की तलाश करने में पर्यटकों की मदद करेगी, विभिन्न पर्यटक स्थलों की वहन क्षमता का मूल्यांकन करेगी, कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेगी, कोविड–19 महामारी जैसी अवांछित घटनाओं से निपटने के लिए निवारक कदम उठाने तथा पर्याप्त सुरक्षा उपायों को लागू करने में सहायता प्रदान करेगी।

निधि योजना के तहत nidhi.nic.in पोर्टल पर सभी प्रकार की आवास यूनिटों का पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकृत यूनिटें अन्य मूल्यवर्धन सेवाएं प्राप्त करने में समर्थ होंगी, जैसे कि : (क) आतिथ्य उद्योग के लिए जागरूकता, आकलन एवं प्रशिक्षण प्रणाली (साथी) (ख) गंतव्य आधारित कौशल निर्माण (ग) एमएसएमई योजनाएं और (ख) कोविड–19 पश्चात काल में भौतिक संपर्क न्यूनतम करने के लिए डिजिटल एवं वर्चुअल प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

6.5 साथी पहल

वैश्विक कोविड–19 महामारी ने लॉकडाउन के बाद आवास एवं अन्य सेवाएं प्रदान करते समय वायरस के किसी अग्रेतर प्रसार को सीमित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए सभी आतिथ्य यूनिटों के लिए तात्कालिक आवश्यकता उजागर की है। सुरिक्षत ढंग से अपने प्रचालनों को जारी रखने तथा कोविड–19 महामारी से उत्पान्न। जोखिमों को दूर करने में आतिथ्य उद्योग की मदद करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने साथी (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता एवं प्रशिक्षण प्रणाली) नामक पहल के माध्याम से आतिथ्य उद्योग की मदद करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के साथ साझेदारी की है। यह पहल माननीय प्रधानमंत्री की ''आत्मनिर्भर भारत'' के लिए आह्वान के साथ संरेखित है। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा कोविड के विनियमों पर न केवल उद्योग को संवेदनशील बनाना है अपितु कर्मचारियों एवं मेहमानों में यह विश्वास भी पैदा करना है कि आतिथ्य यूनिट ने कार्य स्थल पर सुरक्षा एवं हाइजीन का सुनिश्चय करने की मंशा प्रदर्शित की है।

साथी का उद्देश्य तीन चरणों में अधिकतम आतिथ्य यूनिटों तक पहुंचना है :

1. **स्वयं प्रमाणन** : यह पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों/प्रमुख तत्वों की स्वयं समझ प्रदान करता है। होटल/यूनिट साथी रूपरेखा का बारीकी से अध्ययन करता है और आवश्यकताओं, जहां लागू हों, को अधिकतम संभव सीमा तक पालन करने के लिए सहमत होता है। स्वयं प्रमाणन जारी किया जाता है।
2. **वेबीनार** : यह चरण साथी के मुख्य् घटकों पर होटलों की क्षमता का निर्माण करता है। स्वयं प्रमाणित होटल/यूनिट लाइव इंटरैक्शन के माध्यम से शंकाओं को दूर करने के लिए वेबीनार में भाग लेते हैं।
3. **साइट का मूल्यांकन (ऐच्छिक)** : इस चरण में एसओपी/दिशानिर्देशों का जमीनी स्तरर पर कार्यान्वयन किया जाता है और अंतरालों की पहचान की जाती है। यदि होटल/यूनिट की इच्छा होती है तो वे क्यूसीआई द्वारा प्रत्यालयित एजेंसियों के माध्यम से साथी रूपरेखा के आधार पर साइट का मूल्यांकन कर सकते हैं और सुधार की गुंजाइश के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट आकलित यूनिट के साथ साझा की जाती है।

6.6 अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता प्रमाणन कार्यक्रम

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार उन सभी हितधारकों की क्षमता के निर्माण हेतु निरंतर प्रयासरत है, जिनके साथ आगंतुक की अंतःक्रिया होने की संभावना होती है ताकि प्रत्येक अंतःक्रिया से आगंतुकों को बेहतर अनुभव प्राप्त हो। जैसे जैसे पूरी दुनिया में पर्यटन प्रतिस्प र्धी होता

जाएगा, गंतव्यों को अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के आधार पर और ग्राहकों एवं देश में आने वाले संभावित आगंतुकों के मस्तिष्क में सकारात्मक छवि सृजित करने की अपनी क्षमता के आधार पर भिन्न होने की आवश्यकता होगी।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अतुल्य भारत पर्यटक सुगमता प्रदाता प्रमाणन (आईआईटीएफसी) कार्यक्रम केन्द्रीयकृत अखिल भारतीय ई–लर्निंग माड्यूल के माध्यम से टूर सुगमता प्रदाताओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण एवं प्रत्यायन प्रदान करने के लिए है। पर्यटक सुगमता प्रदाताओं की संस्था अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटन दोनों के लिए अवसंरचनात्मक आवश्यकता का एक बुनियादी घटक होगी। अतुल्य भारत पर्यटक सुगमता प्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम के तहत दो श्रेणियां हैं :

(1) अतुल्य भारत पर्यटक सुगमता प्रदाता कार्यक्रम (बुनियादी)

(2) अतुल्य भारत पर्यटक गाइड (आईआईटीजी) विरासत और एडवेंचर।

यह कार्यक्रम इस ढंग से तैयार किया गया है कि प्रयोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार समय, स्थान, गति और पथ से सीख सकते हैं। 40 साल से कम आयु के उम्मीदवार/व्यक्ति के लिए 10+2 या समकक्ष परीक्षा पास करना अनिवार्य है, जबकि 40 साल और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों/उम्मीदवारों के लिए पाठ्यक्रम में पंजीकरण की तिथि को या उससे पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड द्वारा संचालित 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास करना अनिवार्य है।

आईआईटीएफ प्रमाणन कार्यक्रम के लिए पंजीकरण/पाठ्यक्रम शुल्क केवल 2000 रुपए (दो हजार रुपए) है। तथापि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों, संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर के मूल निवासी उम्मीदवारों तथा नीति आयोग द्वारा यथाचिह्नित आकांक्षी जिलों के उम्मीदवारों (समय समय पर यथासंशोधित") को पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

इस कार्यक्रम से सामान्यतया भारतीय अर्थव्यवस्था को और विशेष रूप से भारतीय पर्यटन को लाभ होगा। इससे अच्छी तरह प्रशिक्षित एवं पेशेवर टूर सुगमता प्रदाताओं के एक संवर्ग का सृजन होगा। इस प्रकार, यह दूरदराज के क्षेत्रों भी अतिरिक्त रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। यह पर्यटकों की मदद करेगा क्योंकि वे तर्कसंगत कीमत पर पर्यटक सुगमता प्रदाताओं, जो स्थानीय होंगे, की सहायता प्राप्त करने में समर्थ होंगे। यह कार्यक्रम डिजिटल पहल है जो भारतीय नागरिकों को पर्यटन से संबंधित कौशलों का विकास करने और उनमें वृद्धि करने और इस प्रकार पूरे देश में पर्यटकों की सहायता करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा।

पहली बार अतुल्य भारत पर्यटन सुविधा प्रदाता बुनियादी पाठ्यक्रम की ऑनलाइन परीक्षा फरवरी, 2021 में आयोजित की गई थी, जिसके परिणाम मार्च, 2021 में घोषित किए गए थे जिसमे 2230 उम्मीदवार सफल हुए थे। दूसरी आईआईटीएफसी बेसिक पाठ्यक्रम परीक्षा 03 और 04 जुलाई, 2021 को आयोजित की गई थी, जिसके लिए 1370 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, जिनमें से 841 को सफल घोषित किया गया था।

पर्यटन मंत्रालय में आईआईटीटीएम के माध्यम से उम्मीदवारों के लिए आईआईटीएफसी उन्नत (विरासत और साहसिक), मौखिक भाषा और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने की प्रक्रिया चल रही है।

पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत पर्यटक गाइड (पहले आरएलजी के रूप में संदर्भित) के लिए एक समान आईडी और बैज (आकृति, आकार और रंग कोडिंग) अपनाने का निर्णय लिया है। आईआईटीएफसी और अतुल्य भारत पर्यटक गाइड के लिए आईडी/बैज को उनके अनुभव मानदंड के आधार पर 05 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	आईआईटीएफसी/आईआईटीजी का विवरण	रंग बैज/श्रेणी	आईडी से जुड़ा सितारा
1.	आईआईटीएफसी (बेसिक)	बेसिक–ब्लू	एक (*)
2.	आईआईटीजी (5 साल से कम का अनुभव)	सिल्वर	दो (**)

3.	आईआईटीजी(5 वर्ष से अधिक का अनुभव लेकिन 10 वर्ष से कम का अनुभव)	गोल्ड	तीन (***)
4.	आईआईटीजी (10 वर्ष से अधिक का अनुभव लेकिन 20 वर्ष से कम का अनुभव)	डायमंड	चार (****)
5.	आईआईटीजी (20 से अधिक वर्षों का अनुभव)	प्लेटिनम	पांच (*****)

6.7 कोविड प्रभावित पर्यटन क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (LGSCATSS)

पर्यटन क्षेत्र को राहत प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 28.06.2021 को घोषणा के अनुसार, पर्यटन मंत्रालय "कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना" (LGSCATSS) को लागू करने के लिए तैयार है। इस ऋण गारंटी योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंट/पर्यटन परिवहन ऑपरेटरों को 10.00 लाख रुपये तक दिया जाएगा। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त प्रत्येक क्षेत्रीय पर्यटक गाइड/अतुल्य भारत पर्यटक गाइड और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड को 1.00 लाख रुपये दिए जाएंगे।

पर्यटन मंत्रालय के एलजीएससीएटीएसएस का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपर्युक्त लाभार्थियों को प्रदान किए गए ऋणों के लिए गारंटी कवरेज प्रदान करना है, ताकि वे अपनी देनदारियों का निर्वहन कर सकें और कोविड–19 महामारी के कारण प्रभावित उनके व्यवसाय को फिर से शुरू कर सकें।

उक्त योजना की वैधता 31.03.2022 तक या जब तक योजना के तहत 250.00 करोड़ रुपये जारी किए जाने की गारंटी, जो भी पहले हो और 04.10.2021 को या उसके बाद (एनसीजीटीसी द्वारा एलजीएससीएटीएसएस दिशानिर्देश जारी करना) 31.03.2022 तक योजना के तहत स्वीकृत सभी पात्र ऋणों पर लागू होगा। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं के लिए एनसीजीटीसी द्वारा एमएलआई से कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

एनसीजीटीसी द्वारा उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर 04.10.2021 को एलजीएससीएटीएसएस के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए गए हैं। यह योजना पहले से ही दस से अधिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से परिचालित है। स्वीकृति पत्र जारी किए जा रहे हैं और योजना शुरू करने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से पात्र उधारकर्ताओं/लक्षित लाभार्थियों को चेक वितरित किए जा रहे हैं।

6.8 निर्भया फंड

सरकार ने एक समर्पित गैर व्यगत कॉर्पस फंड – निर्भया फंड की स्थापना की है, जिसे आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है, जिसका उपयोग विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा में सुधार के लिए डिज़ाइन की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.03.2015 को जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) नोडल मंत्रालय है, जिसके पास लाइन मंत्रालयों/विभागों के संयोजन के साथ प्रस्तावों और योजनाओं के मूल्यांकन/सिफारिश करने, स्वीकृत योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करने की जिम्मेदारी है।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के मूल्यांकन और सिफारिश के परिणामस्वरूप। मध्य प्रदेश के 'मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल' हेतु, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यूसीडी) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) और सचिव (पर्यटन), भारत सरकार के अनुमोदन के बाद, तीन वर्षों की अवधि में 16.79 करोड़ रु. (लगभग) जारी/ खर्च करने के लिए सहमत हुए। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजना की कुल लागत 27.99 करोड़ रुपये (लगभग) है, जिसमें राशि को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 60–40 के अनुपात में यानी क्रमशः 16.79 करोड़ रुपये और 11.20 करोड़ रुपये वितरित किये जायेंगे।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए 19.03.2021 को 'निर्भया फंड' के तहत कुल 16.79 करोड़ रुपये (लगभग) के केंद्र सरकार के वित्तीय हिस्से में से मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड

को 6.24 करोड़ रुपये (लगभग) की पहली किस्त जारी की गई है।

6.9 यात्रा एवं व्यापार सेवा प्रदाता का अनुमोदन

पूर्व में पर्यटन मंत्रालय यात्रा व्यापार सेवा प्रदाताओं की निम्नलिखित श्रेणियों के तहत मान्यता/अनुमोदन देता था:

i. इनबाउंड टूर आपरेटर्स
ii. ट्रैवल एजेंट
iii. डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स
iv. एडवेंचर टूर आपरेटर्स
v. टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स

इस योजना के संशोधित दिशानिर्देश 18 जुलाई 2011 को जारी किए गए। इस योजना का लक्ष्य एवं उद्देश्य इन श्रेणियों में गुणवत्ता, मानक एवं सेवा को प्रोत्साहित करना है। यह एक स्वैच्छिक योजना है जो सभी प्रमाणिक एजेंसियों के लिए उपलब्ध है:

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले कुछ समय में व्यापक रूप से वैश्विक विकास और उन्नति हुई है, जो पर्यटन क्षेत्र पर एक मजबूत असर डालती है और बदलते हुए यात्री और उद्योग परिदृश्य के मुकाबले में इस क्षेत्र की लगातार जांच करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने पर्यटन सेवा प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करने के दिशानिर्देशों की समीक्षा करने की आवश्यकता को स्वीकार किया। इसके अलावा, कोरोना वायरस (कोविड–19) महामारी ने पर्यटन क्षेत्र में एक अभूतपूर्व संकट उत्पन्न कर दिया था। इन सभी कारकों से यह आवश्यक हो गया कि पर्यटन सेवा प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करने के दिशानिर्देशों में उपयुक्त ढंग से संशोधन किया जाए। तदनुसार, दिसंबर 2020 में दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि उनकी पहुंच और दायरे को बढ़ाया जा सके। संशोधित दिशानिर्देश जनवरी 2021 से प्रभावी होंगे।

मौजूदा दिशानिर्देशों को 'पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन सेवा प्रदाताओं की मान्यता' के लिए एक एकल दिशानिर्देश में समेकित किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत मान्यता तीन व्यापक उप श्रेणियों के तहत प्रदान की जाएगी :

i. टूर ऑपरेटर्स (इनबाउंड, घरेलू, एडवेंचर, एमआईसीई)
ii. ट्रैवल एजेंट
iii. टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स

इन तीन उप श्रेणियों में ऑनलाइन मोड के माध्यम से पर्यटकों के लिए आवश्यक व्यवस्था करने वाले ऑपरेटर/एजेंसियां भी शामिल होंगी।

आत्मानिर्भर के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार ग्रीनशूट/स्टार्ट–अप एजेंसियों की एक श्रेणी शुरू की गई है।

पर्यटन मंत्रालय ने 17 जनवरी 2022 तक कुल 1082 हितधारकों को मान्यता प्रदान की है। इनमें से 41 ग्रीन शूट/स्टार्टअप; 208 ट्रैवल एजेंट; 104 टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और 729 टूर ऑपरेटर्स हैं।

6.10 वेब आधारित सार्वजनिक प्रदायगी प्रणाली

यात्रा व्यवसाय सेवा प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने 12 मई, 2014 से वेब आधारित सार्वजनिक प्रदायगी प्रणाली स्थापित की है। इस प्रणाली का उद्देश्यं पर्यटन मंत्रालय से मान्यता प्राप्तर करने के इच्छुक यात्रा व्यापार सेवा प्रदाताओं द्वारा आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना और अनुमोदन प्रदान करने में पारदर्शिता लाना है। नई प्रक्रिया सेवा प्रदाताओं से आवेदन आनलाइन स्वीकार करती है जिसकी वजह से यह प्रक्रिया पेपरलेस हो गई है।

यूआरएल http://etraveltradeapproval.nic.in @के माध्यम से सभी आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तथा पूर्ण आवेदन की प्राप्ति से 60 दिन के अंदर उनकी जांच की जाती है, प्रोसेस किया जाता है तथा अनुमोदित/अस्वीकृत किया जाता है। यह पहल अनुमोदन आदि के लिए ई–रिजीम की दिशा में बढ़ने के मंत्रालय के उद्देश्यव का अंग है।

6.11 ई–वीजा

देश में वीजा व्यवस्था को सरल बनाने के लिए गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ पर्यटन मंत्रालय बहुत घनिष्ठता के साथ काम कर रहा है। मंत्रालय ने इलेक्ट्रानिक यात्रा प्राधिकार (ईटीए) (ई–वीजा के रूप में पुनः नामकरण) समर्थित आगमन पर पर्यटक वीजा के

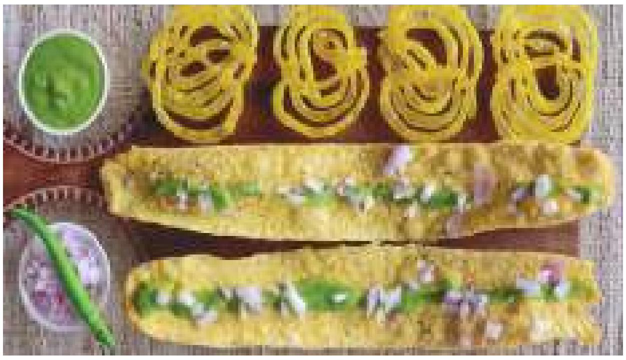

जलेबी फाफड़ा, गुजरात

विरासत गांव कोहिमा नागालैंड

कार्यान्वयन के संबंध में पहल का समर्थन किया और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय को सभी सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता की। भारत सरकार ने 27 नवंबर 2014 को ई–वीजा लांच किया और इसके बाद शुरू में 46 देशों के लिए ई–टूरिस्टा वीजा शुरू किया गया।

मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुपालन में भारत सरकार ने 30 नवंबर 2016 को ई–टूरिस्ट वीजा को और उदार बनाया और ई–टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर ई–वीजा स्कीम रखा गया तथा इस समय ई–वीजा की निम्नलिखित 5 उप श्रेणियां हैं :

i) ई–टूरिस्ट वीजा,
ii) ई–बिजनेस वीजा,
ii) ई–मेडिकल वीजा,
iv) ई–कन्फ्रेंस वीजा, और
v) ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा

वर्तमान में, ई–वीजा योजना 156 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है।

ई–वीजा 28 निर्दिष्ट हवाई अड्डों (अर्थात अहमदाबाद, अमृतसर, बागडोगरा, बेंगलुरू, कालीकट, चेन्नई, चंडीगढ़, कोचीन, कोयंबटूर, दिल्ली, गया, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मंगलौर, मुंबई, नागपुर, पुणे, तिरुचिरापल्ली, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, विशाखापत्तनम, मदुरै, भुवनेश्वर तथा पोर्ट ब्लेयर) तथा 5 निर्दिष्टि बंदरगाहों (अर्थात मुंबई, कोचीन, मोर्मुगाओ, चेन्नई और न्यू मंगलौर) के माध्यम से प्रवेश के लिए मान्य है।

महामारी से पहले ई–वीजा व्यवस्था को और उदार तथा अधिक पर्यटक हितैषी बनाते हुए सरकार ने इसमें कई संशोधन किए थे। किए गए महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं :

I. एक साल के लिए मौजूदा ई–टूरिस्ट वीजा के अलावा मल्टिपल एंट्री के साथ 5 साल के लिए ई–टूरिस्ट वीजा की एक नई श्रेणी शुरू की गई है।

II. यूएसए, यूके, कनाडा और जापान के नागरिकों को छोड़कर ऐसे सभी देशों के नागरिकों के मामले में ई–टूरिस्ट वीजा के लिए प्रवास की अवधि 90 दिन है जो ई–वीजा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। यूएसए, यूके, कनाडा और जापान के नागरिकों के लिए प्रत्येक विजिट के दौरान सतत प्रवास की अवधि 180 दिन से अधिक नहीं होगी। ई–मेडिकल वीजा के मामले में और ई–मेडिकल अटेंडेंट वीजा के लिए ट्रिपल एंट्री की अनुमति प्रदान की गई है तथा संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ)/विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरओ) द्वारा प्रत्येक मामले के मेरिट के आधार पर मामला दर मामला आधार पर 6 माह तक अवधि बढ़ाई जा सकती है। मेडिकल अटेंडेंट वीजा की अवधि प्रधान ई वीजा धारक की वैधता अवधि समाप्त होने के साथ समाप्त होगी।

III. इसके अलावा, ई–टूरिस्ट वीजा की एक नई श्रेणी भी शुरू की गई है जो डबल एंट्री के साथ एक माह की अवधि के लिए मान्य है।

IV. इसके अलावा, वीजा शुल्क को भी तर्कसंगत बनाया गया है तथा इसे काफी हद तक घटा दिया गया है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- 5 साल के ई–टूरिस्टड वीजा के लिए – 80 डॉलर
- 1 साल के ई–टूरिस्ट वीजा के लिए – 40 डॉलर
- एक माह के ई–टूरिस्ट वीजा के लिए –
  - ✓ टूरिस्ट सीजन (जुलाई से मार्च) – 25 डॉलर
  - ✓ कम पर्यटक आने वाले सीजन (अप्रैल से जून) के लिए – 10 डॉलर

V. सरकारी/पीएसयू सम्मेलन के लिए ई–कांफ्रेंस वीजा की तर्ज पर निजी व्यक्तियों/ कंपनियों/ संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले निजी सम्मेलनों के लिए ई–कान्फ्रेंस वीजा प्रदान किया जाएगा।

कोविड–19 महामारी से उत्पन्न स्थिति और इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा मार्च, 2020 से वीजा जारी करना निलंबित कर दिया गया था। ई–पर्यटक वीजा की बहाली के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई पर और कैबिनेट सचिव, गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति की सिफारिश के अनुसार अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 30.03. 2021 के माध्यम से 156 देशों के नागरिकों के लिए सभी उप–श्रेणियों (ई–पर्यटन वीजा को छोड़कर) सहित ई–वीजा व्यवस्था बहाल कर दी है। उस समय यह भी बताया गया था कि ई–पर्यटक वीजा की बहाली पर निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा।

भारत सरकार ने वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण स्रोत बाजारों के लिए प्रोत्साहन के भौगोलिक प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए पर्यटकों को 500,000 मुफ्त वीजा देने की घोषणा की है, मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि मुफ्त वीजा को स्रोत बाजारों में तर्कसंगत रूप से विभाजित किया जा सकता है ताकि विभिन्न राष्ट्रीयताओं वाले अंतर्गामी पर्यटकों द्वारा इसका लाभ उठाया जा सके।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) के कोविड संबंधित दिशानिर्देशों के अधीन पर्यटन के उद्देश्य से भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों के लिए प्रतिबंध में ढील दी है।

i. 15 अक्टूबर, 2021 से चार्टर्ड उड़ानों और समूह बुकिंग के माध्यम से भारत आने वाले पर्यटकों के लिए ई–पर्यटक वीजा/पर्यटक वीजा बहाल कर दिया गया है।

ii. 15 नवंबर, 2021 से ई–पर्यटक वीजा/पर्यटक वीजा उन सभी व्यक्तिगत विदेशी नागरिकों के लिए पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है जो पर्यटन के उद्देश्य से भारत आने का इरादा रखते हैं।

iii. प्रारंभ में, ई–पर्यटक/पर्यटक वीजा 30 दिनों की वैधता के साथ जारी किया जा रहा है। ई–पर्यटक वीजा/पर्यटक वीजा का विस्तार निलंबित रहेगा।

6.12 घरेलू पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना

2020 में कोविड–19 का वैश्विक प्रकोप समाजों और आजीविकाओं पर जबरदस्त प्रभाव के साथ एक अभूतपूर्व वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल रहा है। यात्रा और पर्यटन इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में एक है जिसके कारण सभी यात्रा – घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय – को पूर्ण रूप से कम कर दिया है। जब स्थिति आसान हो जाएगी, तो ऐसी संभावना है कि घरेलू यात्रा और पर्यटन देश में पर्यटन क्षेत्र के पुनरुद्धार का नेतृत्व करेगा। इसलिए इस समय मंत्रालय का ध्यान घरेलू पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित और बहाल करने पर है।

उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) की योजना के दिशानिर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।

इस योजना के उद्देश्य नीचे दिए गए हैं :

- हितधारकों को घरेलू बाजार के लिए अपने

विपणन कार्यक्रमों के अंग के रूप देश के कम ज्ञात और उपयोग में न लाए गए गंतव्यों सहित पर्यटन स्थलों का प्रचार करने के लिए प्रेरित करना।

- हितधारकों को पूरे देश के पर्यटन स्थलों और उत्पादों से परिचित कराना ताकि वे उनको घरेलू उपभोक्ताओं के बीच प्रभावी ढंग से प्रमोट कर सकें और उन्हें अपने पैकेज में शामिल कर सकें।
- हितधारकों को देश में पर्यटन के क्षेत्र में नए गंतव्यों, उत्पादों और विकास से परिचित कराना।
- हितधारकों को पर्यटन उद्योग को देश की महत्वपूर्ण सामाजिक – आर्थिक गतिविधि बनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

एमडीए के संशोधित दिशानिर्देशों दिनांक 28 नवंबर, 2020 के अनुसार, देश के भीतर प्रचार की निम्नलिखित गतिविधियों के लिए पर्यटन सेवा प्रदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, अर्थात घरेलू यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना; राष्ट्रीय पर्यटन, व्यापार और आतिथ्य संघों तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पर्यटन मंत्रालयों द्वारा आयोजित पर्यटन से संबंधित सम्मेलनों/सम्मेलनों/सेमिनारों में भाग लेना; देश के विभिन्न क्षेत्रों में रोड शो में भाग लेना और पर्यटन स्थलों और उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार, घरेलू बाजार में टूर पैकेज, जिसमें डिजिटल प्रचारक ब्रोशर/लीफलेट का निर्माण शामिल है।

इसके अलावा, देश के अंदर संवर्धनात्मक गतिविधियों को संचालित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यअ क्षेत्र प्रशासनों पर्यटन विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें घरेलू यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना; डिजिटल संवर्धन ब्रोशर/लिफलेट का निर्माण सहित घरेलू बाजार में पर्यटन स्थलों एवं उत्पादों का आनलाइन संवर्धन तथा पर्यटन उत्पादों से परिचित कराने के लिए राज्यस सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई यात्रा शामिल हैं।

6.13 बहुभाषी पर्यटक इनफोलाइन

पर्यटन मंत्रालय ने 8 फरवरी 2016 को हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में 24x7 टोल फ्री बहुभाषी पर्यटक हेल्पालाइन शुरू की है। अंग्रेजी और हिंदी के अलावा 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं अर्थात अरबी, फ्रेंच, जर्मन, इटेलियन, जापानी, कोरियन, चाइनीज, पुर्तगीज, रसियन और स्पेंनिश में टूरिस्टर हेल्पालाइन द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यह सेवा टोल फ्री नंबर 1–800–11–1363 पर या शार्ट कोड 1363 पर उपलब्ध है तथा वर्ष में 24x7 (सभी दिन) क्रियाशील है तथा निर्धारित भाषाओं में ''बहुभाषी हेल्पेडेस्कस'' की सेवाएं प्रदान करती है।

इस बहुभाषी हेल्प लाइन का उद्देश्य निर्धारित भाषाओं में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भारत में यात्रा एवं पर्यटन से संबंधित सूचना प्रदान करने की दृष्टि से सहायता सेवा प्रदान करना और कॉल करने वाले व्यक्ति को भारत में यात्रा के दौरान विपदा की घड़ी में उठाए जाने वाले कदम के बारे में सलाह देना और आवश्यक होने पर संबंधित प्राधिकारियों को चौकस करना है।

यह पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार का एक अनोखा प्रयास है तथा भारत की यात्रा करने के दौरान विदेशी पर्यटकों में सुरक्षा एवं संरक्षा की भावना पैदा करता है। फरवरी, 2016 से लेकर दिसंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान इस बहु–भाषायी इंफोलाइन पर कुल 637615 बार पूछताछ की गई हैं और उनका समाधान किया गया है।

6.14 संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी)

देश के प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों को यात्रा का बेहतर एवं सुखद अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ नियमित रूप से समन्वय स्थापित करता है और इसके फलस्वरूप गृह मंत्रालय ने मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 5 साल की अगली अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर, 2022 तक पीएपी/आरएपी से छूट प्रदान की है।

6.15 क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)

हवाई यात्रा को किफायती बनाकर क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुगम बनाने/प्रोत्साहित करने के उद्देश्यत से आरसीएस– उड़ान नागर विमानन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है।

आरसीएस उड़ान–3 के अंतर्गत, पर्यटन मंत्रालय ने संपर्क में और सुधार तथा आइकॉनिक स्थलों सहित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 46 पर्यटक मार्गों को शामिल कराने के प्रयोजनार्थ नागर विमानन मंत्रालय से संपर्क किया है। इन पर्यटन मार्गों में से, वर्तमान में 29 मार्गों पर संचालन शुरू हो जा चुका है।

इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन मार्गों को शामिल करने और हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए समर्थन करता रहा है और अपनी सिफारिशें देता रहा है। नागर विमानन मंत्रालय ने हाल ही में आरसीएस उड़ान 4 के तहत 78 मार्गों को अंतिम रूप दिया है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए और उसके भीतर हवाई संपर्क बढ़ाना है।

6.16 पर्यटक सुविधा एवं सूचना काउंटर

पर्यटक सुविधा एवं सूचना काउंटर 5 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टी3 टर्मिनल आगमन द्वार पर खोला गया था। इसके बाद, पर्यटन मंत्रालय ने वाराणसी, बोधगया, बैंगलोर, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी और हैदराबाद के हवाई अड्डों पर भी पर्यटक सुविधा काउंटर शुरू किए हैं यानी पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के 9 अलग अलग हवाई अड्डों पर कुल 9 पर्यटक सुविधा काउंटर खोले गए हैं।

आगंतुकों के लिए सुविधा केंद्र खोलना देश में आने वाले पर्यटकों के लिए बहुत मददगार होगा। काउंटर गैर अंग्रेजी भाषी पर्यटकों की आवश्यताएं भी पूरी करेंगे क्योंकि ये काउंटर मंत्रालय की 24x7 हेल्प लाइन – '1363' से भी कनेक्ट होंगे जहां पर्यटक विदेशी भाषा एजेंट से सीधे बात कर सकते हैं और फ्रेंच, जर्मन, इटेलियन, पुर्तगीज, रसियन, जापानी, कोरियन, चाइनीज और अरबी में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

6.17 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) की मदद से महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के लिए सड़क संपर्क और सड़क के किनारे स्थित सुविधाओं में सुधार

पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए सड़क संपर्क में सुधार के बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के साथ बात कर रहा है और पहले चरण में शुरू करने के लिए एमओआरटीएच को 50 पर्यटन स्थलों की सूची सौंपी थी। जहां अच्छा सड़क संपर्क पहले से मौजूद है, वहां एमओआरटीएच से 15–20 किलोमीटर की दूरी पर सड़क के किनारे सुविधाओं की स्थापना करने, प्रमुख संकेत लगाने और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण पर विचार करने का अनुरोध किया गया है। इन 50 गंतव्यों में से केवल 23 एमओआरटीएच/एनएचएआई के दायरे में आते हैं, जहां काम प्रगति पर है।

शेष 27 पर्यटन स्थलों के लिए पर्यटन मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों और पीडब्ल्यूडी को सड़क संपर्क में सुधार और सड़क के किनारे सुविधाओं के प्रावधान के लिए पत्र लिखे हैं क्योंकि ये सड़कें एमओआरटीएच के दायरे में नहीं आती हैं। पर्यटन मंत्रालय एमओआरटीएच को भेजे जाने वाले 50 पर्यटक स्थलों की एक और सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिन पर दूसरे चरण में विचार किया जाएगा। इसके लिए मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के इनपुट के लिए उनके साथ समन्वय कर रहा है। इसके लिए बैठकें दो दिन अर्थात 24 और 25 नवंबर, 2020 को आयोजित की गई हैं।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के पर्यटन विभागों के साथ 24 और 25 नवंबर, 2020 को आभासी बैठकें आयोजित की गईं, ताकि उन पर्यटन स्थलों पर उनके इनपुट और सुझाव प्राप्त किए जा सकें, जिन्हें सड़क संपर्क और सड़क के किनारे की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त इनपुट के आधार पर 114 गंतव्यों की एक सूची तैयार की गई है और इन पर्यटन स्थलों के लिए सड़क संपर्क में सुधार के लिए MoRT&H के साथ साझा की गई है।

इसके अलावा, पर्यटकों की सुगम यात्रा के अनुभव में वृद्धि करने के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों और अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ सड़क संपर्क में सुधार और सार्वजनिक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी नवंबर, 2021 में बैठकें की गई हैं।

उमेद भवन, जोधपुर

6.18 विरासत अपनाओ

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने ''विरासत अपनाओ – अपनी धरोहर अपनी पहचान'' परियोजना शुरू की है जो पूरे भारत में फैले विरासत/प्राकृतिक/पर्यटक स्थीलों को नियोजित एवं चरणबद्ध ढंग से पर्यटक हितैषी बनाने के लिए उन पर पर्यटन की सुविधाओं के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का सामूहिक प्रयास है। इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र की कंपनियों, कारपोरेट नागरिकों, एनजीओ, व्यक्तियों तथा अन्य हितधारकों को ''स्मारक मित्र'' बनने और इन स्थलों पर पर्यटन की बुनियादी तथा उन्नत सुविधाओं का विकास एवं उन्नयन करने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। वे उनके प्रचालन एवं अनुरक्षण का कामकाज भी देखेंगे। परियोजना के तहत, भारत भर में सत्ताईस (27) स्थलों और दो (2) तकनीकी हस्तक्षेपों के लिए 12 स्मारक मित्रों के साथ 29 समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए गए हैं।

01 जनवरी 2021 – 31 दिसंबर 2021 के दौरान "पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता" योजना के तहत स्वीकृत रेलवे स्टेशन के संयुक्त विकास के लिए जारी राशि का विवरण (वास्तविक डेटा)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	जारी की गई राशि (करोड़ रुपए में)
1.	अजमेर, राजस्थान	अजमेर रेलवे स्टेशन	1.11 दिनांक 24.05.2021 को तीसरी/अंतिम किस्त के रूप में जारी

❖❖❖

अध्याय 7

मानव संसाधन विकास

अध्याय
7

मानव संसाधन विकास

7.1 होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम) और खाद्य शिल्प संस्थान (एफसीआई)

आवश्यक अवसंरचना सहायता के साथ प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा की प्रणाली स्थापित करना पर्यटन मंत्रालय का प्रयास रहा है जो गुणवत्ता और मात्रा दोनों की दृष्टि से पर्यटन एवं आतिथ्य उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति सृजित करने में सक्षम हो। आज तक की स्थिति के अनुसार 48 होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम) (जिसमें 21 केन्द्रीय आईएचएम और 27 राज्य आईएचएम शामिल हैं) और 13 फूड क्राफ्ट संस्थान (एफसीआई) हैं जो मंत्रालय की सहायता से अस्तित्व में आए हैं। जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश में एक (1) केंद्रीय आईएचएम निर्माणाधीन है। ये संस्थान अतिथि सत्कार के कौशलों में अतिथि सत्कार शिक्षा प्रदान करने/प्रशिक्षण संचालित करने के विशिष्ट अधिदेश के साथ स्वायत्त सोसाइटी के रूप में स्थापित किए गए। आईएचएम मुख्य रूप से डिग्री स्तरीय आतिथ्य शिक्षा प्रदान करते हैं, जबकि एफसीआई कौशल स्तरीय शिक्षा प्रदान करते हैं।

7.2 राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग प्रोद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी, पर्यटन मंत्रालय)

आईएचएम और एफसीआई के शैक्षिक प्रयासों को संचालित एवं विनियमित करने के लिए 1982 में मंत्रालय ने राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग प्राद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) स्थापित किया। एनसीएचएमसीटी का अधिदेश अपने संबद्ध संस्थानों के माध्यम से अतिथि सत्कार प्रबंध शिक्षा के विकास तथा विकास में सामान्य उन्नति का समन्वय करना है। परिषद को व्यापक श्रेणी के प्रशासनिक मामलों में क्षेत्राधिकार प्राप्ति है जिसमें दाखिला, शुल्क, उप नियम, अध्ययनों के लिए पाठ्य विवरण, पाठ्यक्रम, अनुसंधान एवं परीक्षाएं, परीक्षाफल, भवन योजनाओं एवं उपकरण का विनियमन, प्रशिक्षण, पत्रिकाओं, पिरियाडिकल का प्रकाशन आदि शामिल हैं तथा सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसी गतिविधियों का संचालन करना भी शामिल है जो समय समय पर निर्धारित की जाती हैं। एनसीएचएमसीटी संबद्धता प्रदान करने वाली संस्थास भी है तथा 21 सीआईएचएम, 27 एसआईएचएम और 13 एफसीआई जो मंत्रालय की सहायता से अस्तित्व में आए हैं, दाखिला तथा परीक्षा के विनियमन के लिए इससे संबद्ध हैं। एनसीएचएमसीटी को निजी आईएचएम को संबद्धता प्रदान करने का दायित्व भी प्रदान किया गया है। आज तक की स्थिति के अनुसार 29 निजी संस्थान एनसीएचएमसीटी से संबद्ध हैं। एनसीएचएमसीटी अपने संबद्ध संस्थानों के लिए अतिथि सत्कार और होटल प्रशासन में तीन वर्षीय बीएससी कार्यक्रम के पहले वर्ष में दाखिला के लिए अखिल भारतीय आधार पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) का भी आयोजन करता है। अतिथि सत्कार प्रशासन में एमएससी के लिए दाखिला परिषद द्वारा केन्द्रीय स्तर पर संचालित की जाती है। अन्य पाठ्यक्रमों के मामले में, अर्थात आवास प्रचालन में पीजी डिप्लोलमा, डायटेटिक्सल तथा हास्पिटल फूड सर्विस में पीजी डिप्लोमा, खाद्य निर्माण में डिप्लोलमा, फूड और बिवरेज सर्विस में डिप्लोमा, हाउस कीपिंग आपरेशन में डिप्लोामा, बेकरी और कनफेक्शनरी में डिप्लोमा, फूड और बिवरेज सर्विस में क्राफ्ट्समैनशिप कोर्स तथा होटल एवं कैटरिंग प्रबंध में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के मामले में संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए परिषद द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार संबंधित संस्थानों द्वारा सीधे दाखिला प्रदान किया जाता है।

विभिन्न अल्पावधिक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 25,772 छात्रों ने एनसीएचएमसीटी द्वारा प्रस्तावित विभिन्न नियमित शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतर्गत अपने आपको नामांकित कराया है।

डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग प्राद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) को सांविधिक निकाय के रूप में प्रोन्नत करने का प्रस्ताव प्रस्तुति किया गया है जिसका नाम राष्ट्रीय अतिथि सत्कार प्रबंध संस्थान (एनआईएचएम) होगा।

7.3 भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम), पर्यटन मंत्रालय

1983 में स्थापित भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम) यात्रा एवं पर्यटन शिक्षा एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है। यह पर्यटन एवं यात्रा उद्योग के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्रदान करता है। इस समय यह निम्नलिखित कार्यक्रमों की पेशकश कर रहा है :

ग्वालियर, भुवनेश्वर, नोएडा, नेल्लोर और गोवा में स्थित अपने केन्द्रों से दो वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए (पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध) तथा तीन वर्षीय पूर्णकालिक बीबीए (पर्यटन एवं यात्रा) कार्यक्रम। ये केंद्र अल्पावधिक कौशल विकास कार्यक्रम/पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं। विभिन्न अल्पावधिक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 590 छात्रों ने आईआईटीटीएम द्वारा प्रस्तावित विभिन्न नियमित शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतर्गत अपने आपको नामांकित कराया है।

आईआईटीटीएम के प्रस्तावित नए केंद्र

शिलांग और बोधगया में आईआईटीटीएम के नए केंद्र खोलने के प्रस्ताव पर उनकी सहमति लेने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव को अंतिम रूप दिए जाने तक, अल्पकालिक कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए शिलांग, मेघालय और बोधगया, बिहार में आईआईटीटीएम के एक शिविर को संचालित कर दिया गया है।

7.4 राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस), गोवा

एनआईडब्ल्यूएस, गोवा को वर्ष 1995 में आईआईटीटीएम में शामिल किया गया। भारत में शिक्षा/प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्श की चल रही गतिविधियों को सुदृढ़ करने तथा फुर्सत के समय जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, गोवा की स्थापना का मुद्दा उठाया जा रहा है। वर्तमान में, एनआईडब्ल्यूएस ओबीएम अनुरक्षण, एफआरपी नौका मरम्मत, टिलर नियंत्रित पावरबोट हैंडलिंग, रिमोट कंट्रोल पावरबोट हैंडलिंग, जीवन रक्षक तकनीक, सर्फ जीवन रक्षक तकनीक इत्यादि जैसी परामर्शी गतिविधियां, पेशेवर अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह विंडसर्फिंग, सेलिंग, वाटर स्किइंग, कायाकिंग इत्यादि जैसे कौशल आधारित पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया कैंपस निर्माणाधीन है।

7.5 आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी आदि को सहायता प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय की योजना

पर्यटन मंत्रालय की ''आईएचएम/एफसीआई आदि को सहायता'' नामक एक योजनागत स्कीम है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य' क्षेत्र प्रशासनों को निधियों की उपलब्धता, योजना के दिशानिर्देशों की शर्तों एवं नियमों का पालन करने तथा उनकी परस्पसर प्राथमिकता के अधीन होटल प्रबंध संस्थान (आईएचएम)

की स्थापना के लिए अधिकतम 16.50 करोड़ रुपए, खाद्य शिल्प संस्थान (एफसीआई) की स्थापना के लिए 7.50 करोड़ रुपए, सरकार द्वारा प्रायोजित आईटीआई, पालिटिक्निक, कॉलेज, पीएसयू के माध्यम से अतिथि सत्कार शिक्षा का आधार विस्तृत करने के लिए 2.40 करोड़ रुपए और स्कूलों के लिए 30 लाख रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की जा सकती है। तथापि, केन्द्रे सरकार द्वारा सृजित आईएचएम की स्थापना अथवा भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थाथन (आईआईटीटीएम) या राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं केटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) या भारतीय पाकशाला संस्थान (आईसीआई) के केन्द्र/शाखा की स्थापना के लिए सहायता की मात्रा इस सीलिंग के अधीन नहीं होगी।

नए आईएचएम/एफसीआई की स्थापना के लिए प्रदान की जाने वाली केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) योजना के दिशानिर्देशों के प्रावधानों तथा एनसीएचएमसीटी से संस्थान की संबद्धता के अधीन है। सामान्य अनुदान 12. 50 करोड़ रुपए तक है जिसमें से 10.00 करोड़ रुपए निर्माण के लिए है और शेष राशि संस्थान द्वारा अपेक्षित उपकरणों के क्रय के लिए है। हॉस्टलों के निर्माण के लिए 4.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्तं राशि भी मंजूर की जा सकती है। केन्द्रीय अनुदान के अलावा व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। खाद्य शिल्प संस्थान के लिए, केन्द्रीय सहायता 7.50 करोड़ रुपए तक सीमित है। संस्थानिक अवसंरचना के उन्नयन जैसे कि छात्रावासों के निर्माण और प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए भी केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रयोगशाला के उपकरणों, फर्नीचर, कंप्यूटर के क्रय तथा संस्थानों की अवसंरचना के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के लिए है। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, इस योजना के अंतर्गत संशोधित अनुमान के स्तर पर 50.00 करोड़ रुपये की राशि का बजट प्रावधान किया गया है और 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार सम्पूर्ण राशि का उपयोग कर लिया गया है।

7.6 अतिथि सत्कार शिक्षा का आधार विस्तृत करना

मंत्रालय ने सरकारी व्यावसायिक स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), पोलिटेक्निक संस्थानों, सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से अतिथि सत्कार शिक्षा को मुख्य धारा में लाने का भी निर्णय लिया है। सभी के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध होगी। पाठ्यक्रम/प्रशिक्षणों के संचालन के लिए आवश्यक अवसंरचना के सृजन के लिए सहायता का उपयोग किया जा सकता है।

7.7 भारतीय पाकशाला संस्थान, तिरुपति

पर्यटन मंत्रालय ने 97.92 करोड़ रुपए की कुल लागत से तिरुपति में भारतीय पाकशाला संस्थान (आईसीआई) की स्थापना की है जिसका उद्देश्य (i) हेरिटेज भारतीय व्यंजन का परिरक्षण करना, (ii) पाक कला का अनुसंधान, प्रलेखन, संग्रहालय एवं संसाधन केंद्र स्थापित करना, और (iii) पाक कौशल में विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करना है। भारतीय पाकशाला संस्थान इंटरनेशनल बेंचमार्क की पुष्टि करते हुए अपने विषय क्षेत्र में संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगा। नोएडा में भारतीय पाकशाला संस्थान, तिरुपति का एक चैप्टर स्थापित किया गया है।

आईसीआई, तिरुपति और नोएडा के लिए 60–60 छात्रों के साथ आईसीआई ने 2018–19 से 3 वर्षीय बीबीए पाक कला पाठ्यक्रम शुरू किया है। आरंभ में 30 छात्रों के साथ तिरुपति और नोएडा कैंपस में शैक्षिक वर्ष 2019–20 से एमबीए पाठ्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है। विभिन्न अल्पावधिक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, वर्ष 2020–21 के दौरान कुल 119 छात्रों ने आईसीआई द्वारा प्रस्तावित विभिन्न नियमित शैक्षणिक कार्यक्रमों के अंतर्गत अपने आपको नामांकित कराया है।

7.8 सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण

7.8.1 पर्यटन मंत्रालय की ''सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण'' (सीबीएसपी) नामक योजना का उद्देश्य सेवा के प्रत्येक स्तर पर जनशक्ति को प्रशिक्षित करने एवं स्तरोन्नत करने के मुख्य उद्देश्य के साथ पर्यटन सेवा प्रदाताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र प्रदान करना है ताकि (i) देश की विशाल पर्यटन क्षमता का पूरी तरह उपयोग हो सके, और (ii) स्थानीय लोगों को पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान की जा सके तथा शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन के नए अवसर सृजित किए जा सकें। इन प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं को पर्यटकों को सीधे सेवाएं प्रदान करने में तैनात किया जा सकता है या उनको शिक्षण, प्रशासन या आयोजना के महत्वपूर्ण कार्य में शामिल किया जा सकता है।

फ़ॉकलैंड, आइज़ॉल

7.8.2 पर्यटन मंत्रालय द्वारा यह योजना अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित ऐसे संस्थानों सहित होटल प्रबंध संस्थानों और खाद्य शिल्प संस्थानों, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान (आईआईटीटीएम), एनसीएचएमसीटी, भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी), राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/केंद्र सरकार के प्रशिक्षण/शिक्षा संस्थाओं तथा अतिथि सत्कार के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले निजी क्षेत्र के विशिष्ट शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से चलाई जा रही है।

7.8.3 सीबीएसपी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं :

(क) **हुनर से रोजगार तक** : यह कार्यक्रम वर्तमान में 160 घंटे से 700 घंटे के कुल 11 अल्पावधिक पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव करता है। इन 11 पाठ्यक्रमों में से 8 पाठ्यक्रम अर्थात मल्टी क्विज़ीन कुक, फूड एंड बेवरेज सर्विस, रूम अटेंडेंट, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, लॉन्ड्री मशीन ऑपरेटर, किचन स्टीवर्ड, होम डिलीवरी ब्वॉय और ट्रेडिशनल स्नैक्स एंड सेवोरी मेकर आतिथ्य से संबंधित हैं और अन्य तीन पाठ्यक्रम अर्थात निःशस्त्र सुरक्षा गार्ड, विरासत गाइड एवं टूर गाइड गैर आतिथ्य पाठ्यक्रम हैं और पर्यटन मंत्रालय द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित हैं। कुल उपलब्धि यह है कि वित्त वर्ष 2020–21 के अंत तक 3823 व्यक्तियों को प्रशिक्षित/प्रमाणित किया गया है और लगभग 4480 प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं।

(ख) **कौशल परीक्षण और प्रमाणनः** खाद्य उत्पादन, फूड एंड बेवरेज सेवा, बेकरी और हाउसकीपिंग में मौजूदा सेवा प्रदाताओं के परीक्षण और प्रमाणन के लिए मौजूदा सेवा प्रदाताओं का कौशल परीक्षण एवं प्रमाणन। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान 4766 व्यक्तियों को प्रमाणित किया गया था।

(ग) **उद्यमिता कार्यक्रम** : इस कार्यक्रम के अंतर्गत (i) कुक – तंदूर, (ii) बर्मन, (iii) बेकर, (iv) होमस्टे (मल्टी स्किल्ड केयरटेकर) और (v) हलवाई – भारतीय मिष्ठा न के ट्रेडों में 150 घंटे के पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2020–21 के अंत में कुल 1834 व्यक्तियों को प्रशिक्षित/प्रमाणित किया गया था।

(घ) **पर्यटन एडवेंचर पाठ्यक्रम** : पर्यटन मंत्रालय ने वित्त– वर्ष 2018–19 में 'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण' नामक योजना के अंतर्गत पर्यटन एडवेंचर पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम आईआईएसएम, गुलमर्ग के माध्यम से आईआईटीटीएम द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस पहल के तहत तीन पाठ्यक्रम अर्थात

एचएसआरटी प्रशिक्षण कार्यक्रम

पैरासेलिंग, ट्रेकिंग और हॉट एयर बैलूनिंग शामिल किए गए हैं।

इस मंत्रालय ने विशेष रूप से संरचित क्षेत्र आधारित एडवेंचर कौशल विकास पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान (आईएमएफ) के माध्यम से 'एडवेंचर ट्रैवल एस्कॉर्ट' के लिए 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य भी सौंपा है। इस कार्यक्रम के टारगेट ग्रुप में 10वीं पास उम्मीदवार होंगे जो अंग्रेजी या हिंदी को अच्छी तरह पढ़ने, लिखने और बोलने में सक्षम होने चाहिए।

वित्त वर्ष 2020–21 में टूरिज्म एडवेंचर एंड ट्रैवल एस्कॉर्ट कोर्स के तहत कुल 70 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित/प्रमाणित किया गया। इन पाठ्यक्रमों का संचालन आईआईटीटीएम द्वारा कारगिल, लद्दाख में किया गया था।

(ङ) **भाषायी पर्यटक सुगमता प्रदाता (एलटीएफ):** मंत्रालय द्वारा 'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण' की योजना के तहत स्वयं प्रेरित पहलों के तहत गाइडों/पर्यटक सुविधा प्रदाताओं तथा अन्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए अंग्रेजी, डच, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, चीनी आदि में 6 सप्ताह के भाषा पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस कार्यक्रम का बुनियादी उद्देश्य विभिन्न देशों से भारत आने वाले पर्यटकों की मदद करने के लिए विभिन्न विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षित जनशक्ति का सृजन करना और मौजूदा सेवा प्रदाताओं के कौशलों का उन्नयन करना है ताकि वे विदेशी पर्यटकों के साथ उनकी भाषाओं में कारगर ढंग से संव्यवहार कर सकें। लक्षित समूह में किसी धारा में +2 या समकक्ष तथा न्यूनतम 20 वर्ष की आयु के लोग शामिल हैं।

(च) **मध्याह्न भोजन :** मानव संसाधन विकास मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने एक संयुक्त पहल के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आईएचएम और एफसीआई में पूरे देश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में तैनात कुक सह सहायक के प्रशिक्षण के लिए 10 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया है। यह संयुक्त प्रयास औपचारिक रूप से उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित है। इस योजना का ध्येय कुकिंग की वैराइटी तथा विधियों, भोजन के पोषण संबंधी पहलुओं तथा साफ–सफाई में योजना का प्रबंध करने वाले कार्यबल एवं मास्टर कुक को प्रशिक्षित करना है ताकि उत्पादन एवं डिलीवरी की पूरी श्रृंखला में ऐसे मानकों का सुनिश्चय हो सके जो स्वीकार्य हैं। यह मौजूदा सेवा प्रदाताओं में से ऐसे संसाधन व्यसक्तियों को लाने की मांग करता है जिन्होंने इन योग्यताओं

साहसिक पर्यटन पाठ्यक्रम

में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जो बदले में दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत और विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे।

(छ) **गंतव्य आधारित कौशल विकास** : वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 में पर्यटन मंत्रालय ने 7 आइकॉनिक स्थलों अर्थात आगरा में ताजमहल, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार, बिहार में महाबोधी मंदिर, गोवा में कोलवा बीच और असम में काजीरंगा में गंतव्य आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। वित्त वर्ष 2019–20 में गंतव्य आधारित कौशल विकास पाठ्यक्रम के तहत कुल 1219 प्रशिक्षु प्रशिक्षित/प्रमाणित किए गए थे।

वर्ष 2020–21 में यह कार्यक्रम 150 गंतव्यों पर शुरू किया। कौशल विकास कार्यक्रम में अब तक हुनर से रोजगार तक, कौशल परीक्षण और प्रमाणन, उद्यमिता कार्यक्रम तथा पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम शामिल हैं। वर्तमान स्थिति और वर्तमान वित्त वर्ष की शेष अवधि को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 30000 प्रशिक्षुओं के कुल लक्ष्य के मुकाबले में लक्ष्य को कम करके 8010 प्रशिक्षु तक करने का निर्णय लिया था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान इस पहल के तहत 44 गंतव्यों पर कुल 3715 प्रशिक्षुओं को प्रमाणित किया गया।

(ज) **अन्य कार्यक्रम** : इस योजना के अंतर्गत मौजूदा सेवा प्रदाताओं के लिए पर्यटन जागरूकता/संवेदीकरण कार्यक्रम भी संचालित किए गए हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि 2 से 6 दिन है। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य अंततः पर्यटकों के लिए बेहतर सेवा परिवेश एवं अनुभव प्राप्त करना तथा स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाना है।

इसके अंग के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने इन प्रतिष्ठित स्थलों में और आसपास पर्यटन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है जिसके केन्द्र में ढाबा वाले, टैक्सी/रिक्शा चालक, पुलिस स्टाफ, होटल स्टाफ और दुकानदार आदि हैं। 11 केन्द्रीय आईएचएम को यह कार्यक्रम संचालित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

❖❖❖

अध्याय 8

प्रचार एवं विपणन

अध्याय
8

प्रचार एवं विपणन

पर्यटन मंत्रालय समग्र रूप से भारत को प्रमोट करता है। पर्यटन मंत्रालय अपने विपणन/प्रचार कार्यकलापों के भाग के रूप में घरेलू और विदेशी बाजार में अभियान चलाता है; पर्यटन संबंधी समारोह आयोजित करता है और उन्हें सहायता प्रदान करता है; विभिन्नय थीमों तथा गंतव्यों पर ब्रोशर, लीफलेट, मानचित्र, फिल्म तथा सीडी आदि का प्रकाशन करता है; संवर्धनात्मक कार्यकलापों आदि के संचालन हेतु पर्यटन सेवा प्रदाताओं को वित्तीकय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2021 के दौरान घरेलू तथा विदेशी बाजार एवं सोशल मीडिया में चलाए गए संवर्धनात्मक कार्यकलापों का विवरण निम्नलिखित खंडों में दिया गया है।

8.1 कार्यक्रम/प्रदर्शनियां

पर्यटन मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम

(क) पर्यटन मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 26 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर भारत पर्व– 2021 का आयोजन किया। उद्घाटन समारोह 26 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पर्व के आयोजन का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना था।

(ख) पर्यटन मंत्रालय ने 27 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन किया। इसका विषय 'समावेशी विकास के लिए पर्यटन' था। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को वैश्विक अवलोकन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य तथा सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने में इस क्षेत्र के योगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है।

8.2 घरेलू पर्यटन संवर्धन –

पर्यटन मंत्रालय ने देश के विभिन्न गंतव्यों और शहरों में देखो अपना देश और आजादी का अमृत महोत्सव पहल के प्रचार और संवर्द्धन के लिए विभिन्न घरेलू कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन आयोजनों को मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल और पीआईबी तथा स्थानीय यात्रा व्यापार मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया गया।

8.3 थीमैटिक ब्रोशर और क्रिएटिव का निर्माण

भारत में बौद्ध स्थलों पर एक थीमेटिक ब्रोशर का पुनर्विकास किया गया और कुशीनगर पर एक गंतव्य ब्रोशर के उत्पादन के साथ मुद्रित किया गया। इसके अलावा, आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के संबंध में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यात्रा कार्यक्रम पर एक डिजिटल ब्रोशर भी तैयार किया गया है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव पर थीमेटिक क्रिएटिव को मीडिया के विभिन्न रूपों में उपयोग करने के साथ–साथ घरेलू हवाई अड्डों पर ब्रांडिंग के रूप में बाहरी ब्रांडिंग के लिए तैयार किया गया है। इन क्रिएटिव पर आधारित अतुल्य भारत पोस्टकार्ड भी तैयार किए गए और वितरण के लिए मुद्रित किए गए हैं।

8.4 सोशल मीडिया पर प्रचार

वर्तमान में चल रही कोविड–19 महामारी के कारण, मंत्रालय के विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार–प्रसार किया गया। वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय के पास अपनी प्रभावी डिजिटल उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया हैंडल के दो सेट हैं, नामतः @incredibleindia vkSj @tourismgoi जिसमे क्रमशः 8 अलग–अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे अतुल्य भारत के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन और पर्यटन मंत्रालय के लिए फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर खाते हैं।

पर्यटन मंत्रालय के सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से पर्यटन स्थलों, उत्पादों और पर्यटन क्षेत्र से संबंधित सरकार की प्रमुख पहलों का व्यापक प्रचार और संवर्द्धन किया गया है, साथ ही पर्यटन संबंधी जानकारी और दिशा–निर्देशों का वास्तविक समय में प्रचार–प्रसार किया गया है ताकि घरेलू और प्रवासी यात्रियों को सुविधा प्रदान की जा सके। इसके अलावा, मंत्रालय ने यात्रियों को कोविड के प्रति उचित व्यवहार और सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइज़र आदि के उपयोग के बारे में प्रोत्साहित करने और संवेदनशील बनाने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। विविध पर्यटन उत्पादों और विषयों जैसे विरासत पर्यटन, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, सप्ताहांत में जाने लायक स्थलों, पाक पर्यटन, भारत के कम ज्ञात गंतव्यों को बढ़ावा दिया गया था।।

भारतीय पारंपरिक विरासत का संवर्द्धन करने के लिए वर्चुअल लाइव सत्रों के माध्यम से प्रभावशाली व्यक्तित्वों के साथ सफलतापूर्वक जुड़ाव स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे दिवस को विभिन्न लाइव कार्यक्रमों, 6 दिनों के आभासी अभियान, दर्शकों की भागीदारी आदि के माध्यम से आभासी रूप से प्रचारित किया गया था। पेज को इंटरेक्टिव बनाने के साथ–साथ विजुअल के माध्यम से भारत के अल्पज्ञात स्थलों को सामने लाने के लिए विभिन्न अवसरों पर वर्चुअल 'वीडियोग्राफी प्रतियोगिता' और 'फोटोग्राफी प्रतियोगिता' आयोजित करने की पहल की गई। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय के सभी सोशल मीडिया हैंडल पर सभी प्रचार कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया गया।

विजन #Vocal 4 Local, #Make In India और #Aatma Nirbhar Bharat को मजबूती प्रदान करने के लिए टॉय टूरिज्म और हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म पर लगातार पोस्ट किए गए। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दुनिया के सबसे बड़े कोविड –19 टीकाकरण अभियान को चलाने की पहल और #VaccineCentury की उपलब्धि की पहल को पोस्ट, स्टोरी, ट्वीट और रीट्वीट के साथ–साथ MyGov, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा जारी की गई सभी यात्रा सुरक्षा दिशानिर्देशों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। विभिन्न योजनाओं के तहत पर्यटन मंत्रालय की पहलों और

मूलभूत संरचना परियोजनाओं को पूरे वर्ष में विधिवत रूप से उजागर और संवर्धित किया गया।

पर्यटन मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से चलाये जा रहे एक सोशल मीडिया आउटरीच कार्यक्रम के परिणामस्वरूप फॉलोवर्स और सहभागिता में वृद्धि हुई है।

@ अतुल्य भारत
ट्विटर – 2.4 मिलियन फॉलोवर्स
फेसबुक – 2.06 मिलियन फॉलोवर्स
इंस्टाग्राम– 515K फॉलोवर्स
यूट्यूब – 126K सब्सक्राइबर
लिंक्डइन–27,653 फॉलोवर्स

@ टूरिज्म जीओआई

ट्विटर – 283.4K फॉलोवर्स
फेसबुक – 140.7K फॉलोवर्स
इंस्टाग्राम– 55.7K फॉलोवर्स

8.5 आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) योजना

- घरेलू पर्यटन भारत में पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- पर्यटन मंत्रालय घरेलू पर्यटन के संवर्धन के लिए तथा घरेलू पर्यटक आमद में वृद्धि के उद्देश्य से विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियों का आयोजन करता है।
- इन गतिविधियों का उद्देश्य मुख्य रूप से पर्यटन गंतव्यों एवं उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पूर्वोत्तर तथा जम्मू एवं कश्मीर जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर बल देते हुए देश के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- सामाजिक जागरूकता के संदेशों का प्रसार करना और ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जो पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम हैं।

8.6 समुद्रपारीय विपणन

8.6.1 01 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक की अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी

विदेश स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों ने पूरी दुनिया में पर्यटक का सृजन करने वाले महत्पूर्ण बाजारों में तथा उभरते एवं संभावित बाजारों में देश के पर्यटन उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा प्रचार प्रसार करने के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लिया। जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

i पीएटीए एडवेंचर टूरिज्म ट्रैवल मार्ट (वर्चुअल)
ii बायोटोपिया मी–बायो वैली, जापान में "इंडिया फेयर"
iii. कायाला, ग्वाटेमाला सिटी में नमस्ते इंडिया'
iv. सकाई शहर, ओसाका में फोटो प्रदर्शनी
v. नागासाकी में आभासी "बड़ा पैनल प्रदर्शनी"
vi. पीएटीए ट्रैवल मार्ट (आभासी)
vii. बे एरिया ट्रैवल एंड एडवेंचर शो
viii. वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट, लंदन, यूके

8.6.2 रोड शो :

प्रचार प्रसार के लिए शुरू की गई पहलों के अंग के रूप में ट्रैवल उद्योग के विभिन्न सेगमेंट की भागीदारी के साथ पर्यटक पैदा करने वाले महत्वलपूर्ण विदेशी बाजारों में रोड शो का आयोजन किया जाता है। रोड शो में भारत के व्यापार शिष्टमंडल और संबंधित देशों में यात्रा व्यापार के बीच एक दर एक व्यवसाय बैठकें तथा प्रस्तु तियां शामिल होती हैं। तथापि, कोरोना वायरस (कोविड–19) महामारी के कारण, पर्यटन मंत्रालय इस अवधि के दौरान कोई रोड शो आयोजित नहीं कर सका।

'इंडिया टूरिज्म रीकनेक्ट' शीर्षक वाले पहले वर्चुअल मीट सह बी2बी सत्र का आयोजन इंडिया टूरिज्म सिंगापुर द्वारा किया गया था, जिसका लक्ष्य प्रमुख आसियान बाजारों को लक्षित करना था यानि फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर। इसका उद्देश्य भारतीय पर्यटन उद्योग को इन प्रमुख बाजारों में हितधारकों के साथ फिर से जोड़ना था और व्यापार को फिर से शुरू करने की तैयारी शुरू करने के लिए बातचीत और चर्चा शुरू करनी थी जब भी इसकी घोषणा की जाती है।

8.6.3 भारत को जानें संगोष्ठियां

1 जनवरी से 31 दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने विदेशों में स्थित अपने भारत पर्यटन

कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न देशों में नो इंडिया सेमिनार/वेबिनार भी आयोजित किए हैं।

आजादी का अमृत महोत्सव भारत /75 के समारोह के हिस्से के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने भूटान में भारत के दूतावास के सहयोग से 26 अक्टूबर, 2021 को भारत में बौद्ध परिपथ का एक आभासी दौरा आयोजित किया, जिसमें भगवान बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों जैसे बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकय, राजगीर वैशाली के बारे में जानकारी दी गई।

किंगडम ऑफ सऊदी अरब (केएसए), ह्यूस्टन, डलास और लॉस एंजिल्स (यूएसए); टोरंटो (कनाडा), वियतनाम, जापान, फिलीपींस और सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) में भी वेबिनार आयोजित किए गए।

8.6.4 खाद्य महोत्सव :

भारतीय पाक कला के प्रचार प्रसार के लिए, जो भारतीय पर्यटन उत्पाद का अभिन्न घटक है, पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय शेफ की यात्राओं को प्रायोजित करके भारतीय खाद्य महोत्सवों के लिए सहायता प्रदान की।

8.6.5 आतिथ्य योजना :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य एक आकर्षक बहु आयामी पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है जो कई प्रकार के आकर्षण का केंद्र है। आमंत्रित अतिथि पर्यटन मंत्रालय के आतिथ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अपने परिचय टूर के दौरान भारतीय पर्यटन उत्पादों एवं सुविधाओं के बारे में प्राथमिक सूचना/जानकारी प्राप्त करते हैं। आमतौर पर विदेशी यात्रा लेखकों, पत्रकारों, फोटोग्राफरों, फिल्म/टेलीविजन टीमों, यात्रा एजेंटों एवं टूर ऑपरेटरों, प्रोत्साहन/कंवेंशन ट्रैवल को प्रमोट करने वाली एजेंसियों, राय निर्माताओं, गणमान्य व्यक्तियों/वक्ताओं तथा डोर प्राइज/प्रतियोगिता विजेताओं के लिए आतिथ्य प्रदान किया जाता है।

8.6.6 विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजनाः

विपणन विकास सहायता योजना के अंतर्गत विदेशी बाजारों में बिक्री सह अध्ययन टूर तथा मेलों/प्रदर्शनियों एवं रोड शो में भागीदारी सहित पर्यटन के प्रचार प्रसार की गतिविधियां संचालित करने के लिए अनुमोदित पर्यटन सेवा प्रदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन विभाग भी विदेशों में आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों तथा रोड शो में भाग लेने के लिए एमडीए योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

8.7 अतुल्य भारत वेबसाइट

अतुल्य भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य अतुल्य भारत

वेबसाइट के माध्यम से देश भर में विविध पर्यटन प्रस्तावों के डिजिटल आउटरीच को बढ़ाना, इसे एक वन–स्टॉप डिजिटल सूचना और सेवा मंच में बदलना है जो पर्यटकों की आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन से संबंधित सभी जरूरतों को पूरा करता है। यह वेबसाइट दावा करती है कि इसकी डिजाइन स्वच्छ है तथा इसमें सहज और संगत स्थल व्यापी नेविगेशन प्रणाली है तथा मेन्यू के कार्य में सुधार किया गया है जो पर्यटकों को ऐसी सूचना प्रदान करता है जो उनके लिए सबसे प्रासंगिक होती है। यह मोबाइल डिवाइसों के साथ पूर्णतः अनुक्रियाशील भी है जिसके कारण व्यापक श्रेणी के वेब ब्राउजर और पोर्टेबल डिवाइसों पर नेविगेट करना आसान होता है।

अतुल्य भारत वेबसाइट अपनी डिजिटल यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक काल के पर्यटकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं और ढेर सारी जानकारी प्रदान करने की परिकल्पना करती है। उसी के मद्देनजर, विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों के सहयोग से अतुल्य भारत प्लेटफॉर्म के साथ विभिन्न सूचनाओं और सेवाओं को एकीकृत किया जा रहा है।

सामग्री को अधिक आकर्षक और सूचनापरक बनाने के लिए प्रासंगिक एजेंसियों के सहयोग से अतुल्य भारत वेबसाइट पर अब निम्नलिखित सूचना/सेवाओं को प्रावधान किया जा रहा है :

- पूरे भारत की लोकप्रिय यात्राएँ (48 घंटे का यात्रा कार्यक्रम, अखिल भारतीय यात्रा कार्यक्रम और सड़क यात्राएँ)
- मौसम और सीजन के बारे में जानकारी (आईएमडी के साथ एकीकरण)
- सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में जानकारी (एसबीएम के सार्वजनिक शौचालय के साथ एकीकरण)
- बैंकों और एटीएम के बारे में जानकारी (एसबीआई के साथ एकीकरण)
- आईटीडीसी से होटल की जानकारी
- ऑडियो ओडिगोस से ऑडियो गाइड
- आईआरसीटीसी से ऐसी अन्य सूचनाओं के साथ विभिन्न प्रकार की जानकारी जैसे लक्जरी ट्रेन, टूर पैकेज

उपर्युक्त जानकारी के अलावा, ऑनलाइन स्मारक बुकिंग सेवाओं (एएसआई के साथ), होटल और उड़ान बुकिंग सेवाओं (आईआरसीटीसी के साथ) के एकीकरण, निधि पोर्टल के साथ होटल के डेटाबेस और टूर ऑपरेटर के डेटाबेस के एकीकरण का काम भी चल रहा है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में पर्यटकों को विश्वसनीय और अद्यतन जानकारी प्रदान करने के लिए, अतुल्य भारत प्लेटफॉर्म संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भी सहयोग कर रहा है ताकि वेबसाइट के भीतर प्रत्येक राज्य और संघ राज्यि क्षेत्र के लिए समर्पित पृष्ठों का प्रावधान किया जा सके। इसमें विभिन्न प्रकार की राज्य विशिष्ट जानकारी शामिल है, जिसमें ऐसी अन्य रोचक जानकारी के साथ रोचक तथ्य, आकर्षक मीडिया, अनुभव, घटनाएँ, ब्लॉग शामिल हैं।

पर्यटन मंत्रालय ने वेबसाइट में गूगल 360 वाकथ्रू एवं कहानियों सहित अनेक नई सामग्रियां शुरू की हैं जो हमारे टूरिस्टल अट्रैक्शन के वाक थ्रू के साथ पर्यटकों को वर्चुअल वीडियो सामग्री प्रदान करती है। इसके अलावा, अतुल्य भारत की वेबसाइट पर्यटकों की रुचि के आधार पर पूरी दुनिया में अधिक व्यक्तिगत सामग्री प्रदान करती है तथा अधिक मजबूत एवं विनियमित इलेक्ट्रानिक सामग्री प्रबंध समाधान (ईसीएम) के माध्यम से तथा अतुल्य भारत की वेबसाइट पर पर्यटकों की भागीदारी प्राप्त करने की उन्नत विश्लेषण क्षमता के साथ भारत की उनकी यात्रा के बारे में सही निर्णय लेने में पर्यटकों की सहायता के लिए सामग्री तैयार की गई है।

साथ ही वेब तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आगंतुकों के साथ कारगर भागीदारी के लिए वेबसाइट में एडोब सोल्यूशन स्यूट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। रियल टाइम विश्लेषण की विशेषताएं पर्यटक आगंतुकों की जनांकिक को समझने में मदद करती हैं तथा आगंतुकों की प्रोफाइल बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करती है।

वेबसाइट का अरबी, चीनी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, जर्मन, जापानी और कोरियाई भाषाओं में अनुवाद भी कराया गया है।

शुरुआत अर्थात 14 जून 2018 से अब तक हमें अतुल्य भारत की वेबसाइट पर 14 मिलियन विजिटर प्राप्त हुए हैं

जो भारत की दर्शनीय विरासत, उल्लास, आध्यात्मिकता, संग्रहालय और एडवेंचर का गहन अनुभव ले रहे हैं। शीर्ष 5 देशों की ट्रैफिक सूचना इस प्रकार है : भारत (33. 4 प्रतिशत), यूनाइटेड स्टेट (10.1 प्रतिशत), रूस (8.5 प्रतिशत), यूके (5.8 प्रतिशत) और जर्मनी (4.8 प्रतिशत)।

पर्यटन उत्पाद के रूप में भारत में बौद्ध पर्यटन में भगवान बुद्ध के देश में पूरे विश्वर से 500 मिलियन बौद्ध अनुयायियों को आकर्षित करने की प्रचुर क्षमता है। भारत में एक समृद्ध प्राचीन बौद्ध विरासत है तथा भारत के अनेक महत्व पूर्ण स्थल भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं। भारतीय बौद्ध विरासत में पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की गहरी रुचि है। बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण शक्ति, प्रेरणा का स्रोत और हमारी परंपराओं एवं रिवाजों के लिए मार्गदर्शन रहा है। कुल मिलाकर, संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में इसके अनोखे योगदानों ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत को काफी समृद्ध किया है और हमारे देश की धार्मिक विविधता में वृद्धि की है।

राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध गोष्ठी (आईबीसी), 2018 के दौरान 23 अगस्तर 2018 को महत्वपूर्ण बौद्ध स्थ्लों पर पर्यटन मंत्रालय की वेबसाइट indiathelandofbuddha.in को भी लांच किया। इस वेबसाइट का उद्देश्य भारत में समृद्ध बौद्ध विरासत का प्रचार प्रसार करना और प्रदर्शित करना तथा आधुनिक मठों सहित उनके शिष्यों द्वारा अपने पीछे छोड़ी गई बौद्ध विरासत को प्रदर्शित करने के अलावा पूरे देश में भगवान बुद्ध द्वारा व्यक्तिगत रूप से भ्रमण किए गए प्रमुख गंतव्यों को हाईलाइट करना है। वेबसाइट को अधिक अंत:क्रियात्मक बनाने तथा वेबसाइट देखने वाले यात्रियों को गहन संलिप्तता प्रदान करने के लिए वेबसाइट में अनेक उपयोगी फीचर हैं। एडोब सोल्यूशंस स्यूट की मदद से अब पर्यटन मंत्रालय वेब एवं सोशल मीडिया चैनलों पर आगंतुकों के साथ प्रभावी ढंग से संपर्क स्थापित करने, प्रत्येक पर्यटक की रुचि के आधार पर उनके लिए रियल टाइम निजीकृत अनुभव प्रदान करने में समर्थ होगा।

इस वेबसाइट का उद्देश्ट भारत की बौद्ध विरासत को प्रदर्शित करना तथा देश में बौद्ध स्थलों के पर्यटन को बढ़ाना तथा बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले देशों एवं समुदायों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का निर्माण करना है। इस वेबसाइट के माध्यम से हमारा लक्ष्य अपने आगंतुकों को बौद्ध विरासत के बारे में सरल ढंग से जानकारी प्रदान करना और अपनी पसंद के अनुसार पर्यटकों को सूचना ब्राउज करने की अनुमति प्रदान करना है। नई वेबसाइट अंत:क्रियात्मक है तथा बौद्ध धर्म, बुद्ध के पदचिह्नों, बौद्ध विरासत, बौद्ध मठों तथा अनेक अन्य चीजों के बारे में बेहतर पहुंच प्रदान करती है।

8.8 अतुल्य भारत का मोबाइल ऐप

पर्यटन मंत्रालय ने 27 सितंबर 2018 को मोबाइल हितैषी पीढ़ी तथा सरकार की डिजिटल पहल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतुल्य भारत का मोबाइल ऐप लांच किया।

अतुल्य भारत का ऐप समग्र गंतव्य के रूप में भारत को प्रदर्शित करने में अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू पर्यटकों की सहायता करने के लिए पर्यटन मंत्रालय की नवाचारी परियोजना है जो आध्यात्मिकता, हेरिटेज, एडवेंचर, संस्कृति, योग, स्वास्थ्य आदि जैसे प्रमुख अनुभवों के इर्दगिर्द घूमता है।

'अतुल्य भारत' मोबाइल एप्लिकेशन अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को उन स्थलों, आकर्षणों और अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है जो अतुल्य भारत की वेबसाइट पर भी दिखाए गए हैं। इस जानकारी के साथ, मोबाइल ऐप में मैप इंटीग्रेशन, आपातकालीन संपर्क की सूची और कई अन्य जानकारी भी मौजूद हैं। यह मोबाइल ऐप पर्यटकों को देश भर के अवश्य देखने योग्य पर्यटन स्थलों, लोकप्रिय अनुभवों और घटनाओं, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के पर्यटन की जानकारी सहित अन्य जानकारी प्रदान करता है।

मोबाइल ऐप पर प्रदान की गई जानकारी बहुभाषी है और इसे अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, अरबी और स्पेनिश भाषाओं में देखा जा सकता है।

यह मोबाइल ऐप आधुनिक यात्रियों की पसंद को ध्या न में रखकर डिजाइन किया गया है। यह ऐप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रौद्योगिकियों एवं रुझानों पर आधारित है तथा इसमें भारत का भ्रमण करते समय यात्री के प्रत्येक चरण में उनकी मदद करने के लिए फीचर्स शामिल किए गए हैं।

विशेष रूप से आम जनता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण सकारात्मक निर्णय लेने में नई सरकार की

पहल के अंग के रूप में मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। यह भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किए गए सेवा प्रदाताओं से सेवाएं प्राप्त करने तथा उनसे अच्छी एवं विश्वसनीय सेवाएं प्राप्त करने में पर्यटकों की मदद करेगा। यह ऐप सेवा प्रदायगी के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के संबंध में पर्यटन मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मोबाइल ऐप के प्रयोक्ताओं के बारे में मुख्य जानकारी निम्नलिखित है :

- सेशन की औसत लंबाई : 2.39 मिनट
- शीर्ष 5 देशों का ट्रैफिक : भारत (93.3 प्रतिशत), यूएस (1.4 प्रतिशत), यूएई (0.4 प्रतिशत), यूके (0.4 प्रतिशत), जर्मनी (0.3 प्रतिशत),
- क्रैश रेट : 1.06 प्रतिशत
- कुल लांच : 73,482
- कुल प्रयोक्ता : 23,735

❖❖❖

दिल्ली हाट

अध्याय 9

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अध्याय
9

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

पर्यटन के विकास एवं संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ), एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ईएससीएपी), दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन (आसियान) और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) आदि के साथ विभिन्न परामर्शों एवं वार्ताओं में शामिल होता है। पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग के लिए करारों/समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए अन्य देशों के साथ परामर्शों एवं वार्ताओं का आयोजन किया जाता है। इस समय 45 मान्य एमओयू हैं।

जनवरी 2021 से नवम्बर 2021 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए प्रमुख कार्यकलाप निम्नलिखित हैः

9.1 संयुक्त कार्यकारी समूह/द्विपक्षीय एवं अन्य बैठकें

1. यूएनडब्ल्यूटीओ कार्यकारी परिषद का 113वाँ सत्र 18–19 जनवरी को मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया। पर्यटन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व स्पेन में भारत के राजदूत द्वारा किया गया। इस समय यह सत्र महत्वपूर्ण था क्योंकि वर्ष 2022–2025 की अवधि के लिए यूएनडब्ल्यूटीओ के महासचिव के पद के लिए चुनाव आयोजित किए गए। कार्यकारी परिषद ने अपने 113 वें सत्र में महासभा के लिए नामिती की सिफारिश की। कार्यकारी परिषद का सदस्य होने के नाते भारत ने भी चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया।

2. आसियान पर्यटन मंत्रियों की 24 वीं बैठक के साथ आसियान– भारत पर्यटन मंत्रियों की 8 वीं बैठक 5 फरवरी, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। महामहिम डॉ. थॉन्ग खॉन, कम्बोडिया के पर्यटन मंत्री और श्री प्रहलाद सिंह पटेल, माननीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार), भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता की गई। पर्यटन मंत्रियों की बैठक से पहले दिनांक 3 फरवरी, 2021 को पर्यटन कार्यकारी समूह की बैठक (वर्चुअल मोड) आयोजित की गई जिसमें संयुक्त सचिव (पर्यटन) ने भाग लिया।

   माननीय मंत्री महोदय ने बैठक के दौरान हुए विचार–विमर्शों पर संतोष व्यक्त किया और पर्यटन में आसियान – भारत साझेदारी तथा सहयोग को सुदृढ़ बनाए जाने के प्रति आशा जताई। इस बैठक को एक संयुक्त मीडिया वक्तव्य के साथ समाप्त किया जिसमें मंत्रियों ने आसियान तथा भारत के बीच समझौता ज्ञापन के कार्यढांचे के तहत पर्यटन में आसियान – भारत सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

3. इटली की अध्यक्षता में जी 20 पर्यटन कार्यकारी समूह की पहली बैठक दिनांक 4 तथा 5 मार्च, 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई। 'लोचशील, स्थायी तथा समावेशी पर्यटन के लिए जी 20 दिशानिर्देश' इस बैठक की थीम थी। विचार–विमर्श इन सात बिंदुओं पर केंद्रित था: सुरक्षित गतिशीलता, संकट प्रबंधन, लोचशीलता, समावेशिता, पर्यावरण अनुकूल परिवर्तन, डिजिटल बदलाव तथा निवेश एवं अवसंरचना।

4. संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 29 अप्रैल, 2021 को इटली की अध्यक्षता में जी 20 पर्यटन कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक में भाग लिया था।

5. माननीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) भारत सरकार ने दिनांक 4 मई, 2021 को इटली में आयोजित जी 20 पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में भाग लिया। इस बैठक में समावेशी एवं लोचशील पर्यटन बहाली के लिए जी 20 दिशा निर्देशों के अंतिम प्रारूप पर एक प्रस्तुति और पर्यावरण अनुकूल यात्रा एवं पर्यटन अर्थव्यवस्था में अंतरण संबंधी सिद्धांतों पर चर्चा तथा मंत्रिस्तरीय विज्ञप्ति का प्रारूप शामिल था।

6. पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 12 मई, 2021 को आईबीएसए पर्यटन कार्यकारी समूह (आईटीडब्ल्यूजी) की वर्चुअल बैठक में भाग लिया। दक्षिण अफ्रीका द्वारा इस बैठक का आयोजन अगस्त 2021 के लिए प्रस्तावित आगामी आईबीएसए पर्यटन मंत्रिस्तरीय बैठक की तैयारी हेतु आईबीएसए पर्यटन कार्य योजना के प्रारूप पर विचार–विमर्श के लिए किया गया था।

7. आई सी प्रभाग ने दिनांक 3 तथा 4 जून, 2021 को एससीओ सदस्य देशों के पर्यटन प्रशासनों के प्रतिनिधियों की वर्चुअल मोड में आयोजित विशेषज्ञ बैठक में भाग लिया। सभी पक्षों ने वैश्विक कोविड–19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में पर्यटन क्षेत्र की बहाली और आगे विकास के संबंध में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच सहयोग पर अपने विचारों का आदान–प्रदान किया।

8. आसियान – भारत पर्यटन कार्यकारी समूह (टीडब्ल्यूजी) की 26 वीं बैठक दिनांक 8 जुलाई, 2021 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने इस बैठक में भाग लिया।

9. वर्ष 2021 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के एक भाग के रूप में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक (टीएमएम) दिनांक 13 जुलाई, 2021 को आयोजित की गई। माननीय पर्यटन मंत्री, भारत सरकार ने इस बैठक में भाग लिया। सभी सदस्य देशों यथा ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया। इस टीएमएम से पहले ब्रिक्स के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 12 जुलाई, 2021 को आयोजित की गई थी। भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावशाली साधन के रूप में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया था। इस बैठक में अंतर–ब्रिक्स पर्यटन सहयोग की समीक्षा की गई। मंत्रिस्तरीय विज्ञप्ति को अंगीकार किया जाना इस बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू था जो ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन सहयोग एवं संवर्धन से संबंधित परिणामी दस्तावेज है। मंत्रिस्तरीय विज्ञप्ति में इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि कोविड–19 महामारी ने जन स्वास्थ्य को पूरी तरह से खतरे में डाल दिया है और स्थायी विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन को अत्यधिक चुनौती दी है।

10. एससीओ सदस्य देशों के पर्यटन प्रशासन प्रमुखों की बैठक वर्चुअल मोड में दिनांक 15.07.2021 को आयोजित की गई। सचिव (पर्यटन) तथा संयुक्त सचिव (पर्यटन), भारत सरकार ने इस बैठक में भाग लिया। पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2022–2023 के लिए एससीओ देशों द्वारा पर्यटन में सहयोग के विकास हेतु कार्यक्रम की नई शर्तों के तहत संयुक्त कार्य योजना के प्रारूप का समर्थन किया। शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों द्वारा सूचना वक्तव्य को अंगीकार किए जाने के साथ बैठक का समापन हुआ।

11. वर्ष 2021 में भारत की आईबीएसए अध्यक्षता के एक भाग के रूप में दिनांक 12 अगस्त, 2021 को आईबीएसए पर्यटन मंत्रियों की बैठक (टीएमएम) का आयोजन किया गया। माननीय पर्यटन मंत्री, भारत सरकार ने इस बैठक की अध्यक्षता की। सभी सदस्य देशों यथा ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया। आईबीएसए पर्यटन मंत्रियों की बैठक में आईबीएसए देशों के बीच पर्यटन सहयोग के महत्व को रेखांकित किया गया। इस बैठक में अंतर–आईबीएसए पर्यटन सहयोग की समीक्षा भी की गई। मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अंगीकार किया जाना इस बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा था जो आईबीएसए देशों के बीच पर्यटन सहयोग एवं संवर्धन से संबंधित दस्तावेज है। इस टीएमएम से पहले दिनांक 10 अगस्त, 2021 को पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में आईबीएसए वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम) का आयोजन किया गया।

12. पर्यटन संबंधी भारत–कम्बोडिया संयुक्त कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक का आयोजन दिनांक 22.09.2021 को वर्चुअल मोड में किया गया। भारत की ओर से संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय ने इस बैठक की सह–अध्यक्षता की। भारतीय पक्ष से ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआई), होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एचएआई), इंडिया एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ) भी इस बैठक में उपस्थित थे। महामहिम श्री यॉन्ग राथासाक, पर्यटन विकास महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय ने कंबोडियाई शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। कंबोडिया के शिष्टमंडल में पर्यटन मंत्रालय के विभिन्न सरकारी प्रभाग और यात्रा व्यापार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन शामिल थे।

13. भारत–श्रीलंका पर्यटन कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 को नई दिल्ली में वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने बैठक की सह–अध्यक्षता की और शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएएआई), इंडिया एसोसिएशन

ऑफ टूर ऑपरेटर्स (आईएटीओ) तथा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं पोषाहार प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित थे।

महामहिम श्री एस. हेत्तियाराच्ची, सचिव, पर्यटन मंत्रालय (एमओटी), श्रीलंका सरकार ने श्रीलंकाई शिष्टमंडल की अध्यक्षता की। श्रीलंका से आए शिष्टमंडल में पर्यटन मंत्रालय के विभिन्न प्रभाग और यात्रा व्यापार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन शामिल थे।

14. विश्व पर्यटन संगठन की महासभा का 24 वाँ सत्र दिनांक 30 नवम्बर से 03 दिसम्बर, 2021 को मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया। स्पेन में भारत के राजदूत द्वारा पर्यटन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया गया।

संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन संयुक्त राष्ट्र एजेंसी का एक विशिष्टीकृत निकाय है जो एक जिम्मेदार, स्थायी और वैश्विक रूप से सुगम पर्यटन के संवर्धन के लिए उत्तरदायी है। कुल 158 देश इसके सदस्य हैं। भारत वर्ष 1975 से यूएनडब्ल्यूटीओ का सदस्य है। महासभा विश्व पर्यटन संगठन की प्रमुख बैठक होती है। बजट तथा कार्यक्रम को अनुमोदित करने तथा पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हेतु प्रत्येक दो वर्ष में एक बार इसकी बैठक आयोजित की जाती है। चार वर्ष में एक बार महासचिव का चुनाव किया जाता है। महासभा में सभी सदस्य और एसोसिएट सदस्य शामिल होते हैं।

दिनांक 2 दिसम्बर, 2021 को महासभा के 24 वें सत्र के दौरान यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा पोचमपल्ली (भारत) को सर्वोत्कृष्ट पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया।

9.2 अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप

1. भारत–रूस कार्यनीतिक आर्थिक संवाद (आईआरएसईडी) की पर्यटन एवं कनेक्टिविटी संबंधी समन्वयन समिति की द्विपक्षीय बैठक दिनांक 9 मार्च, 2021 को आयोजित की गई थी। पर्यटन एवं कनेक्टिविटी संबंधी समन्वयन समिति के लिए नोडल मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय है। भारत की ओर से सहभागिता करने वालों में आयुष मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय शामिल थे। बैठक के दौरान निम्नलिखित पर चर्चा की गई:

i. पर्यटन क्षेत्र में भारत तथा रूस के बीच सहयोग के विकास हेतु मौजूदा स्थिति और संभावनाएँ।

ii. कोविड–19 के प्रभावों से निपटने के लिए परस्पर सहयोग और सूचना का आदान–प्रदान, भारत तथा रूसी परिसंघ दोनों देशों में पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु परस्पर सहायता।

iii. भारत तथा रूस में पर्यटन क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी मुद्दे।

2. संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने उपाध्यक्ष, नीति आयोग और रूसी परिसंघ के आर्थिक विकास मंत्री की सह–अध्यक्षता में 15 अप्रैल, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित तीसरे भारत–रूस कार्यनीतिक आर्थिक संवाद में भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तीसरे भारत–रूस कार्यनीतिक आर्थिक संवाद के निष्कर्षों के अनुरूप पर्यटन एवं कनेक्टिविटी से संबंधित संयुक्त वक्तव्य को अंतिम रूप देना था।

3. पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 17 मई, 2021 को 'कोविड–19 के दौरान पर्यटन निवेश हेतु समर्थकारी कार्यढांचा' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। मंत्रालय ने स्पेन के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले (एफआईटीयूआर) के कार्यढांचे के भीतर दिनांक 18 मई, 2021 को आयोजित यूएनडब्ल्यूटीओ, एसडीजी ग्लोबल स्टार्टअप प्रतिस्पर्धा के अंतिम आयोजन में भी भाग लिया। यह आयोजन मैड्रिड में हाइब्रिड फॉर्मेट में किया गया था।

4. माननीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार ने दिनांक 26 मई, 2021 को रियाध (सउदी अरब) में वर्चुअल रूप से आयोजित पर्यटन बहाली शिखरवार्ता में वीडियो संदेश के माध्यम से भाग लिया। यह शिखरवार्ता महामारी के उपरांत पर्यटन क्षेत्र द्वारा एक नए युग में प्रवेश करने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर केंद्रित थी। इस शिखर वार्ता का आयोजन मध्य–पूर्व के यूएनडब्ल्यूटीओ क्षेत्रीय आयोग की 47 वीं बैठक के समानांतर किया गया था।

5. विदेश मंत्रालय ने दिनांक 8 सितम्बर, 2021 को सुषमा स्वराज भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में इतालवी अध्यक्षता 2021 के तहत तैयार किए गए जी 20 जीरो ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए अंतर–मंत्रालयी बैठक आयोजित की थी। सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त बैठक में भाग लिया था।

6. सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और महामहिम फिरात सुनेल, भारत में तुर्की के राजदूत के बीच दिनांक 16 सितम्बर, 2021 को ट्रांसपोर्ट भवन, नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित किया। इस बैठक के दौरान पर्यटन सहयोग, सांस्कृतिक संबंध और छात्र विनिमय जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। महामहिम राजदूत ने लोगों के बीच परस्पर संपर्क पर बल दिया।

7. सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन अवसंरचना के विकास पर पावर प्वाइंट प्रस्तुति की अध्यक्षता की। यह प्रस्तुति दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को मंथन, ट्रांस्पोर्ट भवन, नई दिल्ली में मुख्य सचिव, पर्यटन एवं नागर विमानन, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई थी। इस बैठक में महानिदेशक (पर्यटन), संयुक्त सचिव (पर्यटन), उपमहानिदेशदक (आई सी), सहायक महानिदेशक (आई सी) तथा टीआईओ (आई सी) ने भी भाग लिया।

8. सेवा क्षेत्र में व्यापार सहयोग पर चर्चा के लिए दिनांक 22.10.2021 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में भारत तथा ताईवान के बीच वर्चुअल मोड में कार्यकारी समूह की छठी बैठक आयोजित की गई। वर्तमान मंत्रालय की ओर से सहायक महानिदेशक (आई सी) ने उक्त बैठक में भाग लिया और भारत तथा ताईवान के बीच पर्यटन के संवर्धन हेतु सूचनाएँ दीं।

9. सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने "सोहरा (चेरापूंजी) में ग्रामीण युवाओं के सशक्तीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के परिक्षण हेतु ईको पर्यटन विकास" पर पावर प्वाइंट प्रस्तुति की

अध्यक्षता की। यह प्रस्तुति दिनांक 17 नवम्बर, 2021 को मंथन, ट्रांसपोर्ट भवन, नई दिल्ली में डॉ. विजय कुमार डी, आयुक्त एवं सचिव पर्यटन विभाग, मेघालय सरकार द्वारा दी गई। महानिदेशक (आई सी) और टीआईओ (आई सी) ने भी इस बैठक में भाग लिया।

10. सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार और सिंगापुर भारत साझेदारी कार्यालय (एसआईपीओ) के बीच दिनांक 24 नवम्बर, 2021 को मंथन, प्रथम तल, ट्रांसपोर्ट भवन, नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान सचिव महोदय ने भारतीय पर्यटन उद्योग की बहाली के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों तथा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, डिजिटलीकरण, गंतव्य प्रबंधन, कौशल विकास, सूक्ष्म, लघु तथा मझौले उद्यम आदि जैसे सहयोग के उन क्षेत्रों पर चर्चा की जिन पर पर्यटन मंत्रालय फोकस कर रहा है।

❖❖❖

गंगटोक, एनची मठ

पर्यटन एवं आतिथ्य में सर्वाधिक विश्वसनीय तथा भरोसेमंद ब्रांड

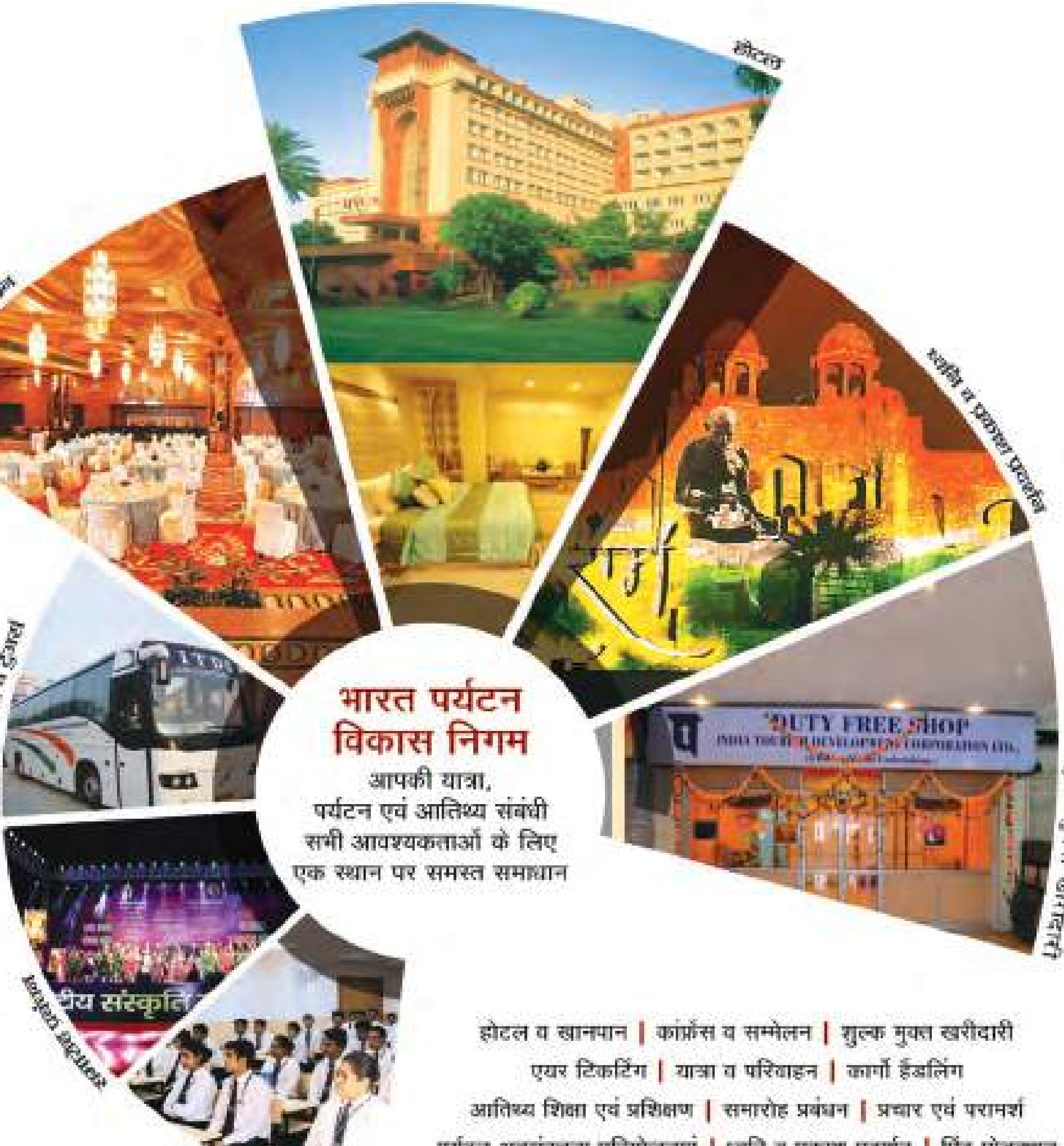

होटल व खानपान | कांफ्रेंस व सम्मेलन | शुल्क मुक्त खरीदारी
एयर टिकटिंग | यात्रा व परिवहन | कार्गो हैंडलिंग
आतिथ्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण | समारोह प्रबंधन | प्रचार एवं परामर्श
पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं | ध्वनि व प्रकाश प्रदर्शन | प्रिंट प्रोडक्शन

भारत पर्यटन विकास निगम लि.
India Tourism Development Corporation Ltd.
(फास्टेस्ट ग्रोइंग मिनी-रत्ना पीएसयू 2015 - डीएसआईजे)

पंजीकृत कार्यालय : स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर 8, छठा तल, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 भारत
दूरभाष : +91-11-24360303 फैक्स : +91-11-24360233 ई–मेल : sales@itdc.co.in वेबसाइट : www.itdc.co.cin

हमारी मोबाइल ऐप, प्ले स्टोर (एंड्रॉयड) अथवा ऐप स्टोर (आईओएस) से डाउनलोड करें

अध्याय 10

भारतीय पर्यटन विकास निगम

अध्याय
10

भारतीय पर्यटन विकास निगम

10.1 प्रस्तावना

भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) पर्यटन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। 01 अक्टूबर, 1966 को निगमित आईटीडीसी ने देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निगम पर्यटकों के लिए विभिन्न स्थानों पर होटलों, रेस्टोरेंटों का संचालन करने के साथ–साथ परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा, निगम पर्यटन प्रचार सामग्री के निर्माण, वितरण और बिक्री का कार्य भी करता है तथा पर्यटकों को मनोरंजन और शुल्क मुक्त खरीदारी की सुविधा प्रदान करता है। निगम ने इंजीनियरिंग से संबंधित परामर्श सेवाओं में भी की उपस्थिति दर्ज की है। निगम विश्वसनीय एवं सस्ती सेवाओं तथा अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ यात्रा एवं कार्गो से संबंधित सभी आवश्यकताओं के लिए आथित्य्, यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र में मनपसंद एवं अग्रणी एक ही स्थान पर समाधान (वन स्टाप सोल्युशन) प्रदान करता है।

आईटीडीसी की स्थापना पर्यटन संबंधी गतिविधियों के विकास और संवर्धन के उद्देश्य से की गई थी। आईटीडीसी को बुनियादी अवसंरचना के विकास, होटल और आवास, यात्रा और पर्यटन संवर्धन, मुद्रण और प्रचार, समारोह प्रबंधन, आतिथ्य शिक्षा, ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन शो और अन्य संबंधित गतिविधियों के रूप में देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिकृत किया गया है। यह उन स्थानों पर गुणवत्तापूर्ण बुनियादी संरचना प्रदान करके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ा, जहां आवास, यात्रा व्यवस्था आदि की अनुपलब्धता के कारण पर्यटन क्षमता का दोहन नहीं किया गया था। निगम ध्वनि और प्रकाश शो भी कार्यान्वित करता है और इंजीनियरिंग के निष्पादन का काम करता है और पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए परियोजनाएं और डीपीआर तैयार करता है।

आईटीडीसी ने पिछड़े क्षेत्रों में पर्यटन के बुनियादी संरचना के विकास में एक प्रतिबद्ध और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।

19 होटलों के विनिवेश और एक अधूरी होटल परियोजना के बाद, आईटीडीसी ने अपनी शेष गतिविधियों को समेकित किया और विविध सेवा–उन्मुख व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए खुद को पुनर्गठित किया।

आईटीडीसी बोर्ड ने मेसर्स डेलॉइट को आईटीडीसी को अपने मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने और पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र से संबंधित संभावित व्यवसाय का दोहन करने की सलाह देने के लिए नियुक्त किया है।

10.2 संगठनात्मक संरचनाः

10.3 आईटीडीसी की सेवाओं का नेटवर्क

आईटीडीसी के वर्तमान नेटवर्क में अशोक ग्रुप के चार होटल, संयुक्त उद्यम के चार होटल जिसमें से 1 होटल इकाईयां प्रचालन में है, पांच परिवहन इकाईयां, बंदरगाहों पर 15 शुल्क मुक्त दुकानें, एक ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन तथा 4 खानपान आउटलेट (दुकानें) शामिल हैं।

10.4 सहायक कंपनियां

नीचे दिए गए विवरण में 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार चार सहायक कंपनियों की प्रदत्त पूंजी में आईटीडीसी के 9.29 करोड़ रुपये के निवेश को दर्शाया गया है :

संगठनात्मक ढांचा

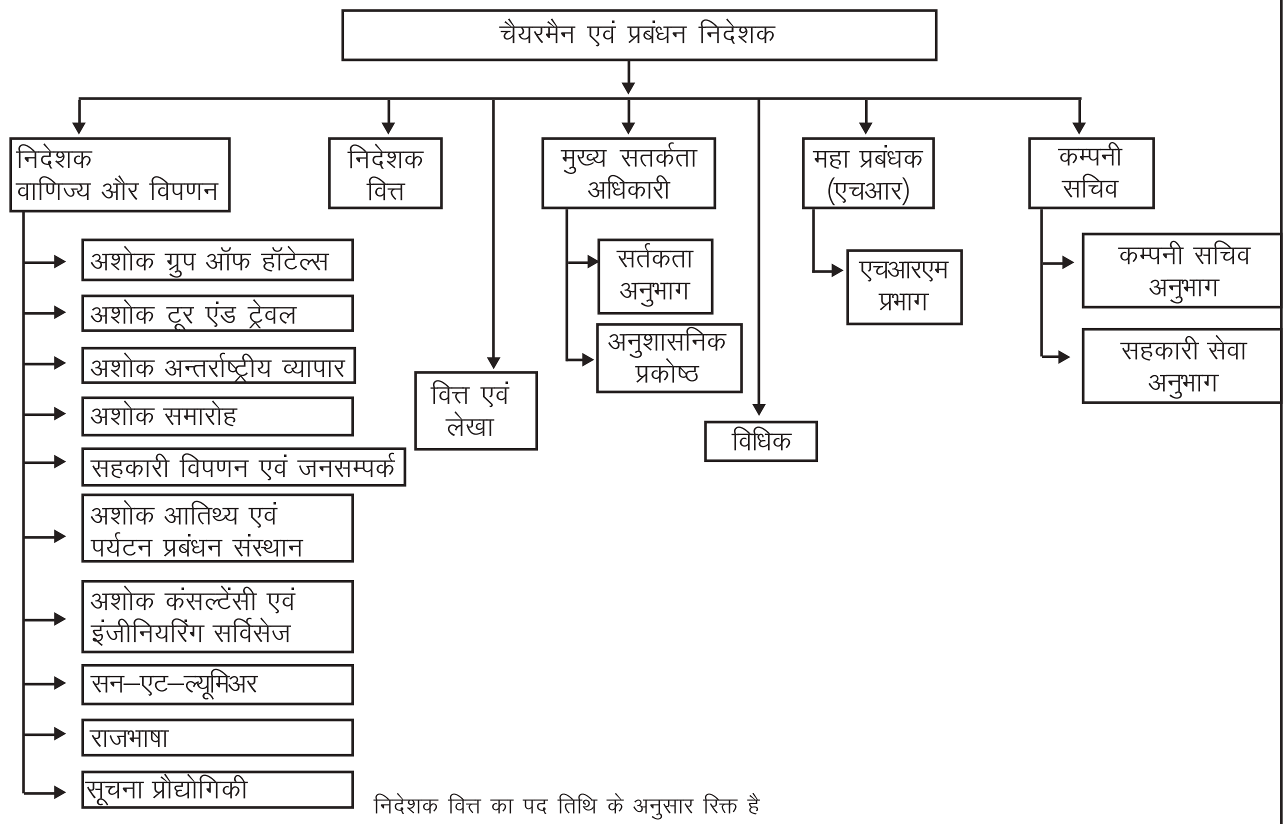

निदेशक वित्त का पद तिथि के अनुसार रिक्त है

सहायक कंपनियां	आईटीडीसी का निवेश (रुपए करोड़ में)
उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.19 रुपए करोड़ इक्विटी शेयर में 3.50 रुपए करोड़ तरजीही शेयर में
रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2.50 करोड़
पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.82 करोड़
पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	1.28 करोड़
कुल	9.29 करोड़

10.5 पूंजी संरचना

विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए में)

	2017–18 (भारतीय लेखा करण मानक के अनुसार)	2018–19 (भारतीय लेखा करण मानक के अनुसार)	2019–20 (भारतीय लेखा करण मानक के अनुसार)	2020–21 (भारतीय लेखा करण मानक के अनुसार)
अधिकृत पूंजी	150.00	150.00	150.00	150.00
प्रदत्त पूंजी	85.77	85.77	85.77	85.77
रिजर्व और अधिशेष	244.98	269.81	260.72	234.33
निवल मूल्य	330.51	355.35	346.26	319.88

10.6 शेयरधारिता का स्वरूप

आईटीडीसी एनएसई और बीएसई दोनों के साथ एक सूचीबद्ध कंपनी है। 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार इसका कुल बाजार पूंजीकरण (बीएसई और एनएसई दोनों पर) क्रमशः 2935.03 करोड़ रुपए और 2917.45

करोड़ रुपए है। आज की तारीख में निगम की अधिकृत और प्रदत्त पूंजी क्रमशः 150 करोड़ रुपए और 85.77 करोड़ रुपए है। शेयरधारिता के स्वरूप को (31.12.021 की स्थिति के अनुसार) नीचे दर्शाया गया है:

भारत सरकार	: 87.03 प्रतिशत
इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड	: 7.87 प्रतिशत
अर्हक संस्थान क्रेता	: 2.69 प्रतिशत
अन्य निगमित संस्थाएं	: 0.17 प्रतिशत
आम जनता, कर्मचारी तथा अन्य	: 2.24 प्रतिशत

10.7 वित्तीय निष्पादन :

पिछले पांच वर्षों के लिए निगम के वित्तीय निष्पादन से संबंधित मुख्य आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं :

(करोड़ रुपए में)

	2016–17 (भारतीय लेखा करण मानक के अनुसार)	2017–18 (भारतीय लेखा करण मानक के अनुसार)	2018–19 (भारतीय लेखा करण मानक के अनुसार)	2019–20 (भारतीय लेखा करण मानक के अनुसार)	2020–21 (भारतीय लेखा करण मानक के अनुसार)
कारोबार	356.11	366.42	371.72	357.49	197.22*
कर पूर्व लाभ	17.00	21.25	57.91	37.57**	(–) 26.37**
कर पश्चात लाभ	11.43	17.71	42.15	22.48**	(–) 27.20**
विदेशी मुद्रा अर्जन	15.20	15.27	18.65	16.11	14.71

* केवल जारी प्रचालन से

**जारी एवं बंद प्रचालनों से

आईटीडीसी ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए किसी लाभांश की घोषणा नहीं की।

10.8 आईटीडीसी के आंतरिक संसाधनों से योजनागत व्यय

वर्ष 2020–21 के लिए पूंजीगत परिव्यय का मूल बजट अनुमान 34.39 करोड़ रुपए था। अब, इसे संशोधित योजना बजट अनुमान के अनुसार 4.61 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें 0.55 करोड़ रुपए होटल संपत्तियों और खानपान इकाइयों नवीनीकरण के लिए शामिल है। आज की तारीख में आईटीडीसी में योजना/पूंजीगत व्यय के लिए पर्यटन मंत्रालय से कोई निधि प्राप्त नहीं हो रही है।

10.9 समझौता ज्ञापन

वर्ष 2021–22 के लिए पर्यटन मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर आईटीडीसी संपत्तियों की विनिवेश प्रक्रिया और आतिथ्य/पर्यटन उद्योग को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली कोविड–19 महामारी के कारण छूट दी गई है।

10.10 आईटीडीसी और इसकी संयुक्त उद्यम सहायक कंपनियों की संपत्तियों की विनिवेश स्थिति:

भारत सरकार की चल रही विनिवेश नीति के अनुसार, 3 संयुक्त उद्यम होटल संपत्तियों सहित 9 होटल संपत्तियां (अर्थात होटल लेक व्यू अशोक, भोपाल; होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, गुवाहाटी, होटल भरतपुर अशोक, भरतपुर, गुलमर्ग में अपूर्ण होटल परियोजना, होटल जनपथ, नई दिल्ली, होटल जयपुर अशोक, जयपुर, ललित महल पैलेस होटल, मैसूर, होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना और होटल डोनी पोलो अशोक, ईटानगर) को अब तक संबंधित राज्य सरकारों या केंद्रीय मंत्रालय को हस्तांतरित/ सौंप दिया गया है। शेष संपत्तियों के विनिवेश/विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है।

होटल रांची अशोक में होटल प्रचालन मार्च 2018 से बंद कर दिया गया है। रांची में आईटीडीसी की 51 प्रतिप्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएबीएचसीएल) को झारखंड सरकार को हस्तांतरित की जानी है, जिसके लिए 24.11.2020 को आईटीडीसी, सरकार झारखंड और आरएबीएचसीएल द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आनंदपुर साहिब में अधूरी होटल परियोजना को पंजाब राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा। न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण होटल नीलाचल अशोक, पुरी की विनिवेश प्रक्रिया के मामले पर रोक लगा दी गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 04.10.2021 को अपना निर्णय सुनाया है और इसकी विनिवेश प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14.01.2020 को भूमि के पट्टे के नियम और शर्तों, होटल अशोक के ओ एंड एम/उप–पट्टेदारी (सब–लीजिंग) और होटल अशोक–होटल सम्राट परिसर में खाली भूमि के उपयोग के अध्ययन के लिए लेनदेन सलाहकार के रूप में मैसर्स फीडबैक इंफ्रा को नियुक्त किया गया था। मैसर्स फीडबैक इंफ्रा ने दीपम को रिपोर्ट सौंप दी है जिस पर दीपम द्वारा

पैरा–ओलंपियन के साथ

आयोजित 20.07.2020 को अंतर–मंत्रालयी समूह में चर्चा की गई थी। सलाहकार ने साइट को चार भूखंडों में निम्नानुसार विभाजित करने की सिफारिश की है:

भूखंड 1– सम्राट होटल (4.73 एकड़): सम्राट होटल आईटीडीसी द्वारा बनाए रखा जाएगा।

भूखंड 2 – अशोक होटल (11.5 एकड़): परामर्शदाता ने अशोक होटल को संचालन, प्रबंधन और विकास (ओएमडी) मॉडल पर (30+30) वर्षों के लिए लाइसेंस देने की सिफारिश की है।

भूखंड 3: वाणिज्यिक विकास – अतिरिक्त भूमि (1.83 एकड़)

भूखंड 4– होटल/सर्विस्ड अपार्टमेंट विकास – अतिरिक्त भूमि (6.3 एकड़)

सलाहकार की सिफारिशों पर अंतर–मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की 20.07.2020 तथा 06.01.2021 को आयोजित बैठकों और 27.10.2020 और 15.03.2021 को आयोजित विनिवेश के कोर ग्रुप (सीजीडी) की बैठकों में चर्चा की गई।

सीजीडी की पिछली बैठक 15.03.2021 को आयोजित की गई थी जिसमें 06.01.2021 को आयोजित आईएमजी बैठक की सिफारिशों को बरकरार रखा गया था।

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने पर्यटन मंत्रालय को सीजीडी की सिफारिशों और रोड शो के आयोजन के लिए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) की स्वीकृति लेने के लिए कहा।

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) नोट का मसौदा आगे की कार्रवाई के लिए पर्यटन मंत्रालय को भेजा गया था।

होटल जम्मू अशोक के संबंध में, होटल जम्मू अशोक के लिए भूमि का पट्टा जो जनवरी 1970 में आईटीडीसी को 40 वर्षों की अवधि के लिए आवंटित किया गया था, जनवरी 2010 में समाप्त हो गया। जम्मू–कश्मीर सरकार ने दिनांक 20.03.2020 के पत्र के माध्यम से गैर–पट्टा समझौते का नवीनीकरण नहीं करने की सूचना दी थी। तदनुसार, होटल जम्मू अशोक का प्रचालन 17.06.2020 को बंद कर दिया गया। पट्टा विलेख के खंड 3 (ii) के अनुसार मुआवजे के भुगतान के बाद होटल का कब्जा लेने के लिए राज्य सरकार के सामने मामले को उठाया गया। मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए निगम और जम्मू–कश्मीर सरकार दोनों द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। निगम द्वारा वास्तुकार सह मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति की गई है। मूल्यांकनकर्ता ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है जिसे जम्मू–कश्मीर सरकार के साथ साझा किया जा रहा है।

10.11 अशोक होटल समूह

भारत पर्यटन विकास निगम के प्रमुख होटल ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, आयकर के प्रधान आयुक्त, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, कोल इंडिया लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, दिल्ली नेत्रविज्ञान सोसायटी, आईआरएफसी लिमिटेड, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, प्रोटोकॉल अनुभाग वाणिज्य विभाग, एनटीपीसी लिमिटेड, डीजीएफटी–वाणिज्य मंत्रालय, प्रबंध निदेशक खेल यूटीएलए, डीडीए विकास सदन, मुख्य आयकर आयुक्त (केंद्रीय) का कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भारतीय खेल प्राधिकरण, भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा आयोजित रात्रिभोज, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली, नाल्को, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय – भारतीय खाद्य निगम, सीपीए सेल, (लोकसभा), जीआईजेड एसयूडीएससी परियोजना, निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आईआईपीएस), पंजाब और सिंध बैंक की हिंदी संसदीय समिति की बैठक, स्टेशन कमांडर 54 एएसपी, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कमांडेंट 39 बटालियन आईटीबीपी ग्रेटर नोएडा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली, भारतीय जीवन बीमा निगम, डीडीओ पीसीआईटी–7, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कई प्रतिष्ठित समारोह और सम्मेलनों की मेजबानी की। इनके साथ ही प्रदर्शनियां – अंदाज़ कलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पिंक पोस्ट इंक और जलसा कन्वेंशन हॉल में आयोजित किए गए।

होटल को ओलंपिक और पैरालंपिक खेल खिलाड़ियों की मेजबानी करने का सम्मान मिला। होटल को ओलंपिक और पैरालिंपिक एसोसिएशन से क्रमशः 370 रूम नाइट्स और 230 रूम नाइट्स के आदेश मिले थे।

हॉकी फेडरेशन, भारतीय खेल प्राधिकरण, ओलंपिक टीम के खिलाड़ी, पैरालंपिक खेलों के खिलाड़ी, युवा मामले और खेल मंत्रालय – एनएसएस पुरस्कार विजेताओं द्वारा होटल परिसर में विभिन्न प्रतिष्ठित खेलों का आयोजन किया गया।

होटल ने दिल्ली नेत्र रोग सोसायटी, सचिव गृह मंत्रालय, पद्म पुरस्कार विजेताओं, मध्य प्रदेश पर्यटन, रक्षा अलंकरण, सेना मुख्यालय, वीरता पुरस्कार विजेताओं और सेना विजय पर्व प्रतिनिधिमंडल के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया।

होटल ने 26 अक्टूबर 2021 को महिला कर्मचारियों के लिए स्तन कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन किया। पर्यावरण मित्रता को जारी रखने के लिए, 11 दिसंबर 2021 को वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया। योग कार्यशाला का आयोजन कर स्वास्थ्य और निरोगता के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।

होटल के आईएसओ 22000:2018 के लिए ट्रांजिशन कम सर्विलांस ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा हुआ। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) अनिवार्य तृतीय पक्ष ऑडिट ।+ रेटिंग के साथ पूरा किया गया था।

परिसंपत्ति के आधुनिकीकरण और उन्नयन के अंग के रूप में; वाटर प्रूफिंग कार्य एवं क्षतिग्रस्त/पुराने जी.आई. बिल्डिंग टैरेस पर पाइपलाइन का काम किया जा रहा है। आपूर्ति गेट के पास एक लिफ्ट को बदला जा रहा है और बाकी दो रूम सर्विस लिफ्टों का काम चल रहा है।

होटल अशोक एवं सम्राट, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली के लिये एनडीएमसी प्राधिकारियों से पूर्णता योजना एवं अन्य संबद्ध कार्य तैयार करने तथा पूर्णता समापन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति।

होटल को मार्च 2022 तक वैधता के साथ उत्पाद शुल्क लाइसेंस और 21/12/2024 तक वैध अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त है। होटल के एफएसएसएआई लाइसेंस का नवीनीकरण 2026 तक किया जाना है।

कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान, 17 मई 2021 से 31 मई 2021 तक, होटल ने दैनिक आधार पर लगभग 500 पैक भोजन सरकारी अस्पतालों तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में प्रदान किए।

होटल ने स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोविड–19 महामारी के बीच दूसरी लहर के बाद व्यवसाय को फिर से शुरू करने के लिए खुद को तैयार किया। खाद्य सुरक्षा स्वच्छता में नई उभरती चुनौतियों और प्रवृत्तियों के प्रबंधन के लिए होटल ने प्रशिक्षण सत्र शुरू किया। इसका उद्देश्य अतिथियों में सुरक्षा के लिए आश्वासन की भावना पैदा करना था। होटल ने आक्रांत अवधि में 07 दिवसीय कोविड परीक्षण शिविर और 3 दिवसीय कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। अपने सम्मानीय अतिथियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण प्रदान

करने के लिए होटल की तैयारियों को दर्शाते हुए एक वीडियो प्रस्तुतिकरण किया गया। मानदंडों और प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए; होटल परिसर में प्रवेश करने वाले सभी मेहमानों और कर्मचारियों की गैर–इनवेसिव थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और कर्मचारी निर्धारित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने, फेस शील्ड और हेड गियर का उपयोग कर रहे हैं। मेहमानों के लिए स्वच्छता किट (सैनिटाइज़र, मास्क, दस्ताने) सुविधाजनक स्थानों पर रखे गए हैं। सभी कर्मचारियों द्वारा 'नमस्ते' के साथ मेहमानों का सम्मानपूर्वक अभिवादन करते हुए सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जा रहा है। पेन, बिल फोल्डर, मेन्यू कार्ड, की कार्ड, सामान संभालने (लगेज हैंडलिंग), फोटो पहचान, नकद लेनदेन आदि जैसी सामान्य संपर्क वस्तुओं को नियमित रूप से कीटाणुरहित/साफ किया जा रहा है। भुगतान के डिजिटल तरीके को प्रोत्साहित और पसंद किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्रों में विवेकपूर्ण संदेश (साइनेज और पोस्टर) लगाए गए हैं। सभी प्रवेश बिंदुओं पर और अतिथि लिफ्ट के अंदर हैंड सैनिटाइज़र के लिए स्वचालित डिस्पेंसर लगाए गए हैं। वा

होटल सम्राटः

होटल ने कोल इंडिया, महानिदेशक, सतर्कता और सामाजिक कार्यों द्वारा आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण सम्मेलनों/ समारोहों की मेजबानी की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर होटल में सभी महिला अधिकारियों और आईटीडीसी के कर्मचारियों के लिए "सौंदर्य के बारे में मिथकों को तोड़ना" पर एक इन–हाउस प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया था। इस सत्र का संचालन विख्यात केश कला विशेषज्ञ सुश्री ईशा ऋषि ने किया।

होटल में रुकने वाले कुछ प्रमुख समूह संघ लोक सेवा आयोग, कोल इंडिया, बुल्गारिया दूतावास, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (नई दिल्ली), इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आदि के थे।

होटल ने 19 अगस्त 2021 को रक्षा बंधन उत्सव मनाने के लिए एक पाककला कार्यशाला का आयोजन किया। अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान द्वारा 23 अगस्त 2021 को होटल में भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यकारी अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था।

होटल ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) और अन्य अधिकारियों द्वारा निर्देशित मानदंडों और प्रोटोकॉल को लागू किया और कर्मचारियों को कोविड महामारी के 'क्या करें और क्या न करें' के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया।

होटल ने 3740 पैक किए हुए भोजन बेचे जो अच्छी तरह से स्वीकार किए गए और लोकप्रिय हैं। साथ ही इरेडा

(भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी) के कर्मचारियों को 2630 नो–पैक भोजन प्रदान किया, जो अप्रैल–जून 2021 से कोरोना वायरस के कारण होम आइसोलेशन में थे।

परिसंपत्ति के आधुनिकीकरण और उन्नयन के हिस्से के रूप में, इन क्षेत्रों में लॉबी और 48 अतिथि कक्षों के नवीनीकरण का काम शुरू हो गया है और बिजली, एसी, अग्निशमन का काम पूरा कर लिया गया है।

हैदराबाद हाउसः

रूस के राष्ट्रपति, कैबिनेट सदस्यों और वीआईपी गणमान्य व्यक्तियों के लिए भारत के माननीय प्रधान मंत्री की ओर से एक कार्यक्रम में मेजबानी की गई। प्रतिष्ठान ने एनएसए फ्रांस, यूएस डिप्लोमैटिक अफेयर्स ओमान, इथियोपिया के उप– प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री, कुवैत के विदेश मंत्री, अमेरिकी रक्षा सचिव, अफगान विदेश मंत्री, विदेश मंत्री, रूस, अमेरिका के विशेष दूत, बहरीन के विदेश मंत्री, इरिट्रिया के विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री, यूएई के विदेश मंत्री, सऊदी अरब के विदेश मंत्री, कोलंबिया के उपराष्ट्रपति, रूसी विदेश मंत्री, मध्य एशिया संवाद जैसे गणमान्य व्यक्तियों सहित हैदराबाद हाउस इकाई ने साउथ ब्लॉक, प्रधान मंत्री निवास, सुषमा स्वराज भवन आदि में कई अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कार्यक्रमों में खानपान की व्यवस्था भी की।

इकाई को भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी कोविड दिशा–निर्देशों के अनुसार तैयार किया जाता है। हैदराबाद हाउस ने महामारी के खिलाफ अपनी कोविड तैयारी के बारे में बताकर और उनका स्वागत करने के लिए सभी एहतियाती उपायों का पालन करके अपने विश्वास का निर्माण करने सहित सभी हितधारकों तक भी पहुंच बनाई है।

कुछ उपाय जिनका नियमित रूप से पालन किया जाता है, वे हैं सभी अतिथि क्षेत्र, पीछे के क्षेत्र, प्रवेश निकास बिंदु और सहायक क्षेत्र नियमित रूप से पूरी तरह से कीटाणुरहित किए जा रहे हैं। मीटिंग रूम, डाइनिंग हॉल, सार्वजनिक क्षेत्रों और सेवा क्षेत्रों में सभी सामान्य/ लगातार स्पर्श बिंदुओं को अनुशंसित रसायनों का उपयोग करके साफ किया जा रहा है। प्रत्येक आगंतुक को (मांग पर) हैंड सैनिटाइज़र, अतिरिक्त मास्क और डिस्पोजेबल दस्ताने उपलब्ध कराए जाते हैं। सभी मीटिंग और खाने के स्थान को फिर से सज्जित किया गया है और सुरक्षित दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के मानदंडों के अनुसार सुनिश्चित किया गया है। परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक आगंतुक के प्रवेश पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। सरकारी सुविधा (आरटीपीसीआर परीक्षण) के सापेक्ष में सभी सेवारत कर्मचारियों का नियमित आधार पर परीक्षण किया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों को श्वसन, हाथ और पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। सुरक्षित दूरी का समर्थन करने के लिए स्टाफ क्षेत्रों को फिर से तैयार किया गया है। गेस्ट एरिया, फूड एरिया और बैक एरिया को सैनिटाइज करने के लिए 'एसओपी' लागू हैं और इनका अभ्यास किया जा रहा है। उपयोग से पहले आपूर्ति और सामग्री को साफ किया जा रहा है। हमारे सभी कैटरिंग और स्टाफ वाहनों को इस्तेमाल करने से पहले सैनिटाइज किया जाता है।

विज्ञान भवनः

कई महत्वपूर्ण सम्मेलन, जिनमें से कुछ में भारत के माननीय राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने भाग लिया; कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, गृह मंत्रालय, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, फिल्म समारोह निदेशालय, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत का उच्चितम न्यायालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विधायकों का मंच और सांसद, विकलांगजन अधिकारिता विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, ऋषिहुड विश्वविद्यालय, आदि द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

प्राधिकारियों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया और कार्यालय और इकाई में प्रयुक्त उपकरण के लिए स्वच्छता और सफ़ाई के मानदंडों के साथ–साथ चेहरे के पीपीई, डिस्पोजेबल दस्ताचनों का उपयोग, अल्कोहल–आधारित सैनिटाइज़र का उपयोग आदि का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित किया गया। एकक में काम करने वाले कर्मचारियों और मेहमानों के साथ कोविड के उचित व्यवहार को बनाए रखने को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है।

संसद भवन खानपान इकाईः

भारत की संसद द्वारा आईटीडीसी को उत्तर रेलवे से खानपान कार्यों को प्रबंधित करने के लिए जनादेश दिया गया था। संसद भवन खानपान इकाई (पीएचसीयू) के नामकरण के साथ एक नई इकाई की स्थापना की गई और 16 नवंबर 2020 से इसका प्रचालन शुरू किया गया। पीएचसीयू सफलतापूर्वक अपने सम्मानित सदस्यों को खानपान सेवा प्रदान कर रहा है।

पीएचसीयू भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, भारत के माननीय प्रधान मंत्री, माननीय अध्यक्ष, लोकसभा, माननीय उप सभापति, राज्यसभा, कैबिनेट मंत्रियों, विपक्ष के नेता को संसद भवन के अंदर वीवीआईपी व्यक्तियों लोकसभा और राज्य सभा में सभी संसद सदस्य, आने वाले विदेशी प्रतिनिधिमंडल, महासचिव – लोकसभा और राज्य सभा और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों को खानपान सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

संसद भवन संपदा (पीएचई) के अंदर और बाहर गणमान्य व्यक्तियों के कार्यालयों से जुड़ी पैंट्री के अलावा कई बैंक्वेट हॉल, कमेटी रूम में भी सेवाएं प्रदान की गईं। पीएचई में कार्यरत लगभग 5000 व्यक्ति नियमित आधार पर पीएचसीयू, आईटीडीसी द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

होटल कलिंग अशोकः यह होटल संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ा था। होटल राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार संचालित होता है। फूलबनी बार और रेस्तरां में हेनकेन द्वारा बीयर पर प्रचार प्रस्ताव है।

खाद्य प्रचारः पूर्वोत्तर राज्यों के मूलतत्त्व को प्रदर्शित करने और अनुभव करने के लिए द अशोक होटल में नॉर्थ ईस्ट फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस उत्सव का उद्घाटन नागालैंड के रेजिडेंट कमिश्नर और पर्यटन मंत्रालय के महानिदेशक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, जिसमें स्थानीय नृत्य मंडली द्वारा सजीव प्रदर्शन का आनंद लेते हुए मेहमानों को व्यंजन के बेहतरीन उदाहरण परोसे गए थे। हस्तशिल्प, आभूषण और जैविक मसाले भी बिक्री के लिए प्रदर्शित किए गए।

अन्य के अलावा, स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए स्वतंत्रता विशेष केक/पेस्ट्री और कपकेक बनाए गए थे। बच्चों के साथ क्रिसमस मनाया गया। द कॉफ़ी शॉप में केक की दुकान पर क्रिसमस के उपहार और बच्चों के लिए विशेष मेनू स्थापित किया गया था। वैलेंटाइन वीक मनाया गया और बेकरी शेफ द्वारा ब्लॉगर्स को व्यंजनों का सजीव प्रदर्शन किया गया।

कॉफी शॉप में टोक्यो ओलंपिक खाद्य महोत्सव मनाया गया, जिसमें ओलंपिक टीम के खिलाड़ियों ने तिरंगे वाले मॉकटेल ड्रिंक्स का आनंद लिया। "राखी", "विश्व पर्यटन दिवस", "नवरात्रि", "दिवाली", आदि मनाने के लिए खाद्य प्रचार भी आयोजित किए गए थे। द शेफ ने द केक शॉप में नए आइटम यानी गुलाब जामुन पेस्ट्री और रसमलाई पेस्ट्री पेश किए।

10.12 अशोक समारोह

अशोक समारोह (इवेंट्स) – आईटीडीसी की एक रणनीतिक व्यापार इकाई और एक प्रमुख समारोह प्रबंधन एजेंसी है जो सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं/ सेमिनारों और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का प्रबंध करती है। अशोक इवेंट्स की मुख्य क्षमता सेवाओं के पूरे सरगम के लिए एक पेशेवर सम्मेलन आयोजक के रूप में वन स्टॉप समाधान प्रदान कर रही है।

प्रभाग ने समारोह/कार्यक्रम प्रबंधन में बड़े पैमाने पर एक पहचान बनाई है और इसकी समृद्ध विशेषज्ञता के साथ सरकारी मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों की एक शानदार ग्राहक सूची है।

अशोक कार्यक्रम सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, पुरस्कार समारोहों और राष्ट्रीय महत्व के अन्य कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए पर्यटन मंत्रालय की नामित एजेंसी है।

आईटीडीसी ने कोविड–19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, विभिन्न मंत्रालयों के लिए मिश्रित /वास्तनविक और आभासी (वर्चुअल) कार्यक्रम आयोजित करने, प्रदर्शनियां लगाने र नीति आयोग आदि के लिए प्रिंट कार्य निष्पादित करने के लिए सभी मौजूदा ग्राहकों तक पहुंचकर व्यवसाय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए। प्रभाग द्वारा जून 2020 से अब तक कुल लगभग 90 आभासी/मिश्रित /वास्तविक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अशोक इवेंट्स डिवीजन द्वारा 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो अन्यथा प्रतिकूल रूप से प्रभावित थे। कोविड–19 महामारी के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों में शामिल हैं: –

- वर्चुअल भारत पर्व 2021 का उद्घाटन माननीय पर्यटन मंत्री ने 26 जनवरी, 2021 को अशोक में किया। मुख्य अतिथि, श्री ओम बिरला, माननीय अध्यक्ष, लोकसभा और पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
- कश्मीर की पर्यटन क्षमता का दोहन, पर्यटन मंत्रालय द्वारा श्रीनगर, कश्मीर में 11–13 अप्रैल, 2021 तक आयोजित "स्वर्ग में एक और दिन",
- बैंक्वेट हॉल, अशोक होटल में 6 अगस्त 2021,"लोकल गोज़ ग्लोबल – मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड", वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित भारतीय मिशनों, राज्यों, केंद्र सरकार के विभागों और निर्यातकों के प्रतिनिधियों के साथ माननीय प्रधान मंत्री का संवाद,
- भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय द्वारा 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2021 को कन्वेंशन हॉल, अशोक होटल, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा 25 से 28 अगस्त 2021 तक लेह–लद्दाख में आयोजित "लद्दाख – नई शुरुआत, नए लक्ष्य",
- 10 सितंबर 2021 को कन्वेंशन हॉल, होटल अशोक, नई दिल्ली में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित टोक्यो पैरालंपिक 2020 पदक विजेताओं और प्रतिभागियों का सम्मान समारोह।
- विश्व पर्यटन दिवस 2021 का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा 27.9.2021 को कन्वेंशन हॉल, होटल अशोक, नई दिल्ली में किया गया।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में 13 और 14 अक्टूबर, 2021 को एनआईसीडीसी द्वारा आयोजित नए प्रदर्शनी परिसर (हॉल नंबर; 2,3,4 और 5) के उद्घाटन और मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शाकी – राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ। प्रगति मैदान, नई दिल्ली। भारत के माननीय प्रधान मंत्री मुख्य अतिथि थे।
- 1–3 नवंबर, 2021 को बैंक्वेट हॉल, सुइट 292,293 और 294, द अशोक, नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के तहत एनएमसीजी द्वारा आयोजित गंगा उत्सव 2021 का आयोजन,
- यूनाइटेड किंगडम में विभिन्न स्थानों पर 8 से 25 नवंबर, 2021 तक स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) प्रदर्शनी (गंगा कनेक्ट)।
- दिल्ली हाट – आईएनए, नई दिल्ली में 16 से 30 नवंबर, 2021 तक ट्राइफेड द्वारा आयोजित "आदि महोत्सव"
- वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 17 और 18 नवंबर, 2021 को कन्वेंशन हॉल, द अशोक, नई दिल्ली में निर्बाध क्रेडिट प्रवाह और आर्थिक विकास के लिए तालमेल बनाना। भारत के माननीय प्रधान मंत्री मुख्य अतिथि थे।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा 27 से 29 नवंबर 2021 तक कोहिमा, नागालैंड में 9वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट (आईटीएम) का आयोजन किया गया।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 3 दिसंबर, 2021 को प्लेनरी हॉल, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित दिव्यांगजन पुरस्कार। भारत के माननीय राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे।
- अतुल्य भारत पवेलियन ऑफ इंडिया भारतपर्यटन, मुंबई 10.12.2021 से 15.01.2022 तक धोर्डो, कच्छ, गुजरात में
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा 10 दिसंबर, 2021 को प्लेनरी हॉल, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। समारोह के मुख्य अतिथि भारत के महामहिम राष्ट्रपति थे।
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 20.12.2021 से 24. 12.2021 तक और विज्ञान भवन, नई दिल्ली में और दिनांक 25.12.2021डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह आयोजित किया गया।

10.13 अशोक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (एआईटी)

आईटीडीसी का अशोक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभाग आईएसओ 9000:2015 प्रमाणित प्रभाग है और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को शुल्क मुक्त खरीदारी की सुविधा प्रदान करता है। आईटीडीसी बंदरगाहों पर अपने शुल्क मुक्त कारोबार को सुदृढ करने के प्रयास कर रहा है। आईटीडीसी बंदरगाह शुल्क मुक्त दुकानें भारत सरकार की योजनाओं के साथ भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) को भारत के तटीय शहरों के आसपास क्रूज पर्यटन बनाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। वर्तमान में प्रभाग की कामराजर, कोलकाता, हल्दिया, चेन्नई, कांडला, मैंगलोर, विशाखापत्तनम, गोवा, पारादीप, मुंबई, काकीनाडा, कृष्णापट्टनम, कोचीन, वी. ओ चिदंबरनार और जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टे (जेएनपीटी) बंदरगाहों पर शुल्क मुक्त दुकानें हैं। इस वर्ष सितंबर में प्रभाग ने कांडला (दीनदयाल पोर्ट–कांडला) में अपनी शुल्क मुक्त दुकान का संचालन आरंभ किया है।

कोविड महामारी की वर्तमान स्थिति के बावजूद, प्रभाग अपनी दुकानों पर सुचारू और निर्बाध संचालन कर रहा है और अच्छी बिक्री और लाभप्रदता को बनाए रखे हुए है।

एआईटीडी भी समुद्रपत्तनों की यात्रा खुदरा स्थान पर उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक अवसरों का पालन करना जारी रखेगा और स्थायी शुल्क मुक्त दुकानों के रियायत अधिकारों के लिए बोली लगाएगा।

कोविड अनुपालन प्रोटोकॉल के साथ शुल्क मुक्त दुकानों के लिए प्रोटोकॉल के मानक तैयार किए गए हैं। वा

10.14 अशोक ट्रैवल एंड टूर (एटीटी)

अशोक ट्रेवल्स एंड टूअर्स (एटीटी) आईटीडीसी की ट्रैवल विंग है, जिसकी उपस्थिति भारत भर के 05 शहरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर और हैदराबाद में है।

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के आदेशों के अनुसार, एटीटी भारत सरकार और इसके कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को एयरलाइन के टिकट उपलब्ध कराने के लिए वरीयता प्राप्त एजेंसी है। इसके अतिरिक्त, एटीटी परिवहन, टूअर्स के व्यवसाय में भी कार्यरत है और इसने कार्गो व्यवसाय में भी कदम रखा है। ट्रैवल एंड टूर व्यवसाय में निहित क्षमता को ध्यान में रखते हुए, एटीटी यात्रा व्यापार और कार्गो प्रबंधन में भी अपना शेयर बढ़ा रहा है।

एटीटी ने वर्ष के दौरान विभिन्न नए वृत्तांतों को जोड़ने के अलावा ओलंपिक 2020, टोक्यो और पैरालंपिक 2020, टोक्यो के लिए भारतीय दल के यात्रा संचालन का प्रबंध किया था।

निरोगता मूलक पर्यटन (मेडिकल वैल्यू टूरिज्म) को एक नए उद्यम के रूप में खोजा जा रहा है, जो कोविड के बाद के परिदृश्य में बहुत प्रासंगिक है।

10.15 जन संपर्क एवं संस्कृति प्रभाग

आईटीडीसी का जन संपर्क एवं संस्कृति प्रभाग कम्पनी की ब्रांड छवि को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है।

विभाग ने पारंपरिक और डिजिटल दोनों क्षेत्र में मास मीडिया के माध्यम से जनता तक सूचना का प्रसार किया और विभिन्न विकासात्मक/सांस्कृतिक/सीएसआर/जागरूकता कार्यक्रमों में आख्यान तैयार करके महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अशोक होटल के लिए नियोजन योजना के भाग के रूप में, होटल की खाद्य एवं पेय क्षमता को बढ़ावा देने के विशिष्ट लक्ष्यों के साथ विभाग ने एक संचार योजना विकसित और कार्यान्वित की। होटल के रेस्तरां में खाद्य समीक्षा और ब्रांड संवर्धन की गतिविधियों का आयोजन किया गया।

इस प्रभाग ने सोशल मीडिया पर रीयल टाइम अपडेट पोस्ट करके ऑफर एवं पैकेजों को बढ़ावा देकर और त्रैमासिक न्यूजलेटर ''अशोकनामा'' के डिजिटल संस्करण के माध्यम से डिजिटल स्पेस का भी उपयोग किया है। वा

10.16 अशोक परामर्शी एवं इंजीनियरिंग सेवाएं

आईटीडीसी के प्रीमियम प्रभागों में से एक, अशोक परामर्शी एवं इंजीनियरिंग सेवा प्रभाग (आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणित प्रभाग) है। यह पर्यटन अवसंरचना परियोजनाएं निष्पासदित करने, आईटीडीसी की संपत्तियों के उन्नयन एवं जीर्णोद्धार तथा ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन (एसईएल शो) आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा, यह पर्यटन मंत्रालय, राज्य पर्यटन विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं को परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है।

एसीईएस प्रभाग पर्यटन मास्टर प्लान, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, व्यवहार्यता रिपोर्ट, तैयार करने में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है और यह पर्यटन मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों और निजी एजेंसियों आदि को परामर्श सेवाएं भी प्रदान करता है। इसमें अनुभवी इंजीनियरों और वास्तुकारों की एक टीम है जो पर्यटन अवसंरचना के विकास में अत्यन्त निपुण हैं। इस प्रभाग ने 110 से अधिक पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है और पर्यटन क्षेत्र में अब तक लगभग 100 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की हैं और भारत के विभिन्न राज्यों में मल्टीमीडिया/ एसईएल शो भी क्रियान्वित किए हैं।

यह प्रभाग स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 69.47 करोड़ रुपए से केरल में श्री नारायण गुरु आध्यात्मिक परिपथ के लिए तथा पर्यटन मंत्रालय द्वारा केंद्रीय वित्त सहायता योजना के तहत आईटीडीसी को स्वीकृत 23.16 करोड़ रुपए की राशि से मध्य प्रदेश के दमोह में बेलताल झील में बुनियादी अवसंरचना के विकास की पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। प्रभाग को मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड, भोपाल के अधीन सलकनपुर, जिला सीहोर (म.प्र.) के लिए एक डीपीआर के विकास तथा महू, जिला इंदौर, (म.प्र). के लिए विभिन्न आधारभूत संरचना कार्यों की तैयारी के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रभाग ने केंद्रीय वित्त सहायता योजना के तहत सीहोर जिले के सलकनपुर के विकास के लिए 53.00 करोड़ रुपए की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर अनुमोदन के लिए पर्यटन मंत्रालय को प्रस्तुत की है। प्रभाग ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के कुला गांव में पर्यटक रिज़ॉर्ट के विकास हेतु एक निजी संस्था के लिए 25.00 करोड़ रुपए की राशि की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर प्रस्तुत की है। पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत पूर्ण परियोजनाओं के निर्दिष्ट घटकों के ओ एंड एम के मूल्यांकन में एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में आईटीडीसी को भी नियुक्त किया है। अन्य विभिन्न प्रतिष्ठित परियोजनाओं के अलावा, प्रभाग देश के विभिन्न राज्यों में कुछ सबसे प्रतिष्ठित एसईएल शो निष्पादित कर रहा है जिसमें लेह पैलेस–लद्दाख, कारगिल–लद्दाख, सरखेज रोजा–अहमदाबाद, यादविंद्र गार्डन–पिंजौर, हरियाणा, उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं– भुवनेश्वर, ब्रह्मसरोवर– कुरुक्षेत्र, पुट्टपर्थी– आंध्र प्रदेश और निगीन झील– श्रीनगर, पुराना किला–नई दिल्ली में मल्टीमीडिया/ एसईएल शो शामिल हैं।

10.17 अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान

अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान (एआईएचएंडटीएम) आतिथ्य प्रशिक्षण संस्थान ह, भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के मानव संसाधन विकास प्रभाग का आतिथ्य प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान के दो परिसर हैं, जिनमें एक होटल सम्राट, उत्कृष्टता केंद्र, नई दिल्ली में और दूसरा कुतुब परिसर, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली में है। संस्थान आईटीडीसी के कर्मचारियों के आंतरिक प्रशिक्षण के लिए वर्ष 1971 में अस्तित्व में आया

था। संस्थान आतिथ्य के क्षेत्र में विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के साथ–साथ, पर्यटन मंत्रालय के कौशल विकास पाठ्यक्रम भी चला रहा है। एआईएचएंडटीएम एनसीएचएमसीटी/ इग्नू के साथ संबद्धता में आतिथ्य एवं होटल प्रशासन (एचएंडएचए) में तीन वर्षीय बीएससी पाठ्यक्रम का संचालन कर रहा है।

अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान निम्नलिखित कार्यक्रम/पाठ्यक्रम भी संचालित करता है:

- जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सहयोग से बी.वीओसी (फूड प्रोडक्शन/हलवाई में) और आतिथ्य प्रबंध में डिप्लोमा।
- राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से खाद्य उत्पादन, बेकरी और कन्फेक्शनरी, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग तथा खाद्य एवं पेय सेवा में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
- पर्यटन मंत्रालय के हुनर से रोजगार (एचएसआर) तथा कौशल परीक्षण और प्रमाणन (एसटीसी) कार्यक्रम।
- आईटीडीसी ने समूह और सोसाइटियों का गठन करके "उद्यमिता विकास कार्यक्रम" के तहत आईटीडीसी के मानव संसाधन प्रभाग भीतर एक समानांतर कार्यक्षेत्र बनाया है, जिसके माध्यम से हाल ही में बेरोजगार और अन्य अनुभवी आतिथ्य पेशेवरों के साथ–साथ होटल प्रबंधन संस्थानों के स्नातक आतिथ्य क्षेत्र में नए रोजगार के अवसरों की तलाश करेंगे। सरकारी और निजी कार्यालयों/संस्थानों और अन्य विभिन्न स्थानों में वाणिज्यिक भवनों में खानपान और अन्य आतिथ्य संबंधी प्रतिष्ठानों (कैंटीन/कैफे, समारोह प्रबंधन, जनशक्ति सेवाएं, भोज सेवाएं, कीट नियंत्रण, पैकेज्ड खाद्य पदार्थ आदि) चलाने के लिए गैर–वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम पर एनआईईएसबीयूडी, एमएसडीई नोएडा द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- देश में विभिन्न पेशेवर आतिथ्य संस्थानों के औद्योगिक प्रशिक्षुओं को नौकरी पर प्रशिक्षण।
- विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थानों के लिए अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण।
- कोविड –19 महामारी के इस कठिन समय में, आईटीडीसी के मानव संसाधन प्रभाग ने होटलों

में कोविड पश्चात संचालन पर एक मैनुअल संकलित किया है और आईटीडीसी के प्रत्येक होटल और कैटरिंग यूनिट में इसका पालन किया जा रहा है।

- आईटीडीसी ने आंध्र प्रदेश में आतिथ्य क्षेत्र में कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी)के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान ने आईआरसीटीसी, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, इरेडा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) कार्यालय जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कोविड–19 पश्चात आतिथ्य संचालन पर वस्तुतः विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और इसे कर्नाटक भवन, जम्मू–कश्मीर हाउस, एसएमवीडीएसबी, तमिलनाडु हाउस आदि के साथ अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान की इन एजेंसियों ने भी उक्त प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए सराहना की है।
- अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान ने आजादी का अमृत महोत्सव के मद्देनजर स्वतंत्र भारत के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वियतनाम वाणिज्य दूतावास के लिए एक लाइव भोजन प्रदर्शन का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इन सत्रों ने आईटीडीसी को विश्व दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया और इसकी व्यापक रूप से सराहना की गई है।
- उपरोक्त के अलावा, संस्थान अपने कर्मचारियों के लिए नियमित आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। संस्थान वर्ष के दौरान निगम के कर्मचारियों के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान निविदा प्रक्रिया, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, ग्रूमिंग क्लासेस, विक्रेता कार्यशाला पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

10.18 पर्यावरण प्रबंधन पहल

आईटीडीसी प्रदर्शन मानकों को विभिन्न संगठनों से प्रमाणपत्र प्राप्त करके पर्यावरण और सामाजिक जोखिम प्रबंधन के लिए एक बेंचमार्क के रूप में मान्यता दी गई है। अशोक होटल, नई दिल्ली 2017 से यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के तहत एलईईडी स्व र्ण प्रमाणित होटल है और होटल एलईईडी प्लेटिनम प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। हाल ही में अशोक होटल को ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली

(आईएसओ 50001:2018) के तहत भी प्रमाणित किया गया है। इसी तरह, होटल सम्राट भी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से एलईईडी स्वकर्ण प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

सतत अपशिष्ट जल शोधन के लिए आईटीडीसी की सभी परिसंपत्तियों में एसटीपी/ ईटीपी स्थाजपित किए गए हैं। अशोक/ सम्राट होटल में 1 एमएलडी क्षमता का एसटीपी है और होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर में 30 किलो लीटर प्रतिदिन (केएलडी) क्षमता का एसटीपी/ईटीपी है। इसके अलावा, पर्यावरण में हानिकारक अपशिष्ट के उत्सर्जन को कम करने के लिए होटल अशोक और होटल सम्राट में जैविक अपशिष्ट परिवर्तक का उपयोग किया जाता है।

अशोक होटल, नई दिल्ली और होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर ने ऊर्जा की बचत करने के लिए सोलर वाटर हीटिंग प्रणाली भी लगाई है। इसके अलावा, होटल कलिंग अशोक द्वारा अपने परिसर में एकल सोलर स्ट्रीट लाइटें भी लगाई गई हैं।

होटल प्रबंधन संस्थानों के स्नातकों और अन्य अनुभवी आतिथ्य पेशेवरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से कोविड के बाद के परिदृश्य में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में व्यापक नौकरी के नुकसान को देखते हुए एनआईईएसबीयूडी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

अशोक आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान ने आईआरसीटीसी के 100 अधिकारियों और 300 कर्मचारियों और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के लिए भी कोविड पश्चात संचालन पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया है।

10.19 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, कोविड 19 को हराने के लिए संघर्ष कर रहे स्वास्थ्य पेशेवरों, श्रमिकों और अन्य जरूरतमंद व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए, निगम ने लॉकडाउन अवधि के दौरान अर्थात 1 अप्रैल, 2020 से

3 मई, 2020 तक होटल 'द अशोक' के किचन से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग जैसे सरकारी अस्पतालों के साथ–साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भोजन उपलब्ध कराया। इस सीएसआर गतिविधि की लागत, जनशक्ति लागत को छोड़कर, जो होटल के गैर–कार्यात्मक होने के बावजूद 63.27 लाख रुपए देय है। इसके अलावा जिला प्रशासन को दमोह को 2.97 लाख रुपए की लागत से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर दिया गया। चूंकि सीएसआर पर कुल खर्च निर्धारित सीएसआर व्यय से अधिक है, आईटीडीसी बोर्ड ने 26.10.2021 को आयोजित अपनी 363वीं बोर्ड बैठक में 2020–21 के दौरान सीएसआर पर खर्च किए गए 25.46 लाख रुपये के अतिरिक्त खर्च को 2021–22 के दौरान खर्च किए जाने वाले 23.97 रुपये का सीएसआर व्यय में समायोजित करने का निर्णय लिया है।

10.20 मानव संसाधन प्रबंधन

वर्ष 2021–22 के लिए आईटीडीसी की कुल जनशक्ति (01. 12.2021 को) 582 है जिसमें 163 कार्यकारी और 149 गैर–कार्यकारी शामिल हैं। इसमें अनुसूचित जाति के 164 कर्मचारी, अनुसूचित जनजाति के 15 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 46 कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा कुल जनशक्ति में से 88 महिला कर्मचारी हैं।

10.21 औद्योगिक संबंध

भारत पर्यटन विकास निगम में समग्र औद्योगिक संबंध–स्थिति सामंजस्यपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बनी रही।

10.22 सूचना प्रौद्योगिकी पहल

किसी भी कार्यालय से फाइलों/दस्तावेजों की निर्बाध आवाजाही और अनुमोदन के लिए ई–ऑफिस सॉफ्टवेयर में आधार आधारित ई–साइन (इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर) सेवाओं को लागू और शुरू किया। संसद भवन की कैंटीन में संसद भवन संपदा के विभिन्न प्रभागों के सहयोग से नया टैबलेट आधारित आदेश लेने की प्रणाली, बिलिंग मॉड्यूल और इन्वेंटरी मॉड्यूल (एनआईसी द्वारा विकसित) स्थापित किया गया। नए अपग्रेड किए गए नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस (यूटीएम) और उसके लाइसेंस को स्थापित किया। होटल आरक्षण के लिए चैनल प्रबंधक सॉफ्टवेयर लगाया गया। साथ ही कंपनी की द्विभाषी वेबसाइट को समय–समय पर नवीनतम जानकारी और डेटा के साथ अपडेट करना। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, समय, पैसा बचाने और संचार में सुधार लाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोर्ड की बैठकों सहित बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

❖❖❖

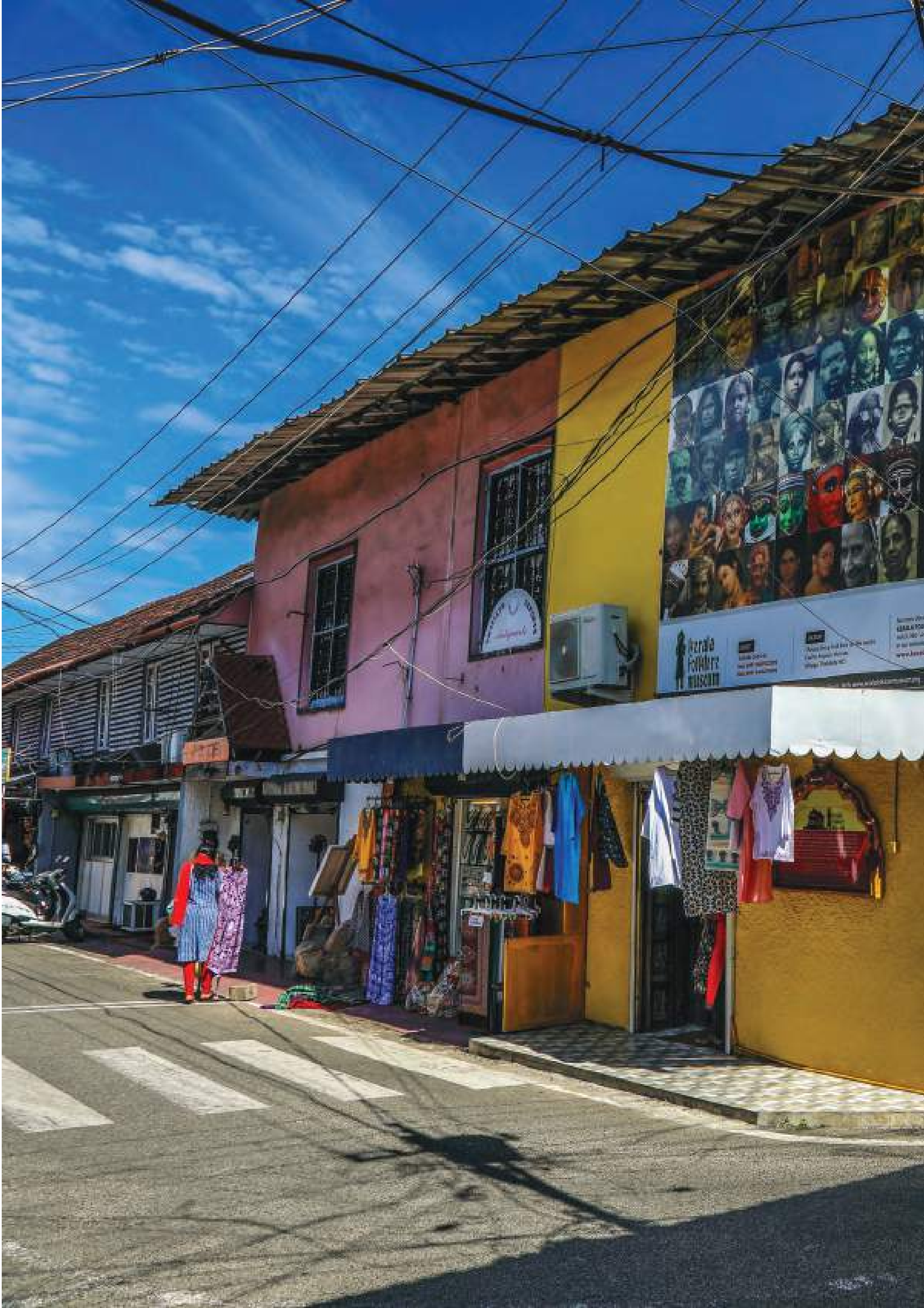

अध्याय 11

सांख्यिकी, सर्वेक्षण और अध्ययन

अध्याय 11

सांख्यिकी, सर्वेक्षण और अध्ययन

11.1. सूचना और अनुसंधान क्रियाकलाप

सांख्यिकीय डेटा सुदृढ़ सबूत आधारित निर्णय लेने, किसी भी नीति और कार्यक्रम की योजना बनाने, कार्यान्वयन करने और निगरानी करने के लिए अपरिहार्य उपकरण हैं। परिणामस्वररूप, डेटा के विवरण और विश्वसनीयता का स्तर, साथ ही इसकी व्याख्या और उपयोग का स्तर, ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों की कारगरता पर सीधा प्रभाव डालता है। पर्यटन सांख्यिकी उनमें से एक है। पर्यटन मंत्रालय का बाजार अनुसंधान प्रभाग भारत में अंतर्गामी, बहिर्गामी और घरेलू पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर पर्यटन सांख्यिकी के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए जिम्मेदार है।

प्रभाग द्वारा एकत्र की गई प्रमुख साख्यिकी में विदेशी पर्यटक आगमन, घरेलू और विदेशी पर्यटकों की यात्राओं, पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जन इत्यादि के आंकड़े शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों की प्रोफ़ाइल, व्यसय पैटर्न, पर्यटकों की पसंद, संतुष्टि स्तर आदि का आकलन करने के लिए आवधिक सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। मंत्रालय की आवश्यकता के आधार पर यह प्रभाग पर्यटन सर्वेक्षण, आर्थिक और सांख्यिकीय अनुसंधान अध्ययन जैसे कि आतिथ्य और संबद्ध क्षेत्र में रोजगार स्तर और कौशल अंतराल का आकलन करना, भारत में एमआईसीई बाजार पर अध्ययन, अन्य देशों की तुलना में भारत के होटल उद्योग में आवास शुल्क पर कराधान/प्रोत्साहन के प्रभाव का आकलन, भारत में केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में आगंतुक के आगमन के हाल के रुझान, भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने में लक्जरी पर्यटक ट्रेनों की भूमिका आदि का आकलन करता है।

पर्यटन में अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सम्मेलनों, सेमिनारों का आयोजन करने, पर्यटन पत्रिकाओं आदि को प्रकाशित करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों एवं केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पर्यटन उपग्रह लेखा तैयार करना, जो देश की जीडीपी में और साथ ही साथ इसके रोजगार में पर्यटन के योगदान को मापता है, भी इस प्रभाग के प्रमुख कार्यों में से एक है।

11.2 विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए)

2021 के दौरान एफटीए 1.41 मिलियन (जनवरी – दिसंबर) (अनंतिम) था जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 48.6 प्रतिशत कम है।

11.3 अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) का आगमन

वर्ष 2014 से, पर्यटन मंत्रालय ने वार्षिक आधार पर अनिवासी भारतीयों के आगमन के आंकड़े संकलित करना शुरू किया और वर्ष 2020 में भारत में आने वाले अनिवासी भारतीयों के आगमन की संख्या 3.59 मिलियन थी।

11.4 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए)

यूएनडब्ल्यू टीओ के अनुसरण में आईटीए में एफटीए और एनआरआई आगमन दोनों शामिल हैं। वर्ष 2020 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन 6.33 मिलियन था।

11.5 विदेशी मुद्रा आय (एफईई)

जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आय 50,136 करोड़ रुपए (अनंतिम आकलन) थी जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 76.3 प्रतिशत कम है।

जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आय 6.958 बिलियन अमरीकी डॉलर (अनंतिम अनुमान) थी जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 76.9 प्रतिशत कम है।

11.6 भारतीय नागरिकों के प्रस्थान

भारत से प्रस्थान करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 2020 के दौरान 7.29 मिलियन की तुलना में 13.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2021 के दौरान 8.28 मिलियन थी।

भारत से प्रस्थान करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या 2019 के दौरान 26.91 मिलियन की तुलना में 72.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2020 के दौरान 7.29 मिलियन थी।

11.7 घरेलू पर्यटन

घरेलू पर्यटन इस सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना रहा है। राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों और पर्यटन मंत्रालय के पास उपलब्ध अन्य जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020 के दौरान देश भर में घरेलू पर्यटक यात्राओं की संख्या 610.22 मिलियन थी।

11.8 सर्वेक्षण और अध्ययन

पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए सर्वेक्षण एवं अध्ययन देश में पर्यटन के विकास के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार करने के लिए इनपुट प्राप्त करने में उपयोगी रहे हैं। मास्टर प्लान तैयार करने, व्यवहार्यता अध्ययन और सांख्यिकीय सर्वेक्षण/अध्ययन करने के लिए मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

2021–22 के दौरान इस समय चल रहे और पूरे हो गए सर्वेक्षणों, अध्ययनों आदि तथा अनुसंधान संवर्धन कार्यशालाओं आदि का संचालन करने के लिए संस्थानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता (31 दिसंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार) के ब्यौरे अनुलग्नक V में दिए गए हैं।

11.9 राज्य मूल्यांकन ढांचा (एसएफ)

पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कार्य निष्पादन का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (टीटीसीआई) से प्रेरित एक राज्य मूल्यांकन ढांचा विकसित किया है। ढांचे में चार डोमेन शामिल हैं जिनमें उनके बीच 30 संकेतक वितरित किए गए हैं। मूल्यांकन के डोमेन इस प्रकार हैं:

क) **सक्षम पर्यावरण बनाना:** यह डोमेन एक राज्य में संचालन के लिए आवश्यक सामान्य शर्तों को कैप्चर करता है।

ख) **अवसंरचना:** यह डोमेन राज्य में भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता को दर्शाता है।

ग) **पर्यटन पर्यावरण:** यह डोमेन उन विशिष्ट पहलुओं को कैप्चर करता है जो सीधे यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को प्रभावित करते हैं।

घ) **पर्यटन उत्पाद:** यह राज्य में पर्यटन उत्पादों के समग्र विकास और समृद्धि को दर्शाता है।

ढाँचे का प्राथमिक उद्देश्य यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में राज्यों के निष्पादन को देखना है, राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना और आगे की प्रगति के लिए प्रयास करना और टीटीसीआई में देश की स्थिति में सुधार करना है।

11.10 पर्यटन उपग्रह लेखा (टीएसए)

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हर साल तैयार किया गया राष्ट्रीय लेखा देश की जीडीपी की गणना करते समय विनिर्माण, कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों, सेवा जैसे कि बैंकिंग, परिवहन, बीमा आदि के विकास एवं योगदान का मूल्यांकन करता है। तथापि, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली जीडीपी में पर्यटन की वृद्धि एवं योगदान को मापने में समर्थ नहीं है। इसका कारण यह है कि पर्यटन उस तरह से उद्योग नहीं है जिस तरह इसे राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में परिभाषित किया गया है।

पर्यटन मांग पर आधारित संकल्पना है जिसे इसके उपभोग द्वारा, न कि इसके आउटपुट द्वारा परिभाषित किया जाता है। इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि इसका उपभोग पर्यटक या गैर पर्यटक द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय लेखा में परिभाषित उद्योग जैसे कि हवाई परिवहन, होटल और रेस्टोरेंट आदि समान आउटपुट पैदा करते हैं। पर्यटक द्वारा उपभोग पर्यटन अर्थव्यवस्था को परिभाषित करता है जो राष्ट्रीय लेखा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए जीडीपी में पर्यटन के योगदान का मूल्यांकन करने के लिए पर्यटन उपग्रह लेखा तैयार करने की आवश्यकता है।

अब तक पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन

संगठन द्वारा संस्तुत कार्य पद्धति का अनुसरण करके वर्ष 2006, 2012 और 2018 में संदर्भ वर्ष 2002—03, 2009—10 और 2015—16 के लिए भारत का तीन टीएसए तैयार कराया है। टीएसए द्वारा अनुशंसित मैथेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क (टीएसए : आरएमएफ) 2008 के अनुसार, किसी देश के टीएसए में 10 मानक तालिकाओं का सेट शामिल होता है जो अर्थव्यवस्था में पर्यटन के आर्थिक योगदान का अनुमान लगाने की कुंजी हैं। मानक संस्तुत फार्मेट में तालिकाएं तैयार करने तथा मानक विस्तृत कार्य पद्धति का अनुसरण करने से देशों के बीच समरूपता के कारण अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं संभव होती हैं।

सीएसओ के आधार वर्ष 2011—12 के साथ राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के आंकड़ों का प्रयोग करके संदर्भ वर्ष 2015—16 के लिए 2018 में भारत का तीसरा टीएसए तैयार किया गया। मध्यवर्ती वर्षों तथा परवर्ती वर्षों अर्थात 2015—16, 2016—17, 2017—18, 2018—19 और 2019—20 के लिए तीसरे टीएसए के अनुसरण में अनुमान के अनुसार वर्ष 2017—18, 2018—19 और 2019—20 के लिए देश की जीडीपी और रोजगार में पर्यटन का योगदान नीचे दिया गया है :

	2015—16	2016—17	2017—18	2018—19	2019—20
जीडीपी में शेयर (प्रतिशत में)	5.09	5.04	5.02	5.01	5.16
प्रत्यक्ष (प्रतिशत में)	2.65	2.62	2.61	2.60	2.68
अप्रत्यक्ष (प्रतिशत में)	2.44	2.42	2.41	2.41	2.48

टिप्पणी : उपरोक्त अनुमानों को एनएएस 2021 का प्रयोग करके अपडेट किया गया है

	2017—18	2018—19	2019—20
जॉब में शेयर (प्रतिशत में)	14.78	14.87	15.34
प्रत्यक्ष (प्रतिशत में)	6.44	6.48	6.69
अप्रत्यक्ष (प्रतिशत में)	8.34	8.39	8.65
पर्यटन के कारण प्रत्यक्ष+अप्रत्यक्ष नौकरियां (मिलियन में)	72.69	75.85	79.86

टिप्पणी : उपरोक्त अनुमानों को एनएएस 2021 का प्रयोग करके अपडेट किया गया है

❖❖❖

कुर्ग वन्यजीव एशियाई कोयल

अक्षरधाम मंदिर

अध्याय 12

घरेलू कार्यालय

अध्याय
12

घरेलू कार्यालय

पर्यटन मंत्रालय के देश भर में 20 घरेलू भारत पर्यटन कार्यालय हैं। ये कार्यालय राज्य पर्यटन विभागों और हितधारकों के समन्वय में अपने अपने क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य देखते हैं। घरेलू कार्यालय प्रभाग घरेलू कार्यालयों के कामकाज और गतिविधियों से संबंधित कार्य का समन्वय करता है।

12.1 वर्तमान वर्ष के दौरान घरेलू कार्यालय प्रभाग और घरेलू कार्यालयों द्वारा की जा रही प्रमुख पहलों/गतिविधियों का विवरण इस प्रकार है :

12.1.1 देखो अपना देश : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण के दौरान भारत में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक नागरिक को वर्ष 2022 के अंत तक कम से कम 15 गंतव्यों पर जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील के अनुपालन में, पर्यटन मंत्रालय ने 24 जनवरी 2020 को 'देखो अपना देश' पहल शुरू की थी। इस पहल का उद्देश्य देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करना, नागरिकों में राष्ट्रीय गौरव और अपनेपन की भावना उत्पन्न करना, नागरिकों को देश के अंदर व्यापक रूप से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करना, पर्यटकों के आगमन में वृद्धि करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास करना और स्थानीय स्तर पर नौकरी का सृजन करना है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश पहल का सभी मंचों पर जोर शोर से संवर्द्धन किया जाता है।

इस पहल के तहत मंत्रालय ने निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित की हैं :

i. **ऑनलाइन शपथ** : मंत्रालय ने जनवरी 2020 में माईगव प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शपथ शुरू की है। 20 जनवरी 2022 तक 2,24,224 लोगों ने शपथ ली है।

ii. **देखो अपना देश वेबिनार** : मंत्रालय भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'देखो अपना देश' की समग्र थीम के तहत वेबिनार की एक श्रृंखला की व्यवस्था कर रहा है। वेबिनारों में पर्यटन स्थलों के अलावा, गंतव्यों की संस्कृति, विरासत, हस्तशिल्प और व्यंजन की झलक भी शामिल है। वेबिनारों के माध्यम से जिम्मेदार पर्यटन, सुगम्य पर्यटन, वन्य जीव, ट्रेकिंग, साइकिलिंग और मोटर साइकिल पर्यटन आदि की संकल्पनाओं को भी बढ़ावा दिया गया है।

20 जनवरी 2022 तक तक कुल 115 वेबिनार आयोजित किए जा चुके हैं।

12.1.2 आज़ादी का अमृत महोत्सवः भारत सरकार ने भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 12 मार्च 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम शुरू किया है। आज की तारीख में घरेलू कार्यालय प्रभाग और कार्यालयों ने आजादी का अमृत महोत्सव (AKAM) के तहत लगभग 300 गतिविधियों का आयोजन किया है। गतिविधियों में फोटो प्रदर्शनी, हेरिटेज वॉक, मॉल ब्रांडिंग, वेबिनार, एफबी लाइव शो, प्रचार सामग्री का उत्पादन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, फिल्मों का प्रदर्शन, स्वच्छता अभियान, कार्यशालाएं आदि शामिल हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के साथ मंत्रालय अगस्त 2021 से एकेएएम के तहत वेबिनार की एक 12–एपिसोड श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। प्रत्येक वेबिनार के बाद MyGov प्लेटफॉर्म पर एक प्रश्नोत्तरी होती है। वेबिनार के पहले दो एपिसोड से 50 भाग्यशाली प्रश्नोत्तरी विजेताओं को नवंबर 2021 में नागालैंड के एक अध्ययन दौरे पर ले जाया गया।

12.2 इसके अलावा, घरेलू कार्यालय प्रभाग ने 2021 में निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों का आयोजन किया था:

i. **कश्मीर की पर्यटन क्षमता का दोहनः** स्वर्ग में एक और दिन। श्रीनगर, कश्मीर 11 से 13 अप्रैल, 2021 तकः कश्मीर की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य में विभिन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार विभाग के सहयोग से पर्यटन विभाग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सरकार, फिक्की (नॉलेज पार्टनर), और इंडिया गोल्फ टूरिज्म एसोसिएशन (IGTA) ने 11– 13 अप्रैल, 2021 से श्रीनगर, कश्मीर में "कश्मीर की पर्यटन क्षमता का दोहनः स्वर्ग में एक और दिन" नामक एक अद्वितीय नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 200लोगों ने भाग लिया जिसमें मीडिया, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एसोसिएशन, राज्य सरकार के अधिकारी और भारत में विदेशी मिशनों के राजदूत शामिल हैं। दो दिनों के आयोजन के दौरान मंत्रालय ने कश्मीर की संस्कृति, प्राकृतिक विरासत, पाककला और गोल्फ पर्यटन क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रदर्शनी, विचार–मंथन सत्र, पारिवारिक यात्राओं का आयोजन किया।

ii. **लद्दाखः न्यू स्टार्ट न्यू गोल्स 26–28 अगस्त, 2021ः** पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन विभाग, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन और एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एटीओएआई) के सहयोग से लेह, लद्दाख में "लद्दाखः नई शुरुआत, नए लक्ष्य" नामक एक मेगा पर्यटन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्रालय ने हितधारकों को उनके इनपुट लेने के लिए लद्दाख में पर्यटन के विकास के लिए 'लद्दाख विजन दस्तावेज़' प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में लगभग 150 प्रतिभागी उपस्थित थे, जिनमें ओपिनियन मेकर, टूर ऑपरेटर, होटल व्यवसायी, राजनयिक, होमस्टे मालिक, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, लद्दाख संघ और मीडिया के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। तीन दिवसीय आयोजन में लद्दाख की सुविधाओं और विभिन्न पर्यटन उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बी2बी मीटिंग, पैनल चर्चा, प्रदर्शनियों और तकनीकी दौरों जैसी गतिविधियां शामिल थीं। जहां तक पर्यटन का संबंध है, इस आयोजन से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक नई शुरुआत होने की उम्मीद है।

iii. **बौद्ध सर्किट ट्रेन एफएएम टूरः** आईआरसीटीसी के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय ने बोधगया और वाराणसी में 4 से 8 अक्टूबर 2021 तक एक बौद्ध परिपथ फैमिली टूर और सम्मेलन का आयोजन किया। उद्घाटन समारोह और सम्मेलन 5 अक्टूबर 2021 को बोधगया में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें देश के अन्य हिस्सों के टूर ऑपरेटर, स्थानीय टूर ऑपरेटर और पर्यटन क्षेत्र के मीडिया के अन्य हितधारक, पर्यटन मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान मंत्रालय ने नालंदा विश्वविद्यालय और बीएचयू के छात्रों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया। आयोजन का समापन सत्र 7 अक्टूबर 2021 को वाराणसी में आयोजित किया गया था। दौरे के दौरान प्रतिभागियों ने राजगीर, नालंदा और सारनाथ का भी दौरा किया।

iv. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलनः** एमओटी ने क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र के विकास और संस्कृति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 13 और 14 सितंबर 2021 को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया। दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन असम के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था और इसमें माननीय पर्यटन मंत्री, भारत सरकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन और संस्कृति मंत्री, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों के पदाधिकारियों, मीडिया और उद्योग हितधारकों ने भाग लिया था। दो दिवसीय सम्मेलन में पर्यटन के विकास पर विचार–विमर्श की श्रृंखला शामिल थी।

v. **दक्षिणी क्षेत्र के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलनः** पर्यटन मंत्रालय ने क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र के विकास और संस्कृति से संबंधित मुद्दों पर

चर्चा करने के उद्देश्य से 28 और 29 अक्टूबर 2021 को बेंगलुरु में दक्षिणी क्षेत्र के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का उद्घाटन श्री. जी किशन रेड्डी, माननीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग द्वारा किया गया था और माननीय पर्यटन राज्य मंत्री, सरकार, भारत सरकार, दक्षिणी क्षेत्र के पर्यटन और संस्कृति मंत्री, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन (यूटी) के पदाधिकारियों, मीडिया और उद्योग हितधारकों ने भाग लिया। दो दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनके मुद्दों और आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए स्थानीय हितधारकों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया गया था।

vi. **9वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट, कोहिमा, नागालैंड 27–29 नवंबर 2021:** पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से 27 नवंबर से 29 नवंबर 2021 तक कोहिमा, नागालैंड में "अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट" (आईटीएम) का आयोजन किया। तीन दिवसीय कार्यक्रम में ब्रुनेई दारुस्सलाम, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड के उच्च अधिकारियों के राजदूतों, सरकारी अधिकारियों, उद्योग हितधारकों, मीडिया प्रतिनिधियों और स्थानीय प्रतिभागियों सहित कुल 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।आईटीएम पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा यात्रा और पर्यटन नेटवर्किंग कार्यक्रम है और दो साल के अंतराल के बाद आयोजित किया गया था। इस वर्ष मार्ट का आयोजन "घरेलू पर्यटन" पर विशेष ध्यान देने के साथ किया गया था।मार्ट के दौरान आयोजित प्रमुख गतिविधियों में पैनल चर्चा, हितधारकों के बीच बी2बी बैठकें, सांस्कृतिक प्रदर्शन, व्यंजन शो, पूर्वोत्तर बाजार में एनईआर की समृद्ध कला और हस्तशिल्प का प्रदर्शन, युद्ध कब्रिस्तान, पुलीबडज़े और खोनोमा गांव का तकनीकी दौरा शामिल था।इस वर्ष मार्ट की एक महत्वपूर्ण विशेषता देश भर से 50 विश्वविद्यालय के छात्रों की भागीदारी थी। मार्ट के दौरान इन युवा छात्रों ने एनईआर के छात्रों के साथ बातचीत की। विद्यार्थियों के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया जिसके बाद प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कश्मीर की पर्यटन क्षमता का दोहन

'लद्दाखः नई शुरुआत, नए लक्ष्य'

पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन'

'बौद्ध सर्किट ट्रेन एफएएम टूर एंड कॉन्फ्रेंस'

'दक्षिणी क्षेत्र के पर्यटन और संस्कृति मंत्री सम्मेलन'

अध्याय 13

पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर – विशेष जोर

अध्याय
13

पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर – विशेष जोर

13.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र

एमडीए के संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 28 नवंबर 2020 के अनुसार, देश के अंदर संवर्धन की गतिविधियां संचालित करने के लिए पर्यटन सेवा प्रदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जैसे कि घरेलू यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना; एडीटीओआई, एटीओएआई, एफएचआरएआई, आईएटीओ, एबीटीओ, आईसीपीबी, आईएचएचए, आईटीटीए, एचएआई, टीएएआई, टीएएफआई एवं फेथ सहित राष्ट्रीय पर्यटन एवं आतिथ्यए संघों और देश में प्रतिष्ठित वाणिज्यए, उद्योग एवं व्याषपार संगठनों/संघों जैसे कि सीआईआई, फिक्की, एसोचैम, पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा तथा पर्यटन मंत्रालय द्वारा समय समय पर मान्यता प्राप्त अन्य व्याकपार संघ द्वारा आयोजित पर्यटन संबद्ध सम्मेतलनों/बैठकों/सेमिनारों में भाग लेना; केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के पर्यटन मंत्रालयों द्वारा आयोजित सम्मेलनों/बैठकों/सेमिनारों में भाग लेना; देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित रोड शो में भाग लेना और डिजिटल संवर्धन ब्रोशर/लिफलेट का निर्माण सहित घरेलू बाजार में पर्यटन गंतव्यों एवं उत्पादों, टूर पैकेज का आनलाइन संवर्धन। इसके अलावा, देश के अंदर संवर्धनात्म क गतिविधियों को संचालित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्ये क्षेत्र प्रशासनों पर्यटन विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें घरेलू यात्रा मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना; डिजिटल संवर्धन ब्रोशर/लिफलेट का निर्माण सहित घरेलू बाजार में पर्यटन स्थलों एवं उत्पादों का आनलाइन संवर्धन तथा पर्यटन उत्पादों से परिचित कराने के लिए राज्ये सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई यात्रा शामिल हैं।

इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी राज्य, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख का दौरा करने के लिए एक अतिरिक्त टूर (उपर्युक्त तीन टूर के अलावा) अनुमत होगा। जहां तक पर्यटन सेवा प्रदाताओं को मान्यता प्रदान करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों का संबंध है, ग्रीन शूट्स/स्टार्टअप की मान्यता प्रदान करने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर/लद्दाख/अंडमान एवं निकोबार/लक्षद्वीप में प्रचालन करने वाले अनुभवी टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंट/टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के लिए मान्यता प्रदान करने के मानदंडों में प्रदत्त पूंजी, वार्षिक टर्नओवर और कार्यालय स्थान के संदर्भ में छूट प्रदान की गई है।

13.2 संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी)

देश के प्रतिबंधित/संरक्षित क्षेत्र में पर्यटकों को यात्रा का बेहतर एवं सुखद अनुभव प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ नियमित रूप से समन्वय स्थापित करता है और इस मंत्रालय के प्रयासों के फलस्वरूप गृह मंत्रालय ने मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड तथा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में अगले 5 साल की अवधि के लिए अर्थात 31 दिसंबर, 2022 तक पीएपी/आरएपी से छूट प्रदान की है।

13.3 अतिथि सत्कार सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) योजना

- घरेलू पर्यटन भारत में पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- पर्यटन मंत्रालय घरेलू पर्यटन के संवर्धन के लिए तथा घरेलू पर्यटक आमद में वृद्धि के उद्देश्य से

लोग, ला–लद्दाख, जम्मू और कश्मीर

विभिन्न संवर्धनात्मयक गतिविधियों का आयोजन करता है।

- इन गतिविधियों का उद्देश्य मुख्य रूप से पर्यटन गंतव्यों एवं उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, पूर्वोत्तर तथा जम्मू एवं कश्मीर जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर बल देते हुए देश के अंदर पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- सामाजिक जागरूकता के संदेशों का प्रसार करना और ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जो पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम हैं।

जुकोउ घाटी–कोहिमा, नागालैंड

❖❖❖

अध्याय 14

लैंगिक समानता

अध्याय
14

लैंगिक समानता

पर्यटन ऐसा सेवा उद्योग है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं। अतः लैंगिक सुग्राहीकरण और महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना मंत्रालय के महत्वपूर्ण सरोकार हैं।

मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि महिला पदाधिकारी उनके सक्षमता निर्माण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेते रहे।

महिला एवं बाल विकास विभाग के दिशानिर्देशों तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विषय पर विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 13 अगस्त, 1997 के निर्देशों के कार्यान्वयन में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में, इस मंत्रालय ने 2003 में तत्कालीन सचिव (पर्यटन) के अनुमोदन से पर्यटन मंत्रालय में कार्यरत महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक शिकायत समिति का गठन किया है। वर्तमान अध्यक्ष/सदस्यों के स्थानांतरण आदि के कारण समय समय पर शिकायत समिति की संरचना में संशोधन किया जाता है।

❖❖❖

सामान्य ईज़ेबेल्स बटरफ्लाई पार्क

चर्च ऑफ अवर लेडी ऑफ पीटीटी, दादर और नगर हवेली

गोविंद देव मंदिर, वृंदावन उत्तर प्रदेश

अध्याय 15

कल्याणकारी उपाय

अध्याय
15

कल्याणकारी उपाय

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ'

मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के लिए सम्पर्क अधिकारी उप सचिव/निदेशक स्तर का अधिकारी होता है जो कि मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के सेवा मामलों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हैं। यह प्रकोष्ठ मुख्य रूप से आरक्षण नीति के संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों की अनुपालन के लिए कार्य करता है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण

मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में सभी भर्तियां सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आरक्षण के आदेशों के अनुसार की जा रही हैं और तदनुसार आरक्षण रोस्टर अनुरक्षित किए जाते हैं। इस विषय पर संबंधित प्राधिकारियों को नियमित रूप से वार्षिक विवरणी भी भेजी जाती हैं।

दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण

श्री अनुज गोयल बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश और दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 34–16/2018–डीडी–III दिनांक 16 अगस्त, 2019 के तहत निदेश के अनुपालन में पर्यटन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसरण में बेंचमार्क विकलांगताओं से ग्रसित व्क्तियों के लिए यथा उपयुक्त समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के पदों के विभिन्न स्तर की पहचान की थी, जिन पर सीधी भर्ती की जाती है। उक्त सूचना मंत्रालय की वेबसाइट http://tourism.gov.in पर भी उपलब्ध है।

❖❖❖

अध्याय 16

सतर्कता

अध्याय
16

सतर्कता

सतर्कता से संबंधित विभिन्न् मामलों को देखने के लिए इस मंत्रालय में अलग से एक सतर्कता प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है।

विशेष रूप से सार्वजनिक खरीद के मामले में निवारक सतर्कता की आवश्यकता पर बल देते हुए, कार्यालय से संबंधित सभी वस्तुओं जैसे कि लेखन सामग्री, फर्नीचर, कम्प्यूटर आदि की खरीद सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से की जाती है।

किसी विशेष पद पर 3 वर्ष की निरंतर सेवा वाले सभी कर्मचारियों के समयावर्ती स्थानांतरण को कड़ाई से लागू किया जाता है एवं निगरानी की जाती है। प्रोबिटी पोर्टल पर अद्यतित रिपोर्ट अपलोड की जा रही है।

यात्रा व्यवसाय सेवा प्रदाताओं को मान्यता तथा होटलों के वर्गीकरण के मामले में अधिकारियों और संबंधित आवेदकों के बीच सीधे आमना–सामना को कम करने के लिए ऑनलाइन अनुमोदन/वर्गीकरण प्रणाली प्रचालन में हैं तथा इसकी निगरानी की जा रही है।

किसी भी स्तर पर संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण की संभावना को कम करने के लिए ई–ऑफिस प्रणाली का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।

कन्याकुमारी, तमिलनाडु

अध्याय–17

अदालत के मामले

अध्याय
17

अदालत के मामले

न्यायालयों में लंबित मामलों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	मामला/याचिका सं.	कोर्ट/बेंच	किसके द्वारा मामला दर्ज किया गया	मामले का संक्षिप्त विवरण
1.	विशेष रिट याचिका (सिविल) 1639–1644 /2012	उच्चतम न्यायालय	किरण चावला और अन्य	पर्यटन मंत्रालय में सेवा जारी रखने के संबंध में।
2	ओ.ए. संख्या 1529/ 2018	केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चेन्नई	श्री संजय श्रीवत्स, तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक, भारत पर्यटन कार्यालय, चेन्नई	विदेशी कार्यालयों में उप महानिदेशक/क्षेत्रीय निदेशक के पद के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आयोजन को चुनौती।
3.	रिट याचिका संख्या 205/2021 में समीक्षा याचिका (सिविल) संख्या 49/2021	माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली।	कमल कांत	ऊपरी आयु सीमा में छूट के लाभ के लाभ के लिए सैन्य सेवा की अवधि में तीन वर्ष की वृद्धि करने के संबंध में।
4.	ओ.ए. संख्या 3812/2018 में सिविल 3812/2018 में सिविल 499/2019	केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, दिल्ली	श्री रंजन लाहिड़ी	माननीय कैट की पीठ द्वारा दिनांक 08/10/2018 को दिए गए आदेश का अनुपालन नहीं करना।
5.	ओ.ए. संख्या 4367/ 2020	दिल्ली उच्च न्यायालय	श्री आर.के. मिश्रा, सहायक निदेशक, भारत पर्यटन, इंदौर	विदेश में तैनाती के लिए सहायक निदेशक के ग्रेड में चयन प्रक्रिया को चुनौती दी।
6	4155/2017 मुख्य महानगर अपीलीय 182 17/2017	दिल्ली उच्च न्यायालय	आईएटीओ	
7	3342/2017 मुख्य महानगर अपीलीय 14576/2017, 14577 /2017, 14578/ 2017 तथा 17504/ 2017	दिल्ली उच्च न्यायालय	क्षेत्रीय पर्यटक गाइड संघ	

8	1284/2020 मुख्य दंडाधिकारी – अपील 4470/2020 – 26507/2021	दिल्ली उच्च न्यायालय	सरकार द्वारा स्वीकृत पर्यटक गाइड एसोसिएशन (जीएटीजीए)	
9	210/2021 अवमानना याचिका	दिल्ली उच्च न्यायालय	सरकार द्वारा स्वीकृत पर्यटक गाइड एसोसिएशन (जीएटीजीए)	
10	119/2021	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	शैलेश त्रिपाठी एवं अन्य	
11	13102/2020	राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर न्यायपीठ के समक्ष	भगवत सिंह राणावत	
12	रिट याचिका (सिविल) संख्या 5710/ 2013	दिल्ली उच्च न्यायालय	टुडे होटल बनाम बीएसईएस राजधानी और अन्य	बीएसईएस राजधानी द्वारा निर्धारित बिजली टैरिफ, बिजली के वाणिज्यिक दर के बजाय औद्योगिक इकाई दर चार्ज करने के लिए याचिका
13	रिट याचिका (सिविल) संख्या 7053/2011	राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर	आयुष हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	पूंजीगत सब्सिडी
14	रिट याचिका (सिविल) संख्या 2812 /2013	केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम	श्री शशिधरन, होटल नूपुरा रेजीडेंसी, पझायनूर, त्रिशूर, केरल	04 सितारा श्रेणी में होटल का निरीक्षण दिनांक 28.01.2013 को मुख्यालय में न्यायालय के फर्जी आदेश प्राप्त होने पर स्थगित कर दिया गया था। होटल के मालिक ने यह याचिका दायर कर दिनांक 30.01.2013 को निरीक्षण के लिए न्यायालय के आदेश प्राप्त किए हैं।
15	रिट याचिका (सिविल) संख्या 5372/2013	केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम	मेसर्स हार्बर होटल, मलियांकर उत्तर परवुरी केरल	केरल सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.02.1013 के आधार पर याचिकाकर्ता ने व्याख्या की है कि 12.02.2013 से केरल राज्य द्वारा कोई नया बार लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा और यह माना जाना चाहिए कि स्थानीय कानून बार लाइसेंस जारी करने की अनुमति नहीं देता है। राज्य। इसलिए पर्यटन मंत्रालय के दिनांक 28.06.2012 के दिशा–निर्देशों का खंड 8 (एफ) याचिकाकर्ता के मामले में इसे राज्य में प्रतिबंधित बार लाइसेंस के रूप में मानने के मामले में लागू होता है।

16	क्रमांक रिट याचिका (सिविल) संख्या 5325 / 2013	केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम	होटल एक्वारॉक मन्नाथला तिरुवनंतपुरम	केरल सरकार की दिनांक 12.02.1013 की अधिसूचना के आधार पर याचिकाकर्ता ने व्याख्या की है कि 12.02.2013 से केरल राज्य द्वारा कोई नया बार लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा और यह माना जाना चाहिए कि स्थानीय कानून बार लाइसेंस जारी करने की अनुमति नहीं देता है। इसलिए राज्य पर्यटन मंत्रालय के दिनांक 28.06.2012 के दिशा–निर्देशों का खंड 8 (एफ) याचिकाकर्ता के मामले में इसे राज्य में प्रतिबंधित बार लाइसेंस के रूप में मानने के मामले में लागू होता है।
17	रिट याचिका (सिविल) 14208 / 2013	केरल उच्च न्यायालय	निर्मल्लयम रेजीडेंसी होटल्स पी. लिमिटेड बनाम भारत संघ	बार लाइसेंस के बिना होटल का वर्गीकरण
18	रिट याचिका (सिविल) 11479 / 2014	केरल उच्च न्यायालय	श्री एन. धर्मादन (एसआर.) बनाम भारत संघ	होटल का वर्गीकरण
19	रिट याचिका (सिविल) 2687 / 2014	केरल उच्च न्यायालय	परवूर गैलेक्सी	होटल का वर्गीकरण
20	रिट याचिका (सिविल) 30865 / 2017	केरल उच्च न्यायालय	होटल्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम सदस्य सचिव (एचआरएसीसी) श्रीमती पथुमा बीवी बनाम पुलिस उपाधीक्षक, एर्नाकुलम ग्रामीण, अलुवा, क्षेत्रीय निदेशक(दक्षिण), सचिव (पर्यटन), सरकार, केरल के, आबकारी आयुक्त, उप आबकारी आयुक्त, सचिव (वित्त), केरल सरकार, सचिव, पेरुंबवूर नगर पालिका, प्रबंध भागीदार, होटल रिट्ज इंटरनेशनल, सुश्री सिंधु, जिलाधिकारी, अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग।	मामला होटल रिट्ज इंटरनेशनल के खिलाफ बार लाइसेंस, पार्किंग नियमों के उल्लंघन, सार्वजनिक उपद्रव आदि के संबंध में है, जो वर्तमान में एक 3 सितारा वर्गीकृत होटल है।

21	23.02.2018 को दाखिल ओ.ए. संख्या 202/2018	केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुम्बई	श्री पी. पी. लांजेवार, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक, भारतीय पर्यटन, मुंबई बनाम भारत संघ	श्री पीपी लांजेवार ने पर्यटन मंत्रालय के दिनांक 24.01.2018 के आदेश को रद्द करने और एमएसीपी योजना के तहत उच्च ग्रेड वेतन देने के लिए भारत संघ के खिलाफ ओए दायर किया है। मामला चल रहा है और अंतिम बार 18.01.2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया था जिसे स्थगित कर दिया गया था और अब नई तिथि की सूची की प्रतीक्षा है।
22	2.7.2021 को दाखिल ओ. ए.449/2021	केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर बेंच, मध्य प्रदेश	श्री जय कुमार तिवारी, मल्टी टास्किंग स्टाफ, भारतीय पर्यटन, इंदौर बनाम भारत संघ	श्री जय कुमार तिवारी ने 2/8/1999 से अपनी तदर्थ सेवाओं के दौरान छुट्टी के नियमितीकरण, एमएसीपीएस के तहत दो वित्तीय उन्नयन, वेतन की बकाया राशि और सभी परिणामी लाभों के आधार पर राहत की मांग करते हुए ओए दायर किया है। भारत पर्यटन, मुंबई ने 19.01.2022 को माननीय कैट – जबलपुर बेंच, के समक्ष मंत्रालय के अनुमोदन से एक जवाबी हलफनामा दायर किया है। अगली सुनवाई 21.02.2022 को सूचीबद्ध है।
23	27366/ 2012	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	श्री राम इंटरप्राइजेज (बेस्ट वेस्टर्न रामचंद्र)	याचिकाकर्ता की प्रार्थना याचिकाकर्ता होटल के वर्गीकरण के लिए भवन योजना की स्वीकृति प्रस्तुत करने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।
24	11479/2014	केरल उच्च न्यायालय	श्री सुभाष सोमन (होटल रोहिणी हिल्स)	याचिकाकर्ता की प्रार्थना है कि चार सितारा वर्गीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
25	ओ.एस– 95/ 2014	माननीय प्रधान सिविल जज कोर्ट, मदिकेरी	श्री बी. बी. आनंद और अन्य	याचिकाकर्ता की प्रार्थना है कि कर्नाटक के कोडागु जिले में होमस्टे के संचालन का दावा करने वाले सभी अवैध लॉजिंग हाउस को बंद कर दिया जाए।
26	6823/ 2015	केरल उच्च न्यायालय	रामचंद्र मेनन के.आर. मेसर्स चेराई बीच रिज़ॉर्ट	होटल को तीन स्टार वर्गीकरण जारी करने का अंतरिम आदेश।
27	11263/2017	केरल उच्च न्यायालय	होटल अभिरामी, तिरुवनंतपुरम	अंतरिम राहत याचिकाकर्ता को बार का संचालन करने की अनुमति देना है।
28	30865/ 2017	केरल उच्च न्यायालय	श्रीमती केएम पथुमा बीवी	बार लाइसेंस रोकने की अंतरिम प्रार्थना

29	20058/2018	केरल उच्च न्यायालय	श्री जी सुरेश कुमार	मामला लंबित
30	35404/ 2018	केरल उच्च न्यायालय	आरजी इंटरप्राइजेज (होटल वक्कम पलाज्जो)	याचिकाकर्ता की प्रार्थना है कि याचिकाकर्ता के होटल का जल्द से जल्द निरीक्षण किया जाए।
31	36309/ 2018	केरल उच्च न्यायालय	मेसर्स सौपर्निका इन्न श्री अनिल कुमार	भागीदारों के बीच विवाद है। याचिकाकर्ता की प्रार्थना होटल को जारी किए गए स्टार वर्गीकरण को अविलम्ब रद्द किया जाना चाहिए।
32	41311/ 2018	केरल उच्च न्यायालय	श्री सदाथली नेदुमकुलम बनाम (होटल सिटी पैलेस रेजीडेंसी, वंदूर)	याचिकाकर्ता की प्रार्थना है कि याचिकाकर्ता द्वारा अवैध रूप से संचालित बार को रोकने के लिए की गई शिकायत पर कार्रवाई की जाए।
33	पारित आदेश (सिविल) संख्या 760/ 2019	केरल उच्च न्यायालय	के.ए. कार्तिकेयन और अन्य	याचिकाकर्ता की प्रार्थना है कि दिनांक 31.07.2018 के आदेश के प्रचालन और ओएस संख्याः 16/2015 में कार्यवाही पर रोक लगाई जाए।
34	पारित आदेश (सिविल) संख्या 2435/ 2019	केरल उच्च न्यायालय	वज़हक्कुलम होटल एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट	मामला लंबित
35	273/2019	केरल उच्च न्यायालय	मेसर्स रौबा रेजीडेंसी होटल	मामला लंबित
36	पारित आदेश संख्याः 273/2019	केरल उच्च न्यायालय	रौबा रेजीडेंसी होटल	मामला लंबित
37	5972/2020	केरल उच्च न्यायालय	मेसर्स इस्साक रेजीडेंसी, मुन्नार	याचिकाकर्ता की प्रार्थना है कि जल्द से जल्द होटल का निरीक्षण किया जाए।
38	8379/2020	केरल उच्च न्यायालय	होटल हरितगिरी	मामला लंबित
39	19331/2014	केरल उच्च न्यायालय	मैसर्स किलियन बुटीक होटल, फोर्ट कोच्चि	मामला लंबित
40	2873/ 2018	केरल उच्च न्यायालय	द मोनार्क होटल, कोझिकोड	मामला लंबित
41	15283/2020	केरल उच्च न्यायालय	श्री आर. तुलसी होटल पद्मश्री टूरिस्ट होम, तिरुवनंतपुरम	मामला लंबित निरीक्षण किया गया और वर्गीकरण के लिए अनुमोदित किया गया।
42	12884/2019	केरल उच्च न्यायालय	श्री ट्विंगल पी.प्रेम होटल शिमला	याचिकाकर्ता की प्रार्थना है कि होटल के अवैध निर्माण को रोका जाए।

43	20485/2020	केरल उच्च न्यायालय	मेसर्स कार्टयार्ड, मैरियट होटल बनाम क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण)	मामला लंबित केंद्र सरकार के काउंसलर को निर्देश दिए गए हैं।
44	1131/2021	केरल उच्च न्यायालय	मेसर्स सोमशेखरन नायर, केरल मेसर्स होटल इंद्रप्रस्थ, नेदुमनगड, त्रिवेंद्रम बनाम क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण)	याचिकाकर्ता की प्रार्थना है कि चौथे प्रतिवादी को निर्देश जारी किया जाए कि याचिकाकर्ता को आवेदन पर कोई निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाए।
45	3333/2021	केरल उच्च न्यायालय	श्री साजिथ टी.एस मेसर्स डायमंड पैलेस होटल, कोल्लम बनाम क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण)	निरीक्षण किया गया है और होटल को वर्गीकृत किया गया है। फ़ाइल होटल फ़ाइल के साथ है। मामला लंबित
46	2536/2021	केरल उच्च न्यायालय	मेसर्स थिरुकोकोची रेजीडेंसी, कुमारसेरी, एर्नाकुलम बनाम क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण) और अन्य	मामला लंबित 26/02/021 को निरीक्षण किया गया और होटल के लिए विरासत (बेसिक) की सिफारिश की गई।
47	439/2021	केरल उच्च न्यायालय	श्री एंटो चीरथिल, थिरुकोची रेजीडेंसी, एर्नाकुलम बनाम निदेशक (होटल और रेस्तरां), भारत सरकार	मामला लंबित 26/02/021 को निरीक्षण किया गया और होटल के लिए विरासत (बेसिक) की सिफारिश की गई। सीजीसी को जवाबी हलफनामा दाखिल कर अवमानना का मामला खारिज करने का निर्देश दिया गया है
48	6141/2021	केरल उच्च न्यायालय	श्री शिबू प्रभाकरन, मेसर्स लुंबिनी सुप्रीम, त्रिशूर बनाम क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण) और अन्य	मामला लंबित केंद्र सरकार के काउंसलर को निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण किया गया है और होटल को 3 स्टार के तहत वर्गीकृत किया गया है।
49	20344/2020	केरल उच्च न्यायालय	श्री के.टी.जोसेफ मेसर्स बीच होटल (बीच हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड) बनाम क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण) और अन्य	मामला लंबित सीजीसी को निर्देश दिए गए हैं कि 30.04.2021 से पहले निरीक्षण पूरा कर न्यायालय को सूचित करें।

50	20208 /2021	केरल उच्च न्यायालय	श्री सुनोज कुरियन, मेसर्स पार्क रेजीडेंसी, रामनट्टुकरा, कोझीकोड बनाम क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण) और अन्य	मामला लंबित केंद्र सरकार के काउंसलर(सीजीसी) को निर्देश दिए गए हैं।
51	11493/2021	केरल उच्च न्यायालय	मेसर्स जनता टूरिस्ट होम, मुवत्तुपुझा, एर्नाकुलम बनाम क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण) और अन्य	केंद्र सरकार के काउंसलर(सीजीसी) को निर्देश दिए गए हैं। मामला लंबित
52	20003/2021	केरल उच्च न्यायालय	मेसर्स केजीए एलीट कॉन्टिनेंटल होटल प्राइवेट लिमिटेड, तिरुवल्ला बनाम क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण) और अन्य	मामला लंबित केंद्र सरकार के काउंसलर(सीजीसी) को निर्देश दिया गया है।
53	20069/2021	केरल उच्च न्यायालय	मेसर्स श्रीवलसम रेजीडेंसी, कलाडी, एर्नाकुलम बनाम क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण) और अन्य	मामला लंबित केंद्र सरकार के काउंसलर(सीजीसी) को निर्देश दिया गया है।
54	9108/2021	केरल उच्च न्यायालय	श्री अय्यप्पन अशोकन (होटल सिक्सर) बनाम श्री के.पी इंद्रबलन (होटल इंद्रप्रस्थ) और श्री राजेंद्रन नायर	मामला लंबित
55	23952/2021	केरल उच्च न्यायालय	श्री अर्जुन भारतन बनाम राज्य पर्यटन, पर्यटन मंत्रालय, क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण) और अन्य	मामला लंबित प्रतिवादी 1 से हलफनामा मांगा है।
56	20633/2021	केरल उच्च न्यायालय	मैसर्स होटल वेट्टीकट्टू प्लाजा, कोट्टायम बनाम उत्पाद शुल्क विभाग (केरल सरकार) और	अंतरिम आदेश प्राप्त हुआ। केंद्र सरकार के काउंसलर(सीजीसी) को दिनांक 25. 11.2021 के मेल द्वारा निर्देश दिया गया है।

			पर्यटन मंत्रालय, क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण) और अन्य	
57	1463/2022	केरल उच्च न्यायालय	श्री डॉ. जेवियर मैथ्यू मैसर्स ग्रांड रेजीडेंसी, त्रिवेंद्रम बनाम पर्यटन मंत्रालय, क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण) और अन्य	मामला लंबित सीजीसी को दिनांक 19.01.2022 के ईमेल द्वारा निर्देश दिया गया है
58.	रिट याचिका सीटी संख्या 45/2010 ओए संख्या 2254 भारत संघ और अन्य –बनाम– राजश्री अग्रवाल	उच्च न्यायालय, कोलकाता	श्रीमती राजश्री अग्रवाल, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	मामला पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की पदोन्नति के तरीकों से संबंधित है। (आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई)
59.	रिट याचिका संख्या 13490 (डब्ल्यू)–2015 पिंटू करार–बनाम– पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य	उच्च न्यायालय, कोलकाता	श्री पिंटू करार, पुत्र, पीयूष करार, ग्रामः झिकिरा, पीओः झिकिरा, थानाः जॉयपुर, जिलाः हावड़ा, पिन–711401	मंदारमणि, पुरबा मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल के समुद्र तट में एक पर्यटक की मौत के संबंध में जनहित याचिका (मुख्य पार्टी– पश्चिम बंगाल सरकार)
60.	रिट याचिका संख्या 261/14 दिनांक 02.01.2015 श्री कृष्ण कुमार सिंह – बनाम– भारत संघ और अन्य	प्रथम उप–न्यायाधीश न्यायालय, छपरा (सारण), बिहार	श्री कृष्ण कुमार सिंह	केंद्रीय वित्तीय सहायता परियोजना (भूमि) से संबंधित
61.	स्वीकृति हेतु आदेश संख्या 137/2020 – सुकोमल सरकार–बनाम – भारत संघ और अन्य	केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), कलकत्ता बेंच	श्री सुकोमल सरकार	तीसरी एसीपी के लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिनिधित्व
62.	स्वीकृति हेतु आदेश संख्या 150/2021– तारापद दास–बनाम – भारत संघ और अन्य	केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), कलकत्ता बेंच	श्री तारापद दास	द्वितीय एसीपी के लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिनिधित्व

अध्याय–18

विभागीय लेखांकन संगठन

अध्याय
18

विभागीय लेखांकन संगठन

18.1 सचिव (पर्यटन) पर्यटन मंत्रालय के मुख्य लेखांकन प्राधिकारी हैं। वह अपने कार्यों का निवर्हन मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (जेएस एंड एफए) और मुख्य वित्तीय नियंत्रक की सहायता से एवं उनके माध्यम से करते हैं।

18.2 मुख्य वित्तीय नियंत्रक लेखांकन संगठन के प्रमुख हैं और प्रधान लेखा कार्यालय/वेतन एवं लेखा कार्यालय (पर्यटन) के माध्यम से मंत्रालय में पारदर्शी और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं।

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए पर्यटन मंत्रालय का बजटीय प्रावधान इस प्रकार है :

राजस्व खंड	2026.77 करोड़ रुपए
पूंजी खंड	0.00 करोड़ रुपए
कुल	2026.77 करोड़ रुपए

पर्यटन मंत्रालय के विभागीकृत लेखांकन संगठन में प्रधान लेखा कार्यालय, एक वेतन एवं लेखा कार्यालय और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ शामिल हैं।

18.2 (1) प्रधान लेखा कार्यालय

नागर विमानन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय का प्रधान लेखा कार्यालय एक ही है जो कि निम्नलिखित कार्य करता है : महालेखा नियंत्रक द्वारा विहित रीति से और सिविल लेखा मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार पर्यटन मंत्रालय के लेखा का समेकन करना।

मासिक और वार्षिक लेखा तैयार करना, महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय को केंद्रीय लेनदेन का विवरण और वित्तीय लेखाओं के लिए सामग्रियां प्रस्तुत करना।

विभिन्न एजेंट मंत्रालयों को अन्तर विभागीय प्राधिकार जारी करना।

वेतन एवं लेखा कार्यालय को तकनीकी परामर्श प्रदान करना और लेखांकन के मामलों में सम्पूर्ण समन्वय एवं नियंत्रण रखने हेतु महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के साथ आवश्यक सम्पर्क रखना।

18.2 (2) वेतन एवं लेखा कार्यालय

वेतन एवं लेखा कार्यालय निधियां जारी करने, व्यय नियंत्रण और प्राप्तियां एवं भुगतान के अन्य कार्यों द्वारा मंत्रालय की वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता को निम्नानुसार पूरा करता है :

(i) मंत्रालय के गैर चैक आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों की पूर्व जांच।

(ii) ''प्रत्यय पत्र'' जारी करके चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निधियां प्राधिकृत करना। 19 अंतर्देशीय सीडीडीओ और 8 समुद्रपार सीडीडीओ हैं जो विभिन्न देशों में स्थित हैं।

(iii) अंतर्देशीय और साथ ही साथ विदेश स्थिणत कार्यालयों द्वारा भुगतान किए गए सभी वाउचर/भुगतान की पश्च जांच।

(iv) निष्पादन और कार्यान्वयन एजेंसियों सहित सांविधिक निकायों और राज्य स्तरीय एजेंसियों को ऋण/सहायता अनुदान का भुगतान जारी करना।

(v) मासिक व्यय, प्राप्तियों और भुगतान प्राधिकारों के आधार पर और सीडीडीओ के समाधानकृत लेखों को विधिवत शामिल करके मासिक लेखा का संकलन।

(vi) सामान्य भविष्य निधि खातों का रख–रखाव और नई पेंशन योजना के अंशदान को ट्रस्टी के बैंक में भेजना, अंतर्गामी और बहिर्गामी दावों का निपटान, सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को पेंशन, संराशीकरण,

उपदान, छुट्टी नकदीकरण इत्यादि अधिकृत करना/भुगतान करना।

18.2 (3) आंतरिक लेखा परीक्षा

नागर विमानन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय का आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठक एक ही है जिसमें चार सहायक लेखा अधिकारी और चार लेखाकार/वरिष्ठ लेखाकार के स्वीकृत पद हैं, जिसका नेतृत्वी मुख्या वित्त नियंत्रक द्वारा किया जाता है।

आंतरिक लेखा परीक्षा संगठन का कार्य मुख्य रूप से यह जांच करना होता है कि व्यय नियंत्रण तंत्र बना हुआ है और उन प्राधिकारियों, जिन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान की गई हैं, द्वारा वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते समय वित्तीय स्वात्व नियमावली का पालन किया जा रहा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा विशिष्ट कार्यालय/एजेंसी द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजना की आवधिकता, बजट आवंटन और प्रकृति एवं दायरा के आधार पर वार्षिक लेखा परीक्षा कैलेंडर बनाता है।

वित्तीय अभिलेख में गलत कथन को दूर करने के लिए मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के मूल अभिलेखों की नमूना जांच का प्रयोग करके आंतरिक लेखा परीक्षा संचालित की जाती है, ताकि उन्हें विश्वसनीय बनाया जा सके। इस प्रकार आंतरिक लेखा परीक्षा समग्र लेखांकन प्रबंध रूपरेखा को सुदृढ़ करती है।

फ़िलहाल, आंतरिक लेखा परीक्षा की अवधारणा और अभिविन्यास ज्यादातर जोखिम आधारित लेखा परीक्षा रही है ताकि बेहतर सरकारी व्यय, लोक जवाबदेही और प्रबंध में योगदान करने के लिए योजना की किफायत, दक्षता और कारगरता का आकलन किया जा सके। तदनुसार, निदेशों और अपेक्षाओं के अनुसार मुख्यालय, क्षेत्रीय और विदेश स्थित कार्यालयों के अभिलेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा की जाती है।

पर्यटन मंत्रालय में कुल मिलाकर 57 लेखा परीक्षा योग्य यूनिटें हैं; जिनमें से 49 यूनिटें भारत में तथा 8 यूनिटें विदेश में स्थित हैं। 27 स्वायत्त निकाय और 30 सीडीडीओ/एनसीडीडीओ (05 आरडीआईटी, 15 आईटी अंतर्देशीय, 08 आईटी विदेश में, 01 पीएओ (पर्यटन) और 01 पर्यटन मंत्रालय (मुख्यालय)।

वर्ष के दौरान आईएचएम शिलांग, आईएचएम बैंगलोर, भारत पर्यटन कार्यालय, कोच्चि की आंतरिक लेखा परीक्षा और गोवा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्कीम लेखा परीक्षा की गयी।

आंतरिक लेखा परीक्षा के लंबित पैरा की स्थिति निम्नवत है :

यूनिटों की संख्या	आज की तारीख तक लंबित पैरा
49	858

18.3 ई–गवर्नेंस के लिए पहलें :

वित्त मंत्रालय और महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार पर्यटन मंत्रालय के लेखांकन संगठन ने कार्यान्वयन एजेंसी के स्तर तक लेखांकन के कार्य में समग्र सुधार और पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के पूर्ण रोल आउट द्वारा भुगतान वितरण प्लेटफार्म का पूर्ण संचालन कर दिया है।

18.3 (1) सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली (पूर्व में सीपीएसएमएस)

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों पर नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन सूचना और निर्णय सहायता प्रणाली की स्थापना करने के उद्देश्न से कार्य करती है।

निधि के अंतरण हेतु केनरी उदकृत और पूर्णतः क्रियाशील आईटी एप्लीकेशन होने के कारण पीएफएमएस समय से बजट जारी होने में सहायता प्रदान करने और अंतिम स्तर के लाभार्थियों तक निधियों के उपयोग की पूर्ण निगरानी करने की स्थिति में है।

वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसार पीएफएमएस को पूरी तरह क्रियान्वित कर दिया गया है और पर्यटन मंत्रालय में यह प्रणाली पूरी तरह प्रचालन में है और इसके परिणामस्वरूप अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थाओं/स्वास्थ्य निकायों इत्यादि सहित सभी संबंधितों को पीएफएमएस के माध्यम से निधि जारी की जा रहीं हैं। सभी हितधारकों द्वारा पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल के क्रियान्वयन की कार्रवाई भी शुरू की गयी है।

❖❖❖

अध्याय 19

लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

अध्याय
19

लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

लेखा परीक्षा पैरा निगरानी प्रणाली (ई–एपीएमएस) की महालेखा नियंत्रक रिपोर्ट के अनुसार, 31 दिसंबर, 2021 तक की स्थिति के अनुसार, पर्यटन मंत्रालय के विरुद्ध 5 (पांच) कैग पैरा लंबित हैं।

कोई भी लोक लेखा समिति (पीएसी) पैरा लंबित नहीं है।

❖❖❖

नीर महल–रुद्रसागर झील–मेलाघर, त्रिपुरा

अध्याय 20

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

अध्याय
20

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

20.1 पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) इस मंत्रालय में कार्यान्वित किया जा चुका है। इस अधिनियम की धारा 4 (I) (ख) के प्रावधान के अनुसार, मंत्रालय ने अपने संगठनात्मक ढांचे, अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों और कर्तव्यों, अभिलेखों और दस्तावेजों आदि के साथ–साथ मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में सूचना और दिशानिर्देशों मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.tourism.gov.in में आरटीआई अधिनियम नामक एक अलग खंड में उपलब्धध कराई गई है। इसे हाइपरलिंक भी किया गया है।

20.2 इस मंत्रालय के कार्यकलापों की सूचना उपर्युक्त वेबसाइट पर आम जनता के लिए उपलब्ध हैं तथा इन्हें पुस्तकालय में भी रखा गया है।

20.3 जो सूचना आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, उसे भारत के नागरिकों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में यथा निर्धारित अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है।

20.4 आरटीआई के तहत प्रकटन के लिए मंत्रालय द्वारा 29 विषयों की पहचान की गई है। संबंधित चिन्हित विषयों के लिए मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी नामित किए गए हैं।

20.5 मंत्रालय द्वारा केंद्रीय सूचना आयुक्त, नई दिल्ली को प्रस्तुत की गयी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार 01 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक की अवधि के दौरान कुल 477 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए, जिन पर समयबद्ध तरीके से उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

❖❖❖

भोपाल

अध्याय 21

राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग

अध्याय
21

राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग

राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग

संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों पर कार्रवाई करने के लिए पर्यटन मंत्रालय का हिन्दी अनुभाग राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव कार्रवाई करता है। इसके साथ–साथ हिन्दी अनुभाग मंत्रालय से संबंधित संपूर्ण अनुवाद कार्य भी देखता है।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे उपाय :

1. धारा 3 (3) का अनुपालन

राजभाषा विभाग के निदेशों के अनुसार मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) एवं राजभाषा नियमावली के नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। अंग्रजी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाता है। मंत्रालय का हिंदी में पत्राचार धीरे धीरे बढ़ रहा है और वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी फाइलों पर हिंदी में अधिकाधिक नोटिंग कर रहे हैं।

2. समितियां

i. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति** : मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) का गठन किया गया है और इसकी तिमाही बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में मंत्रालय में हिन्दी में किए जा गए कार्य की अनुभागवार समीक्षा की जाती है। कोविड–19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओएलआईसी की 4 बैठकों का आयोजन किया गया।

ii. **संसदीय राजभाषा समिति** : वर्ष के दौरान मंत्रालय के अधीनस्था कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग की जांच करने के लिए संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति ने नियंत्रणाधीन कार्यालयों का निरीक्षण किया। मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों के निरीक्षण बैठकों के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में आर्थिक सलाहकर तथा हिन्दी अनुभाग के अधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण बैठकों में समिति को दिए गए आश्वासनों की समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पूर्ति की जाती है।

3. हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपाय :

i. **प्रोत्साहन योजना और नकद पुरस्कार** : हिंदी में सरकारी कामकाज करने के लिए राजभाषा विभाग की वार्षिक प्रोत्साहन योजना वर्ष 2021–22 के लिए मंत्रालय में लागू है।

ii. **हिन्दी दिवस और हिन्दी पखवाड़ा** : पर्यटन मंत्रालय में 14 से 28 सितंबर 2021 को हिंदी माह का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर, मंत्रालय की वेबसाइट पर माननीय गृह मंत्री का संदेश और माननीय पर्यटन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अपील जारी की गई और मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में ई–आफिस के नोटिस बोर्ड पर हिंदी पर सचिव (पर्यटन) का संदेश जारी किया गया। हिंदी

बांकुरा घोड़े

पखवाड़े के दौरान चित्र अभिव्यक्ति तथा निबंध आदि प्रतियोगिताओं का ऑनलाइन आयोजन किया गया। अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने इनमें उत्साह से भाग लिया और पुरस्कार जीते।

iii. **हिंदी कार्यशालाएं** : दैनिक कामकाज हिन्दी में करने के प्रति झिझक को दूर करने तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

iv. हिंदी में सरकारी कामकाज करने में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मदद करने के लिए ईमेल द्वारा उच्च अधिकारियों को दैनिक कार्य में प्रयुक्त वाक्यांश भेजे गए ताकि वे ई–आफिस में हिंदी में काम कर सकें। इसके अलावा, उन वाक्यांशों को ई–आफिस के नोटिस बोर्ड पर भी अपलोड किया गया है ताकि मंत्रालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उनका प्रयोग कर सकें।

v. **मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा कार्यालयों का निरीक्षण** : राजभाषा विभाग द्वारा मंत्रालय/विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के राजभाषा संबंधी निरीक्षण हेतु 25 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2021–22 में मंत्रालय के अधीनस्थ 9 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

4. विशिष्ट कार्य :

i. **राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार योजनाः** इस मंत्रालय में वर्ष 1989 से "राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार योजना" के नाम से एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन पर मूलतः हिन्दी में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों को नकद पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2019–20 और 2020–21 के लिए योजना संबंधी प्रक्रिया जारी है।

ii. **गृह पत्रिका ''अतुल्य भारत'' का प्रकाशनः** हिन्दी सलाहकार समिति की 16 सितंबर, 2015 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, मंत्रालय द्वारा 'अतुल्य भारत' नामक त्रैमासिक गृह पत्रिका का तिमाही आधार पर नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है। अब तक 22 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।

❖❖❖

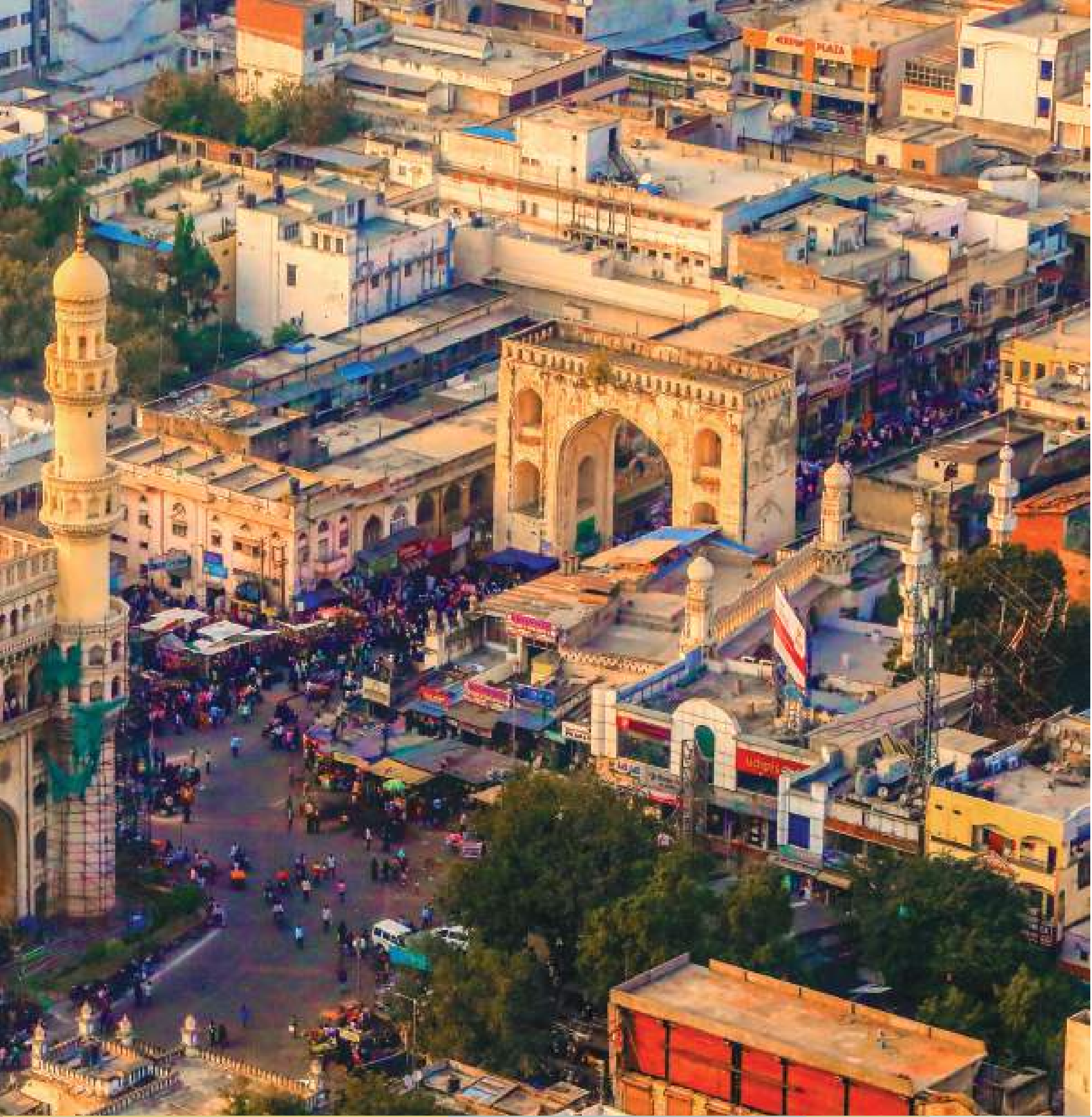

अध्याय 22

स्वच्छ भारत मिशन

अध्याय
22

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छ भारत मिशन

''स्वच्छता'' को पर्यटन के एक स्तंभ के रूप में माना जाता है क्योंकि लंबी अवधि में स्वच्छ पर्यटन स्थल अधिक टिकाऊ होते हैं जो पर्यटन तथा निवेश आकर्षित करते हैं। इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है तथा स्थानीय निवासियों में गर्व की भावना और पर्यटकों में संतुष्टि की भावना पैदा होती है। स्वच्छता और साफ–सफाई के महत्व को ध्यान में रखते हुए, पर्यटन मंत्रालय की स्वच्छ भारत योजना के लिए पीएमयू (एसबीएम) द्वारा निम्न बडी. गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है मंत्रालय के अधिनस्थ कार्यालय और अकादमिक संस्थान निम्न कार्यक्रमों में प्रतिभागी है।

22.1 स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)

एसएपी के तहत तीन तरह के जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है अर्थात पर्यटक जागरुकता गतिविधि, विधार्थी जागरुकता गतिविधि और पर्यटन हितधारकों के लिए जागरुकता गतिविधि। वर्ष 2021–22 के दौरान 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 55 स्थलों/स्थानों पर वेबिनार कार्यक्रम, ऑडियो–विजुअल आदि के माध्यम से आयोजित किए गए थे।

22.2 स्वच्छता पखवाड़ा (एसपी)

प्रति वर्ष सितबंर माह में स्वच्छता के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए देश में स्वच्छता पखवाड़ा गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। कोविड की अवधि के दौरान साफ–सफाई और स्वच्छता का महत्व, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कदम, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन आदि जैसे विभिन्न विषयों पर देश भर में कुल 354 गतिविधियों/वेबिनारों में देशभर में 2021 में कुल संख्या 23,947 में प्रतिभागी उपस्थित हुए। सामान्यतः व्यक्तिगत रुप से अलग कोविड माहमारी अवधि के दौरान उपरोक्त गतिविधियां वर्चुवल मोड पर शुरु की गई है।

22.3 स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस)

सितबंर माह में जागरुकता पैदा करने के लिए "स्वच्छता ही सेवा" गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

22.4 स्वच्छता पुरस्कार

पर्यटन स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों को पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से, मंत्रालय द्वारा ''स्वच्छ पर्यटन स्थान'' और पर्यटन स्थल का सर्वश्रेष्ठ सिविक प्रबंधन पुरस्कार" प्रदान किया जाता हैं।

22.5 पर्यटन मंत्रालय देशभर में पर्यटकों, छात्रों और पर्यटन हितधारकों के बीच स्वच्छता के लिए जागरुकता गतिविधियों का आयोजन करता है। चालु माहमारी के दौरान पीएमयू (एसबीएम) ने स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) और स्वच्छता पखवाडा के तहत देशभर में विभिन्न स्थलों पर यथा स्थिति के आधार पर हाईब्रिड मोड पर विभिन्न जागरुकता अभियानों का आयोजन किया।

वातावरण स्वच्छ और साफ बनाए रखने के लिए ताकि महामारी के बारे में पर्यटकों, छात्रों और पर्यटन हितधारकों के बीच जागरुकता पैदा की जा सकें, ऑनलाईन स्वच्छता जागरुकता गतिविधियों के दौरान स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्थानीय राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन कोविड के यथानियमानुसार किया गया था।

पर्यटन मंत्रालय के अधिकारीगण स्वच्छता प्रतिज्ञा लेते हुए।

केंद्रीय आईएचएम पूर्व, पश्चिम और उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र के छात्रों के साथ स्वच्छता जागरुकता पर वेबिनार।

स्वच्छता पखवाडा के बैनर को चंद्रलोक भवन, पर्यटन मंत्रालय में प्रदर्शित किया गया।

पर्यटन मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाडा के दौरान मंत्रालय के अंतर्गत सभी शैक्षणिक संस्थानों के साथ वेबिनार का आयोजन किया।

❖❖❖

अनुबंध

कुर्ग वन्यजीव एशियाई कोयल

अनुबंध I

भारत में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय

क्षेत्रीय कार्यालय

1. चेन्नई
2. गुवाहाटी
3. कोलकाता
4. मुंबई
5. नई दिल्ली

अन्य कार्यालय

1. आगरा
2. औरंगाबाद
3. बंगलुरू
4. भुवनेश्वर
5. गोवा
6. हैदराबाद
7. इंफाल
8. इंदौर
9. जयपुर
10. कोच्चि
11. नाहरलागुन (इटानगर)
12. पटना
13. पोर्ट ब्लेयर
14. शिलांग
15. वाराणसी

सारनाथ के पुरातत्व बौद्ध अवशेष

अनुबंध II

विदेश में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय

क्र. सं.	विदेशों में स्थित भारत पर्यटन कार्यालय	संशोधित क्षेत्राधिकार
1.	बीजिंग	चीन, मंगोलिया, हांगकांग और मकाऊ
2.	दुबई	मॉरीशस और मेडागास्कर समेत संपूर्ण अफ्रीका तथा संपूर्ण मध्य पूर्व, तुर्की और साइप्रस
3.	फ्रैंकफर्ट	आस्ट्रिया, फ्रांस, स्वीटजरलैंड, जर्मनी, इटली, माल्टान, पूर्तगाल, स्पेनन, इजरायल, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीलडेन
4.	लंदन	बेल्जियम, आयरलैंड, लक्जैमबर्ग, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम
5.	पेरिस/मॉस्को	सीआईएस देश (अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, मोलडोवा, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान), जॉर्जिया, यूक्रेन, बाल्टिक देश (एस्तोनिया, लिथुआनिया, लातविया), पूर्वी यूरोप (अल्बाोनिया, बोस्निया, हरजेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, हंगरी, कोसोवो, मेसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, पोलैंड, रोमानिया, सर्बिया, स्लोीवाक गणराज्य और स्लोवेनिया) और ग्रीस
6.	न्यूयॉर्क	संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, कैरिबियन द्वीपसमूह, मध्य और दक्षिण अमेरिका
7.	सिंगापुर	सिंगापुर तथा अन्य आसियान देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ़िजी तथा प्रशांत क्षेत्र के अन्य द्वीप राष्ट्र
8.	टोकियो	जापान, उत्तर और दक्षिण कोरिया और ताइवान

घरेलू भारत पर्यटन कार्यालय

क्र. सं.	घरेलू भारत पर्यटन कार्यालय	क्षेत्राधिकार
1.	दिल्ली	अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल
2.	कोलकाता	भूटान और बांग्लादेश
3.	चेन्नई	श्रीलंका और मालदीव

अनुबंध III

मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण

सचिव

श्री अरविंद सिंह, सचिव, भारत सरकार

विशेष/अपर सचिव स्तर के अधिकारी

श्री जी के वी राव, महानिदेशक (पर्यटन)

श्री राकेश कुमार वर्मा, अपर सचिव (पर्यटन)

संयुक्त सचिव और समकक्ष

श्री चेतन प्रकाश जैन, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार

सुश्री रुपिन्द्र बरार, अपर महानिदेशक (पर्यटन)

सुश्री अनीता बघेल, अपर महानिदेशक (एमआर)

श्री ज्ञान भूषण, आर्थिक सलाहकार

अनुबंध IV

स्वदेश दर्शन योजना के तहत जारी की गई राशि का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सर्किट का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत/संशोधित की गई राशि	जारी की गईराशि
वर्ष 2014–15					
1	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर परिपथ	भालुकपोंग – बोम्डिला और तवांग में परिपथ का विकास।	49.77	39.81
2	आंध्र प्रदेश	तटवर्ती परिपथ	काकीनाडा में परिपथ का विकास – होप आइलैंड – कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य – पसारलापुडी – अडुरू – दक्षिणी यनम – कोटिपल्लीजुना	67.84	67.84
			2014–15 का कुल	**117.61**	107.65
वर्ष 2015–16					
3	मणिपुर	पूर्वोत्तर परिपथ	इंफाल – कोंगजोम में परिपथ का विकास	72.23	61.32
4	सिक्किम	पूर्वोत्तर परिपथ	रंगपो (प्रवेश) – रोराथांग – एरिटार – फादमचेन – नथांग – शेराथांग – सोंगमो – गंगटोक – फोडोंग – मंगन – लाचुंग – यमथांग – लाचेन – थांगु – गुरूडोंगमेर – मंगन – टमिल – तुमिन – लिंगी – सिंगटम (निकास) को जोड़ने वाले परिपथ का विकास।	98.05	92.77
5	उत्तराखंड	इको परिपथ	टिहरी झील के चारों ओर टिहरी – चंपा – सरेन में परिपथ का विकास	69.17	65.71
6	राजस्थान	रेगिस्तान परिपथ	शाकंभरी माता मंदिर, सांभर नमक परिसर, देवयानी कुंड, शर्मिष्ठा सरोवर, नालियासर और अन्य स्थलों का विकास।	50.01	51.17
7	नागालैंड	जनजातीय परिपथ	पेरेन – कोहिमा – वोखा में परिपथ का विकास	97.36	87.62
8	मध्य प्रदेश	वन्यजीव परिपथ	पन्नाश – मुकुंदपुर – संजय – डुबरी – बांधवगढ़ – कान्हाख – मुक्की – पेंच में परिपथ का विकास।	92.22	81.15

9	आंध्र प्रदेश	तटवर्ती परिपथ	नेल्लोर, पुलिकट झील, उब्बलंबादुगु जल प्रपात, नेलपट्टू पक्षी अभयारण्य, मिपाडू बीच, रामतीर्थम का विकास	49.55	47.76
10	तेलंगाना	इको परिपथ	महबूबनगर जिला (सोमासिला, सिंगोटम, कदलैवनम, अक्कानमहादेवी, इगलनपंटा, फरहाबाद, उमा महेश्वरम, मल्लेनलातीर्थम) में परिपथ का विकास	91.62	87.04
11	केरल	इको परिपथ	पथनमथीटा – गावी – वागामोन – थेक्काडी का विकास	76.55	61.24
12	मिजोरम	पूर्वोत्तर परिपथ	थेंजवाल और दक्षिण जोटे, जिला सेरछिप और रईक का समेकित विकास	92.26	87.65
13	असम	वन्यजीव परिपथ	के रूप में मानस – प्रोबीतोरा – नामेरी – काजीरंगा – डिब्रू – सैखोवा का विकास।	94.68	86.51
14	पुद्दुचेरी	तटवर्ती परिपथ	दुबरायापेट, अरिकामेडू चाइना वीरमपट्टिनम, चुनंबर, नल्लापवाडू, मानापेट, कालापेट, फ्रेंच क्वार्टर, तमिल क्वार्टर और यनम का विकास	58.44	61.82
15	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर परिपथ	जिरिगांव, नेफ्रा, सेपा, पप्पू, पासा, पक्के वैली, लुमडुंग, लाफांग, सोहंग झील, तारोयर, न्यू सागले, जीरो, योमचा का समेकित विकास	96.72	84.24
16	त्रिपुरा	पूर्वोत्तर परिपथ	पूर्वोत्तर परिपथ का विकास : अगरतला – सिपाहिजाला – मेलाघर – उदयपुर – अमरपुर – तीर्थमुख – मंदिरघाट – दंबूर – नारीकेलकुंजा – गंडाचारा – अंबासा।	82.85	68.58
17	पश्चिम बंगाल	तटवर्ती परिपथ	बीच परिपथ का विकास : उदयपुर – दीघा – शंकरपुर – ताजपुर – मंदारमणि – फ्रासेरगंज – बख्ख लई – हेनरी द्वीप	85.39	68.31
18	छत्तीसगढ़	जनजातीय परिपथ	जशपुर – कुंकुरी – मैनपट – अंबिकापुर– महेशपुर – रतनपुर – कुरडर – सरोदादादर – गंगरेल – कोंडागांव – नथिया नवगांव – जगदलपुर – चित्रकूट – तीर्थगढ़ का विकास	96.10	84.81
19	महाराष्ट्र	तटवर्ती परिपथ	सिंधुदुर्ग कोस्टल परिपथ (शिरोदा बीच, सगरेश्वरर, तरकर्ली, विजयदुर्ग (बीच और क्रीक), देवगड (फोर्ट और बीच), मितभव, टोंडावली, मोचेहमद और निवाटी फोर्ट का विकास	19.06	16.43
			2015–16 का कुल	**1322.26**	1194.13

वर्ष 2016–17					
20	गोवा	तटवर्ती परिपथ	तटवर्ती परिपथ का विकास (सिंक्वेवरिम – बागा, अंजुना – वागाटोर, मोरजिम – केरी, एवं अगौडा जेल)।	97.65	92.76
21	जम्मू एवं कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू–श्रीनगर–पहलगांव–भगवती नगर–अंनतनाग– सलमाबाद– ऊरी– कारगील–लेह का समेकित विकास	77.33	60.47
22	तेलंगाना	जनजातीय परिपथ	मुलुगु – लक्नावरम – मेदावरम – तडवई – दमारावी – मल्लौर – बोगथा के झरनों का समेकित विकास।	79.87	75.88
23	मेघालय	पूर्वोत्तर परिपथ	यूमियम (लेक व्यू), यू लम – सोहपेटबनेंग – मवडियांगडियांग – ऑर्चिड लेक रिजॉर्ट का विकास।	99.13	94.14
24	मध्य प्रदेश	बौद्ध परिपथ	सांची – सतना – रीवा मंदासौर – धार का विकास	74.02	69.08
25	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	सबरीमाला – एरुमेली – पंपा – सन्नीधानम का विकास	99.99	20.00
26	मणिपुर	आध्यात्मिक परिपथ	श्री गोविंदजी मंदिर, श्री बिजोय गोविंदजी मंदिर – श्री गोपीनाथ मंदिर – श्री बुंगशिबोदोन मंदिर – श्री कैना मंदिर का विकास।	53.80	43.04
27	गुजरात	विरासत परिपथ	अहमदाबाद – राजकोट – पोरबंदर – बारडोली – डांडी का विकास।	59.17	56.21
28	हरियाणा	कृष्ण परिपथ	कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर, संहितासरोवर, नरकटारी, ज्योतिसर में पर्यटन अवसंरचना का विकास।	97.35	77.88
29	राजस्थान	कृष्णथ परिपथ	गोविंद देव जी मंदिर (जयपुर), खाटूश्याम जी मंदिर (सीकर) और नाथद्वारा (राजसमंद) का समेकित विकास।	75.80	60.64
30	सिक्किम	पूर्वोत्तर परिपथ	लिंगमू – लिंगी – माका – टेमी – बरमोइक नामची – ओखरे – सोम्बारिया – दारमदीन – मेली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास	95.32	76.25
31	मध्य प्रदेश	विरासत परिपथ	(ग्वालियर – ओरछा – खजुराहो – चंदेरी – भीमाबेटका – मांडु) का विकास	89.82	85.33

32	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	श्री पद्मनाभ मंदिर, अरनमुला – सबरीमाला का विकास	84.51	73.77
33	बिहार	तीर्थंकर परिपथ	वैशाली – आरा – मसाद – पटना – राजगीर – पावापुरी – चंपापुरी का विकास	37.19	26.19
34	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	कांवड़िया मार्ग का समेकित विकास : सुल्तानगंज – मोजमा – बांका	44.76	42.52
35	ओडिशा	तटवर्ती परिपथ	गोपालपुर, बरकुल, सतपाडा तथा टंपारा का विकास	70.82	56.65
36	नागालैंड	जनजातीय परिपथ	मोकोकचुंग – तेनसांग – मोन का विकास	98.14	88.33
37	उत्तराखंड	विरासत परिपथ	कुमायूं क्षेत्र – कतारमल – जोगेश्वसर – बैजनाथ – देवीधुरा का विकास	76.32	67.62
38	जम्मू एवं कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू – राजौरी – शोपिया – पुलवामा में पर्यटक सुविधाओं का समेकित विकास	84.46	67.35
39	जम्मू एवं कश्मीर	हिमालयन परिपथ	जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 2014 में बाढ़ के कारण नष्ट हो चुकी परिसंपत्तियों के बदले में परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ पर्यटक सुविधाओं का समेकित विकास।	90.43	74.70
40	जम्मू एवं कश्मीर	हिमालयन परिपथ	मंटलाई एवं सुधमहादे में पर्यटक सुविधाओं का समेकित विकास	90.85	75.11
41	जम्मू एवं कश्मीर	हिमालयन परिपथ	अनंतनाग – किश्तरवार – पहलगाम – दकसुम – रंजीत सागर बांध में पर्यटक सुविधाओं का समेकित विकास	87.44	69.95
42	जम्मू एवं कश्मीर	हिमालयन परिपथ	गुलमर्ग – बारामुला – कुपवाड़ा – लेह में पर्यटन सुविधाओं का समेकित विकास	91.84	48.46
43	उत्तर प्रदेश	बौद्ध परिपथ	श्रावस्ती, कुशीनगर, और कपिलवस्तु का विकास	99.97	72.56
44	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ	चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास	69.45	64.09
45	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	तटवर्ती परिपथ	लांग आईलैंड – रोज स्मिथ आईलैंड – नील आईलैंड – हैवलॉक आईलैंड –बरटांग आईलैंड – पोर्टब्लेईयर का विकास	27.57	13.46
46	तमिलनाडु	तटवर्ती परिपथ	चेन्नतई – ममल्लामपुरम – रामेश्वरम – कुलसेकरनपट्टिनम – कन्याकुमारी का विकास)	73.13	68.60

47	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	शाहजहांपुर – बस्तीम – अहर – अलीगढ़ – कासगंज – सरोसी – प्रतापगढ़ – उन्नामव – कौशांबी – मिर्जापुर – गोरखपुर – कैराना – डोमरियागंज – बागपत – बाराबंकी – आजमगढ़ का विकास।	65.61	62.33
48	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	बिजनौर – मेरठ – कानपुर – कानपुर देहात – बांदा – गाजीपुर – सलेमपुर – घोसी – बलिया – अंबेडकर नगर – अलीगढ़ – फतेहपुर – देवरिया – महोबा – सोनभद्र – चंदौली – मिशरिख – भदोही का विकास	67.51	64.14
49	उत्तर प्रदेश	विरासत परिपथ	कालिंजर फोर्ट (बांदा) – मरहर धाम (संत कबीर नगर) – चौरी चौरा शहीद स्थल (फतेहपुर) – मवाहर स्थबल (घोसी) – शहीद स्मारक (मेरठ) का विकास	33.97	26.54
50	बिहार	बौद्ध परिपथ	बोधगया में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण	98.73	93.22
51	असम	विरासत परिपथ	तेजपुर – मजूली – सिबसागर का विकास	90.98	72.78
52	हिमाचल प्रदेश	हिमालयन परिपथ	कियारीघाट, शिमला, हटकोटी, मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला, बीर, पालमपुर, चंबापुर में हिमालयन परिपथ का एकीकृत विकास	80.69	64.55
53	मिजोरम	इको परिपथ	आइजवाल – रापुईछिप – खावहपहवप – लेंगपुई – दर्तलांग – छतलांग – साकावरमुइतुइतलांग – मुथी – बेरातलवंग – तुरियल एयरफील्डप – हुमुईफांग में इको एडवेंचर परिपथ का विकास	66.37	49.53
54	राजस्थान	आध्यात्मिक परिपथ	चुरू (सालासर बालाजी) – जयपुर (श्री समोदे बालाजी, घाटके बालाजी, बांधेके बालाजी) – अलवर (पांडुपोले हनुमानजी, भरथरी) – विराटनगर (बिजाक, जैन्नारसिया, अंबिका मंदिर) – भरतपुर (कमान क्षेत्र) – धौलपुर (मुचकुंद) – मेहंदीपुर बालाजी – चित्तौ ड़गढ (सांवलियाजी) का विकास।	93.90	68.24
55	गुजरात	विरासत परिपथ	वाडनगर – मोढेरा और पाटन का विकास	91.84	87.25
			2016–17 का कुल	**2815.73**	**2309.62**

वर्ष 2017–18					
56	बिहार	ग्रामीण परिपथ	गांधी परिपथ का विकास : भितिहवारा – चंद्रहिया – तुकौलिया	44.65	35.72
57	गोवा	तटवर्ती परिपथ	रुआ दे ओरम क्रीक – डोन पौला – कोलवा – बेनौलिम का विकास	99.35	94.38
58	गुजरात	बौद्ध परिपथ	जूनागढ़ – गीर सोमनाथ – भड़ूच – कच्छ – भावनगर – राजकोट – मेहसाना का विकास	28.67	22.28
59	पुद्दुचेरी	विरासत परिपथ	फ्रेंको – तमिल गाँव, कराईकल, माहे और यानम का विकास	54.91	43.93
60	पुद्दुचेरी	आध्यात्मिक परिपथ	करैकल, यनम एवं पुड्डूचेरी का विकास	34.96	30.94
61	राजस्थान	विरासत परिपथ	राजसमंद (कुंभलगढ़ किला) – जयपुर (नाहरगढ़ किला) – अलवर (बाला किला) – सवाई माधोपुर (रणथंबोर किला और खांदर किला) – झालावाड़ (गगरौन किला) – चित्तौड़गढ़ (चित्तौड़गढ किला) जैसलमेर (जैसलमेर किला) – हनुमानगढ़ (कालीबंगन, भाटनेर किला और गोगामेडी) – जालौर (जालौर किला) – उदयपुर (प्रताप गौरव केंद्र) – धौलपुर (बाघे निलोफर और पुरानी छावनी) – नागौर (मीराबाई स्मारक) का विकास	72.49	50.94
62	तेलंगाना	विरासत परिपथ	विरासत परिपथ का विकास : कुतुब शाही हेरिटेज पार्क – पैगाह मकबरा – हयात बक्शी मस्जिद – रेमंड का मकबरा	96.90	70.61
63	बिहार	आध्यात्मिक परिपथ	मंडार हिल और अंग प्रदेश का विकास	47.52	38.02
64	मध्य प्रदेश	इको परिपथ	गांधी सागर बांध – मंडलेश्वर बांध – ओंकारेश्वर बांध – इंदिरा सागर बांध – तवा बांध – बारगी बांध – भेड़ा घाट – बाणसागर बांध – केन नदी का विकास	94.61	79.70
65	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ	अयोध्या का विकास	127.21	115.46

66	आंध्र प्रदेश	बौद्ध परिपथ	बौद्ध परिपथ का विकास : स्वगदेश दर्शन योजना के बौद्ध परिपथ थीम के तहत आंध्र प्रदेश में शालीहुंडम – थोटलाकोंडा – बावीकोंडा – बोज्जालनाकोंडा – अमरावती – अनुपु का विकास।	24.14	26.17
			2017–18 का कुल	**725.41**	**608.15**
वर्ष 2018–19					
67	महाराष्ट्र	आध्यात्मिक	वाकी – अडासा – धापेवाडा – परदसिंघा – छोटा ताज बाग – तेलंखंडी – गीरड का विकास	54.01	24.00
68	––	सड़कों के किनारे सुविधाओं का विकास (उप योजना)	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से उत्तर प्रदेश और बिहार में वाराणसी – गया; लखनऊ – अयोध्याा – लखनऊ; गोरखपुर – कुशीनगर; कुशीनगर – गया – कुशीनगर में सड़कों के किनारे सुविधाओं का विकास	17.93	12.29
69	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	जेवर – दादरी – सिकंदराबाद – नोएडा – खुर्जा – बांदा का विकास	12.03	8.83
70	झारखंड	इको परिपथ	डलमा – चांडिल – गेटलसुड – बेटला राष्ट्रीय पार्क – मिरचैया – नेटरहाट का विकास	52.72	15.07
71	त्रिपुरा	पूर्वोत्तर परिपथ	सुरमा चेर्रा – उनाकोटी – जंपुई हिल्सल – गुनाबाटी – भुनानेश्ववरी – माटाबारी – नीरमहल – बोक्सासनगर – चोट्टाखोला – पिलक – अवांगचारा	65.00	10.10
72	पंजाब	विरासत परिपथ	आनंदपुर साहिब – फतेहगढ़ साहिब – चमकौर साहिब – फिरोजपुर – अमृतसर – खटकर कलां – कलानौर – पटियाला विकास	91.55	41.45
73	केरल	आध्यात्मिक परिपथ	सिवगिरि श्री नारायण गुरु आश्रम – अरुवीपुरम – कुन्नूपारा श्री सुब्रमणिया – चेंबाझनाती श्री नारायण गुरुकुलम	69.47	3.88
74	केरल	ग्रामीण परिपथ	मलनाड, मालाबार क्रूज टूरिज्मा प्रोजेक्ट का विकास	80.37	23.77

75	मेघालय	पूर्वोत्तर परिपथ	पूर्वी खासी हिल्सर (नोंगखलाव – क्रेम टिरोट – खुडोई एवं खोमांग फाल्सह – खरी नदी – मवथाद्रैशन, शिलांग), जयंतिया हिल्सग (क्रांग सुरी फाल्सद – सिरमांग – लूकसी), गारो हिल्सज (नोक्रेक रिजर्व, कट्टाबील, सिजू की गुफाएं) का विकास	84.97	45.98
76	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	गोरखनाथ मंदिर (गोरखपुर), देवीपत्तन मंदिर (बलरामपुर) और वटवाशिनी मंदिर (डुमरियागंज) का विकास	15.76	12.61
			2018–19 का कुल	**543.81**	**197.98**
			कुल योग	**55240.82**	**4417.53**

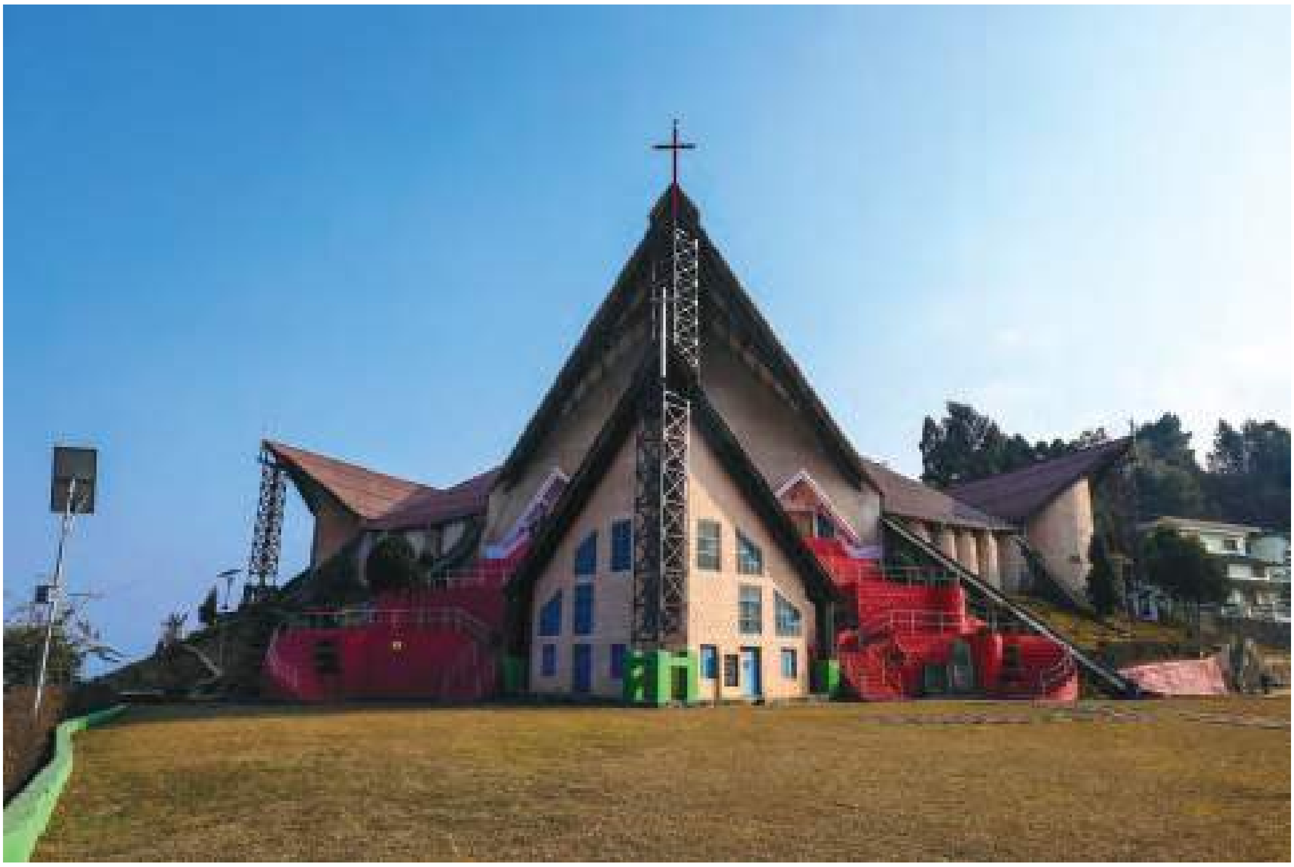

कैथेड्रल–कोहिमा, नागालैंड

जनवरी से दिसंबर 2021 के दौरान प्रसाद योजना के तहत जारी की गई धनराशि का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	जारी की गई राशि	जारी करने की दिनांक
1.	बम्लेश्वरी देवी का विकास, छत्तीसगढ़	74,670,000	29.01.2021
2.	सोमनाथ प्रोमिनेड का विकास	47,116,000	26.02.2021
3.	बम्लेश्वरी देवी का विकास, छत्तीसगढ़	36,876,000	17.03.2021
4.	सिक्किम परियोजना की प्रथम किस्त	95,005,000	26.03.3031
5.	गुवाहाटी और उसके आसपास कामाख्या मंदिर और तीर्थ स्थल का विकास	29,729,000	31.03.021
6.	गुवाहाटी और उसके आसपास कामाख्या मंदिर और तीर्थ स्थल का विकास	24,515,000	20.04.2021
7.	जोगुलम्बा देवी मंदिर, आलमपुर, तेलंगाना का विकास	51,373,000	20.04.2021
8	दूसरी किस्त का हिस्सा – नाडा साहब	62,825,000	17.06.2021
9	त्रिपुरेश्वरी देवी मंदिर की प्रथम किस्त	105,895,867	30.06.2021
10	अमरकंटक, मध्य प्रदेश का विकास	48,618,165	08.09.2021
11	परशुराम कुंड, लोहित, अरुणाचल प्रदेश का विकास	73,382,525	17.09.2021
12	नागालैंड में तीर्थस्थल सुविधा का विकास	15,682,000	8.10.2021
13	श्री सैलम, आंध्र प्रदेश का विकास	51,246,000	28.10.2021
14	मेघालय में तीर्थस्थल सुविधा का विकास	22,648,000	02.11.2021
15	देवघर, झारखंड का विकास	106,497,000	12.11.2021
16	केदारनाथ का विकास	67,174,000	13.11.2021
17	नाडा साहिब और मनशा देवी, पंचकुला, हरियाणा का विकास	85,906,000	01.12.2021
18	त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र का विकास	107,920,000	02.12.2021
19	गंगोत्री और यमुनोत्री, उत्तराखंड में तीर्थस्थल सुविधाओं का विकास	140,500,000	29.12.2021
20	गोवर्धन का विकास	90,941,000	30.12.2021
	कुल	**1,338,519,557**	

केंद्रीय एजेंसी योजना के तहत जारी राशि का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम	एजेंसी	जारी की गई राशि
	2019–20		
1	जलियांवाला बाग स्मारक' अमृतसर, पंजाब का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण (अन्य भार)	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	5.12
2	विश्व विरासत स्थल हुमायूँ का मकबरा, नई दिल्ली पर व्याख्यान केंद्र का निर्माण	आगा खाँ फाउंडेशन	0.96
	2020–21		**0**
1	राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या– 1 और 2 (2019–20) पर नदी क्रूज के आरोहण/अवरोहण के नौ (09) मुख्य बिंदुओं पर घाटों के विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता	आईडब्ल्यूएआई	7.00
2	एर्नाकुलम घाट के बर्थ और बैकअप क्षेत्र का उन्नयन्न (2016–17)	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	2.00
3	जलियांवाला बाग स्मारक' अमृतसर, पंजाब का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण (अन्य भार)	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	1.95
4	जलियांवाला बाग स्मारक' अमृतसर, पंजाब का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	1.60
5	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट वॉकवे पर अतिरिक्त पर्यटन सुविधाओं के निर्माण के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता।	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	1.39
6	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में कोचीन पोर्ट क्रूज टर्मिनल पर अवसंरचना का विकास	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	0.19
7	आईटीडीसी द्वारा बेलताल झील, दमोह, मध्य प्रदेश में पर्यटन अवसंरचना के लिए प्रस्ताव	आईटीडीसी	10.08
8	एर्नाकुलम घाट के बर्थ और बैकअप क्षेत्र का उन्नयन (2016–17)	कोच्चि पोर्ट ट्रस्ट	2.28
9	लेह, लद्दाख में साउंड एंड लाइट शो और कारगिल, लद्दाख पर्यटक सुविधा केंद्र पर वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन मल्टीमीडिया शो	आईटीडीसी	5.16
10	जेसीपी अटारी में अवसंरचना विकास के लिए परियोजना	बीएसएफ	2.04
	कुल		**39.77**

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम	एजेंसी	जारी की गई राशि
	2021—22		
1.	विलिंगडन द्वीप, कोचीन पर प्रोमेनेड/वॉकवे का विकास	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	1.06
2.	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट (एमपीटी) द्वारा मोरमुगाओ पोर्ट, गोवा में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रूज जहाजों के लिए सुविधाओं का निर्माण	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट	25.00
3.	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट वॉकवे पर अतिरिक्त पर्यटन सुविधाओं का निर्माण	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	0.93
4.	पर्यटन अवसंरचना विकास योजना के लिए केंद्रीय एजेंसियों की सहायता के तहत इंदिरा डॉक, मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उन्नयन /आधुनिकीकरण	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	18.75
	कुल		**45.74**

वर्ष 2021—22 में डी.पी.पी.एच. योजना के मेलों एवं महोत्सव के अंतर्गत जारी की गई राशि का विवरण

(लाख रुपए में)

क. सं.	राज्यों का नाम	उत्सवों के नाम	जारी की गई राशि
	2021—22		
1	मिजोरम	(i) एंथुरियम महोत्सव 4 — 5 अक्टूबर, 2021 को आयोजित किया गया और (ii) 1—2 दिसंबर, 2021 को आयोजित शीतकालीन महोत्सव।	50.00
2	पंजाब	(i) हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन — जालंधर (दिसंबर— 2021) और (ii) श्री आनंदपुर साहिब में होला—मोहला — (मार्च, 2022)	50.00
3	तेलंगाना	(i) 6 से 14 अक्टूबर, 2021 तक बहुकम्मा उत्सव और (ii) 7वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव (जनवरी माह)	50.00
4	मध्य प्रदेश	(i) जल महोत्सव — 15 दिसंबर 2021 — 15 जनवरी 2022 (ii) पचमढी उत्सव, पचमढ़ी — 25 दिसंबर — 2021 (iii) खजुराहो नृत्य महोत्सव, खजुराहो — 20 फरवरी से 26 फरवरी —2022	50.00
5	मेघालय	(i) वांगला नृत्य महोत्सव (11 नवंबर से 13 नवंबर, 2021) और (ii) नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव (11 नवंबर से 12 नवंबर 2021)	50.00

6	चंडीगढ़	(i) चंडीगढ़ कार्निवल – 26 नवंबर से 28 नवंबर 2021 और (ii) नव वर्ष समारोह – 25 दिसंबर और 26 दिसंबर, 2021 (iii) 50वां चंडीगढ़ रोज महोत्सव – 25 फरवरी से 27 फरवरी, 2022	30.00
7	नागालैंड	(i) हॉर्नबिल फेस्टिवल (01–10 दिसंबर, 2021), 20.00 लाख रु. से और (ii) अंगामी का सेक्रेनी महोत्सव 24–25 जनवरी, 2022) और 10.00 लाख रु. से	30.00
8	सिक्किम	(i) चेरी टेमी चाय और पर्यटन महोत्सव टेमी चाय बागान दक्षिण सिक्किम–12 नवंबर से 14 नवंबर, 2021, 12.50 लाख रुपये से (ii) खांगचेंदज़ोंगा विंटर कार्निवल फेस्टिवल –25 दिसंबर से 31 दिसंबर 2021, 12.50 लाख रुपये से और (iii) जोरेथांग माघे मेला –13 जनवरी से 15 जनवरी, 2022, 25.00 लाख रुपये से	50.00
9	उत्तराखंड	(i) फरवरी – मार्च, 2022 के दौरान टिहरी झील महोत्सव और (ii) 1 मार्च से 7 मार्च, 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव	50.00
10	अरुणाचल प्रदेश	(i) जनवरी से 23 जनवरी 2022 के दौरान ईस्टरली एसेन्स	
		लेडम फेस्टिवल (25.00 लाख रुपये) और (ii) 15 फरवरी से 18 फरवरी 2022 के दौरान संगीत और रोमांच का ऑरेंज फेस्टिवल, 25.00 लाख रुपये	50.00
11	असम	भोगली महोत्सव	25.00
12	तमिलनाडु	22 दिसंबर, 2021 से 20 जनवरी, 2022 तक भारतीय नृत्य महोत्सव	25.00
13	पुदुचेरी	(i) पुडुचेरी में 27वां योग महोत्सव 4–5–जनवरी, 2022 –15.00 लाख रु, (ii) यनम पीपुल्स फेस्टिवल – 6 से 8 जनवरी, 2022 – 7.00 लाख रुपये) और (iii) कराईकल में कार्निवाल महोत्सव 15–19 जनवरी, 2022 – 8.00 लाख रुपये	30.00
		कुल	**540.00**

अनुबंध–V

क. जनवरी 2021–दिसंबर 2021 के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा पूरे किए गए सर्वेक्षण/अध्ययन।

1. ''अन्य देशों की तुलना में भारत में होटल उद्योग के आवास शुल्कों पर कराधान/प्रोत्साहनों के प्रभाव का आकलन'' पर अध्ययन,

ख. पर्यटन मंत्रालय के चल रहे सर्वेक्षण/अध्ययन 2021–22

1. 'भारत में केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों के लिए आगंतुकों के आगमन पर हाल के रुझानों का विश्लेषण' पर अध्ययन।
2. "भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने में लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन की भूमिका" पर अध्ययन
3. भारतीय हिमालयी क्षेत्र की पाक विरासत पर अध्ययन
4. "भारत और कोरोनावायरस महामारी: पर्यटन में लगे परिवारों के लिए आर्थिक नुकसान और वसूली के लिए नीतियां" पर अध्ययन।

ग. 2020–21 के दौरान पर्यटन मंत्रालय के तहत होटल प्रबंधन संस्थानों, भारतीय यात्रा और पर्यटन प्रबंधन संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आदि को पर्यटन के विकास के लिए विशेषज्ञों, राज्य सरकार, उद्योग, बुद्धिजीवियों आदि से इनपुट प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोजित बैठक/ सम्मेलनों/ सेमिनारों/कार्यशालाओं/आदि के लिए स्वीकृत केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)।

1. 28–29 जनवरी 2021 के दौरान "नए सामान्य–घटनाओं में भारतीय पर्यटन उद्योग की बहाली" दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय (यूपीईएस), उत्तराखंड को सीएफए।
2. आईएचएम पूसा की वार्षिक पर्यटन अनुसंधान पत्रिका के लिए सीएफए।
3. 18, 19 और 20 मार्च 2021 के दौरान वैश्विक आतिथ्य और पर्यटन सम्मेलन आयोजित करने के लिए उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय को सीएफए।

घ. पर्यटन मंत्रालय द्वारा दी जा रही केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) 2021–22

1. 16 से 18 नवंबर, 2021 के दौरान "पूर्वोत्तर हरित शिखर सम्मेलन 2021" एनआईटी सिलचर, असम को प्रदत्त केंद्रीय वित्तीय सहायता।
2. होटल प्रबंध संस्थान, भोपाल में 7 से 8 अक्टूबर, 2021 के दौरान "जेन–नेक्स हॉस्पिटैलिटी (आईसी–जीएनएच) – 2021– फोस्टरिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप" पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता।
3. जामिया मिलिया इस्लामिया में "पर्यटन और आतिथ्य में उद्यम और उद्यमिता" पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता।
4. होटल प्रबंध एवं पोषण संस्थान, पूसा द्वारा "नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आर्थिक विकास: एक दृष्टिकोण 2020" पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता।
5. एनईआरआईएसटी, अरुणाचल प्रदेश को तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन "समकालीन विपणन प्रतिमान (जीएचटीसी–2020" पर वैश्विक आतिथ्य और पर्यटन सम्मेलन) के आयोजन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता।
6. दयाल बाग शैक्षिक संस्थान, आगरा को "कोविड संकट के बाद सांस्कृतिक आदान–प्रदान के लिए पर्यटन को फिर से शुरू करने के लिए प्रौद्योगिकी की भूमिका और इसके आयाम" (आर डीआरटीसीईपीसी–2022)" पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता।

7. रांची ब्राम्बे, को "यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य और संस्कृति (आईसीटीटीएच) पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" आयोजित करने हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता।

8. एनआईटीएचएम, हैदराबाद में टीएचएसडीजीएस पर तीसरे संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए एनआईटीएचएम, हैदराबाद को केंद्रीय वित्तीय सहायता।

3. क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क" 22 दिसंबर, 2020 (डब्ल्यूओ) के दौरान मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा पर्यटन मंत्रालय में मार्केट रिसोर्स प्रोफेशनल स्कीम (एमआर–पीएस) के तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता।

4. 18 जुलाई, 2016 (डब्ल्यूओ) के दौरान तीन वर्षों के लिए "सतत पर्यटन सर्वेक्षण" आयोजित करने के लिए केरल को केंद्रीय वित्तीय सहायता।

5. "महाराष्ट्र राज्य के लिए पर्यटन सांख्यिकी के संग्रह पर सर्वेक्षण के लिए एक एजेंसी/परामर्शदाता की नियुक्ति (2021–2022)" की परियोजना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रस्ताव।

सर्वेक्षण/अध्ययन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीएफए 2021–22

1. 02 दिसंबर, 2020 (डब्ल्यूओ) के दौरान मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा पर्यटन मंत्रालय की बाजार अनुसंधान व्यावसायिक योजना (एमआर–पीएस) के तहत मध्य प्रदेश में संभावित विश्व धरोहर स्थलों की खोज और प्राथमिकता के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता।

2. सीएफए "यूनेस्को में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंदेरी की सूची के लिए व्यवहार्यता अध्ययन" के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता

क्षमता निर्माण कार्यशाला

1. वाणिज्य विभाग, आईसीटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, आइजोल, मिजोरम को "पर्यटन, यात्रा और आतिथ्य को बनाए रखने, पुनर्जीवित करने और विकसित करने की रणनीति" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता।

2. पर्यटन क्षेत्र के संबंध में अनुसंधान पद्धति और प्रथाओं पर कार्यशाला के लिए होटल प्रबंध एवं पोषण संस्थान, गुरदासपुर (पंजाब) को केंद्रीय वित्तीय सहायता"।

अनुबंध–VI

तालिका–I वर्ष 2020–21 के दौरान सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) के अंतर्गत जारी निधियों का एजेंसी–वार विवरण

क्र. सं.	अनुदान प्राप्त करने वाले निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित राशि (राशि रु. में)
1	इंडियन कलिनरी इंस्टीट्यूट, सोसायटी–नोएडा उत्तर प्रदेश	391095
2	पर्यटन विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार, इटानगर	578760
3	पाक कला संस्थान, समागुडी, नागांव, असम	81216
4	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान – गुवाहाटी, असम	1541452
5	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं पोषण संस्थान, हाजीपुर, बिहार	1319268
6	राज्य होटल प्रबंधन संस्थान, बोधगया, बिहार	599745
7	डॉ. अम्बेडकर होटल प्रबंधन, पोषाहार तथा पोषण संस्थान, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	13807538
8	पंजाब विरासत एवं पर्यटन संवर्धन बोर्ड, चंडीगढ़	4621064
9	नवीन कौशल विकास संस्थान, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	888528
10	राज्य होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़	1267520
11	दिल्ली होटल प्रबंधन एवं पोषाहार प्रौद्योगिकी संस्थान, लाजपत नगर, दिल्ली	997200
12	भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड, आईआरसीटीसी, दिल्ली	2694935
13	होटल प्रबंधन, पोषाहार एवं पोषण संस्थान, पूसा, दिल्ली	4019108
14	जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल एजुकेशनल सोसायटी–दिल्ली	2744448
15	जामिया मीलिया इस्लामिया, दिल्ली	1370982
16	कम्प्यूटर शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कल्याण संस्था, बदायूं – उत्तर प्रदेश	230400
17	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान, गोवा	15712516
18	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात	2130320
19	जी.डी. गोयनका विश्वविद्यालय, गुरुग्राम, हरियाणा	548550
20	होटल प्रबंधन, शिक्षा संस्थान एवं कल्याण संस्था, अंबाला, हरियाणा	1122150
21	होटल प्रबंधन संस्थान, कुरुक्षेत्र, हरियाणा	1509582
22	पाक कला संस्थान, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश	880051
23	होटल प्रबंधन संस्थान, कुफरी, शिमला, हिमाचल प्रदेश	336371
24	रतन इंस्टीट्यूट और होटल मैनेजमेंट एंड वोकेशनल, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	490608

क्र. सं.	अनुदान प्राप्त करने वाले निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित राशि (राशि रु. में)
25	पाक कला संस्थान (सोसायटी) जम्मू, जम्मू संघ राज्य क्षेत्र	8137704
26	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	1236692
27	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान, रांची, झारखण्ड	270120
28	पाक कला संस्थान, मैसुरू, कर्नाटक	183004
29	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान, बैंगलोर, कर्नाटक	3266171
30	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुअनंतपुरम, केरल	1351050
31	केरल पर्यटन एवं यात्रा अध्ययन संस्थान, केरल	13418935
32	राज्य होटल प्रबंधन संस्थान, कोझीकोड़	1201238
33	पाक कला संस्थान, खजुराहो, मध्य प्रदेश	249480
34	पाक कला संस्थान, जबलपुर, मध्य प्रदेश	541876
35	गुरुकुल शिक्षा एवं सांस्कृतिक समिति, शाजापुर, मध्य प्रदेश	230400
36	भारतीय पर्यटन यात्रा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	9345950
37	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	414476
38	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान (भोपाल) सोसायटी, भोपाल, मध्य प्रदेश	3202416
39	मध्य प्रदेश आतिथ्य यात्रा एवं पर्यटन अध्ययन संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश	1953511
40	मध्य प्रदेश राज्य पाक कला संस्थान (रीवा) सोसायटी – रीवा, मध्य प्रदेश	90720
41	आर.पी. एजुकेशनल ट्रस्ट (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटेलिटी एंड मैनेजमेंट), वसाई, महाराष्ट्र	5799200
42	होटल प्रबंधन संस्थान, शिलांग, मेघालय	2024363
43	राज्य होटल प्रबंधन संस्थान – बालंगीर, ओडिशा	1540360
44	हेरिटेज चैरिटेवल ट्रस्ट – भुबनेश्वर, ओडिशा	548550
45	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान, भुबनेश्वर, ओडिशा	117902
46	रंजिता इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट – भुबनेश्वर, ओडिशा	15409255
47	राज्य होटल प्रबंधन संस्थान – बालंगीर, ओडिशा	7846640
48	पाक कला संस्थान, होशियारपुर, पंजाब	3272834
49	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं पोषण संस्थान, गुरुदासपुर, पंजाब	3314526

क्र. सं.	अनुदान प्राप्त करने वाले निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित राशि (राशि रु. में)
50	राज्य होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान, भटिंडा, पंजाब	1010073
51	पाक कला संस्थान, अजमेर, राजस्थान	802765
52	पाक कला संस्थान, सुमेरपुर, पाली, राजस्थान	1081800
53	जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	6131850
54	राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय – राजपुर, राजस्थान	741000
55	राज्य होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान– चेन्नई, तमिलनाडु	10975953
56	ऑस्कर चैरिटेबल ट्रस्ट, तमिलनाडु	852400
57	राज्य होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी (तिरुचिलापल्ली) संस्थान–रांची	5217948
58	एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया – (एएससीआई)	3956750
59	क्रिश्चियन बाप्टिस्ट मिशन एजुकेशनल सोसायटी – हैदराबाद	2606300
60	होटल प्रबंधन संस्थान, सीटी एंड एएन (हैदराबाद) सोसायटी, हैदराबाद	49500
61	लियो अकादमी ऑफ हॉस्पिटेलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट – हैदराबाद	2538080
62	पायोनियर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट– हैदराबाद	2573728
63	डॉ. ओम प्रकाश गुप्ता एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश	731976
64	पाक कला संस्थान, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश	1341440
65	हेरिटेज एजुकेशनल सोसायटी, आगरा, उत्तर प्रदेश	7236150
66	हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड टूरिज्म, आगरा, उत्तर प्रदेश	12771900
67	आईईसी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, नोएडा–उत्तर प्रदेश	1181041
68	लखनऊ आतिथ्य एवं प्रबंधन संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	2775697
69	मदीहा एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी, रामपुर, उत्तर प्रदेश	230400
70	आरएसटेक प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्रा. लि. उत्तर प्रदेश	230400
71	गढ़वाल मंडल विकास निगम लि., देहरादून, उत्तराखण्ड	9094120
72	राज्य होटल प्रबंधन संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड	11911256
73	राज्य होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	2116461
	कुल	**233009768**

तालिका 2. वर्ष 2021–22 के दौरान सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी) के अंतर्गत जारी निधियों का एजेंसी–वार विवरण (31/12/2021 तक)

क्र. सं.	अनुदान प्राप्त करने वाले निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित राशि (राशि रु. में)
1	पाक कला संस्थान, समागुडी, नागांव, असम	2171066
2	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	2012976
3	होटल प्रबंधन, पोषाहार एवं पोषण संस्थान, पूसा	653890
4	अंबाला होटल प्रबंधन संस्थान, अंबाला	661300
5	जी. डी. गोयनका विश्वविद्यालय, गुरुग्राम	1159970
6	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान, रोहतक, हरियाणा	555108
7	पाक कला संस्थान, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश	2426467
8	हेरिटेज फाउंडेशन ट्रस्ट, शिमला	4896252
9	होटल प्रबंधन संस्थान, कुफरी, शिमला	262577
10	डीसीआई मल्टी स्किल प्रा. लि., जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	241920
11	पाक कला संस्थान (सोसायटी) जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	7067336
12	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर	2699478
13	पुष्पलता चौहान मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट,जम्मू	349965
14	कश्मीर विश्वविद्यालय – कश्मीर	322080
15	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान – झारखण्ड	1077752
16	पाक कला संस्थान, मैसूरु	990278
17	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान (के) सोसायटी, बैंगलोर	384930
18	केरल पर्यटन एवं यात्रा अध्ययन संस्थान – केरल	21935925
19	पाक कला संस्थान, खजुराहो, मध्य प्रदेश	209001
20	पाक कला संस्थान – जबलपुर	722290
21	भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान – ग्वालियर, मध्य प्रदेश	2316264
22	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान (भोपाल) सोसायटी, भोपाल	484206
23	मध्य प्रदेश राज्य एफसीआई (रीवा) सोसायटी, रीवा	3190384

क्र. सं.	अनुदान प्राप्त करने वाले निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष के दौरान वितरित राशि (राशि रु. में)
24	निदान टेक्नोलॉजी प्रा. लि. मध्य प्रदेश	3225600
25	स्नेहा महिला विकास संस्थान – नागपुर, महाराष्ट्र	5650600
26	होटल प्रबंधन संस्थान, शिलांग	1540651
27	हेरिटेज चैरिटेबल ट्रस्ट – भुबनेश्वर, ओडिशा	7544540
28	पाक कला संस्थान (सोसायटी), होशियारपुर	4457245
29	होटल प्रबंधन, पोषाहार एवं पोषण संस्थान, गुरुदासपुर	201320
30	राज्य होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान, भटिंडा	1001457
31	पाक कला संस्थान, अजमेर	274640
32	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान, जयपुर	1422826
33	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान – चेन्नई	7922159
34	केकेओर मोहम्मद इब्राहिम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, तमिलनाडु	548550
35	ऑस्कर चैरिटेबल ट्रस्ट – तमिलनाडु	984900
36	होटल प्रबंधन संस्थान, सीटी एंड एएन (हैदराबाद) हैदराबाद	6267600
37	डॉ. महलवार ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश	241920
38	आरएसटेक प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्रा. लि. – उत्तर प्रदेश	498000
39	वी.पी. एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी – लखनऊ	65071
40	वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन – लखनऊ	2397200
41	आईएचएम देहरादून	933183
42	होटल प्रबंधन, पोषाहार प्रौद्योगिकी एवं अनप्रयुक्त पोषण संस्थान, कोलकाता	310353
	कुल	**102279230**